रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)-73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 9, 1975 (श्रावण 18, 1897)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 9, 1975 (SRAVANA 18, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 10 जुलाई 1975 तक प्रकाशित किए गए हैं—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 10th July 1975:—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
131	सं० 63-आईटीसी० (पी०एन०)/75, दिनांक 5 जुलाई 1975 No. 63-ITC (PN)/75, dated the 5th July, 1975.	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce	अप्रैल, 1975–मार्च 1976 वर्ष के लिए आयात नीति। Import Policy for the year April, 1975—March, 1976.
	सं० 64-आईटीसी० (पी०एन०)/75, दिनांक 5 जुलाई 1975 No. 64-ITC(PN)/75, dated the 5th July, 1975.	तदैव Do.	फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने का क्षेत्र: अप्रैल 1975–मार्च 1976। Scope of licensing for import of spare parts April 1975—March 1976.
	सं० 65-आईटीसी० (पी०एन०)/75, दिनांक 5 जुलाई 1975 No. 65-ITC (PN)/75, dated the 5th July, 1975.	तदैव Do.	उच्च मूल्य के रिहाई आदेशों की वैधता अवधि। Period of validity of high valve release orders.
132	सं० 5-9/74-सीमेंट, दिनांक 7 जुलाई, 1975 No. 5-9/74-Cem, dated the 7th July, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry & Civil Supplies.	सीमेंट उद्योग में अनुसंधान और विकास। Research and Development in Cement Industry.
133	सं० एफ-2(12)–एन०एस०/75, दिनांक 8 जुलाई 1975 No. F 2 (12)-NS/75, dated the 8th July, 1975.	वित्त मंत्रालय Ministry of Finance	डाकघर (आवर्ती जमा) (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1975। Post office (Recurring Deposits) (Third Amendment) Rules, 1975.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाईन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियंत्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
134	सं० 37/1/XIV/75/टी०, दिनांक 9 जुलाई 1975	लोक सभा सचिवालय	राष्ट्रपति लोक सभा को सोमवार 21 जुलाई 1975 को 11 बजे म०पू० नई दिल्ली में अधिवेशन के लिए आमंत्रित करता है।
	No. 37/1/XIV/75/T, dated the 9th July, 1975.	Lok Sabha Secretariat.	The President summons the Lok Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 21st July, 1975 at 11 AM.
135	सं० 30-ई०टी०सी० (पी०एन०)/75, दिनांक 9 जुलाई 1975	वाणिज्य मंत्रालय	भारत सरकार द्वारा बंगला देश की सरकार को बढ़ाए गए दस करोड़ रुपए (1974) के पण्यवस्तु क्रैडिट और दस करोड़ रुपए के आपात कालीन सहायता क्रैडिट के मद्दे निर्यात।
	No. 30-ETC (PN) 75, dated the 9th July 1975.	Ministry of Commerce	Export against Commodity Credit of Rs. 100 million (1974) and Emergency Relief Credit of Rs. 100 million extended by the Government of India to Government of Bangla Desh.
136	सं० आर० एस०-1/3/75-एल०, दिनांक 10 जुलाई 1975	राज्य सभा सचिवालय	राष्ट्रपति राज्य सभा को सोमवार, 21 जुलाई 1975 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता है।
	No. RS. 1/3/75-L, dated the 10th July, 1975.	Rajya Sabha Secretariat	The President summons the Rajya Sabha to meet at 11·00 AM on Monday, the 21st July, 1975 at New Delhi.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	565
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1215
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1015
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	2107
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	2909
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	415
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	6535
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	515
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	13
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1541
भाग IV —गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	135

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	565
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1215
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	–
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence.	1015
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2107
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2909
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	415
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Officers of the Government of India ..	6535
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	515
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	13
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1541
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	135

भाग I—खंड 1

PART I--SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली -110001, दिनांक अगस्त 1975

सं० 11013/2/75-आई० ई० एस०—निम्नलिखित सेवाओं में ग्रेड-IV की रिक्तियों को भरने के लिये 1976 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिये प्रकाशित किये जा रहे हैं :—

(i) भारतीय अर्थ सेवा, और

(ii) भारतीय सांख्यिकीय सेवा

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख आयोग के द्वारा निकाली गई सूचना में किया जायेगा । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण भारत सरकार द्वारा निश्चित संख्या के अनुसार किया जायेगा ।

अनुसूचित जातियों/आनुसूचित आदिम जातियां से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियां/आदिम जातियों में से किसी एक से हैं, अर्थात संविधान (अनुसूचित जातियों) आदेश 1950 संविधान (आदिम जातियों) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 [अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1950, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 , हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा यथा (संशोधित आदेश, 1956 संविधान अन्डमान और निकोबार द्वीप-समूह] अनुसूचित आदिम जातियों आदेश, 1959 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 संविधान (अनुसूचित जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 संविधान (गोवा, दमन और द्वीव) अनुसूचित जातियां, 1968 संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1968 और संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1970 ।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट II में निहित रीति से लगा । परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा नियत किये जायेंगे ।

4. उम्मीदवार को या तो :—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका के केनिया, उगांडा तथा संयुक्त गण राज्य टंजानिया (भूतपूर्व) टांगानिका और जंजीबार देशों से आया हो। परन्तु ऊपर की (ख) (ग), (घ) और (ङ) कोटियों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिये पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाने की शर्त के साथ अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

5(क). इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार के लिये आवश्यक है कि उसकी आयु 1 जनवरी, 1976 को 21 वर्ष की पूरी हो गई हो किन्तु 26 वर्ष की न हुई हो, आदि अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1950 से पहले और 1 जनवरी 1955 के बाद न हुआ हो।

(ख) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है:—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदि जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद किन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भारत में आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जातियो का हो और वह 21 जनवरी, 1964 को या उसके बाद किन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भूतवपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(iv) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत श्री लका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलका से वास्तव मे प्रत्यावर्तित होकर, भारत मे आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 से भारत श्रीलका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित होकर भारत मे आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(vi) यदि उम्मीदवार गोवा, दमन व दीव, संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(vii) यदि उम्मीदवार कीनियां, उगांडा, तथा सयुक्त गणराज्य टंजानिया (भूतपूर्व टगानिका तथा जजीबार) से आया मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष,

(viii) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से, प्रत्यावर्तित होकर, भारत आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(x) यदि उम्मीदवार रक्षा सेवाओं मे किसी बाह्य देश के साथ संघर्ष में या अशाति ग्रस्त क्षेत्र मे सैनिक कार्यवाही के समय विक्लांग होकर निर्मुक्त हुआ सैनिक हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(xi) यदि उम्मीदवार रक्षा सेवाओं में किसी बाह्य देश के साथ सघर्ष में या अशातिग्रस्त क्षेत्र मे सैनिक कार्यवाही के समय विक्लांग होकर निर्मुक्त हुआ सैनिक हो और अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(xii) भारत-संघर्ष, 1971 के दौरान हमलो में विक्लाग हुए तथा उसके परिणाम स्वरूप नियुक्त हुए सीमा सुरक्षा दल के कार्मिकों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष, और

(xiii) भारत-पाक संघर्ष, 1971 के दौरान हमलो में विक्लांग हुए तथा उसके परिणाम स्वरूप निर्मुक्त हुए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिको के जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के हों, के मामले में अधिकतम आठ वर्ष।

उपर्युक्त परिस्थितियों को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जायेगी।

6. (क) भारतीय अर्थ सेवा के लिए उम्मीदवार के पास परिशिष्ट-I में उल्लिखित किसी विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र या सांख्यिकी विषय सहित उपाधि होनी चाहिये।

(ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिये उम्मीदवार के पास परिशिष्ट-I में उल्लिखित किसी विश्वविद्यालय की सांख्यिकीय या गणित या अर्थशास्त्र विषय सहित उपाधि होनी चाहिये, अथवा उसके पास परिशिष्ट-I में उल्लिखित अर्हतयओं में से कोई एक अर्हता होनी चाहिये।

टिप्पणी (1) यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है किन्तु अभी उसे परीक्षा परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह उस परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हता परीक्षा (क्वालीफाइंग एक्जामिनेशन) में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को यदि वे अन्य शर्तें पूरी करते हों तो इस परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की अनुमति अन्तिम मानी जायेगी और यदि वे अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में 30 अप्रैल, 1976 के पश्चात्, प्रस्तुत नही करते तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी (2) विशेष परिस्थितियों मे, सघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र माना जा सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षाएं पास की हों जिनके स्तर को देखते हुए आयोग उसकी परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे।

टिप्पणी (3) यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा परीक्षा में प्रवेश का पात्र हो किन्तु उसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ली हो जो परिशिष्ट-I में सम्मिलित न हो तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग यदि उचित उमझे तो उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

7. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के परिशिष्ट-I में निर्धारित शुल्क अवश्यक देना होगा।

8. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी रूप में पहले से ही सरकारी सेवा करता हो, या वर्क चार्जड कर्मचारी हो, किन्तु अनियत न हो अथवा दिहाड़ी पर रखा हुआ न हो, उसे अपने आवेदन पत्र विभाग-अध्यक्ष या संबंधित कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिये जो उन्हें आयोग को भेजने से पूर्व आवेदन पत्र के आखिर में पृष्ठांकन की पूर्ति करेंगे। ऐसे उम्मीदवारों को अपने हित में अपने आवेदन पत्रों की अग्रिम प्रतियां सीधे आयोग को भेज देनी चाहिये। यदि इन्हें निर्धारित शुल्क के साथ भेजा जाए तो उन पर अन्तिम रूप से विचार किया जाएगा। किन्तु मूल आवेदन पत्र सामान्यतः अन्तिम तारीख के बाद एक पक्ष के भीतर पहुंच जाना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में हो और अपने आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति निर्धारित शुल्क के सहित न भेजें और यदि उसके द्वारा भेजी गई अग्रिम प्रति अन्तिम तारीख को अथवा उसके पहले आयोग के कार्यालय में न पहुंचे तो उसके विभाग-अध्यक्ष अथवा कार्यालय के माध्यम से भेजा गया आवेदन पत्र यदि आयोग के कार्यालय में अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त हो तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा।

11. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिन में तथ्यों को विगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनायें हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे —

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (I) आयोग द्वारा, ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

12. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हता अंक (क्वालीफाइंग मार्क्स) प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करें, तो उसे आयोग मौखिक परीक्षा के लिए बुलाएगा।

13. परीक्षा के बाद आयोग उम्मीदवारों के द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझे नियुक्तियों के लिये सिफारिश करेगा। ये नियुक्ति उतनी अनारक्षित रिक्तियों पर की जाएंगी, जितनी का निर्णय परीक्षा के परिणाम के आधार पर किया जाएगा।

लेकिन शर्त यह है कि यदि स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पद नहीं भरे जा सकते तो आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिये, स्तर में छूट देकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्त करने के लिये, सेवा के लिये योग्य होने पर, परीक्षा की योग्यता सूची में उनकी श्रेणी को ध्यान में रखे बिना ही आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकती है।

14. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाय, उसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षा-फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

15. यदि कोई उम्मीदवार दोनों सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहा हो, तो उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन पत्र देते समय व्यक्त किए गए अधिमान क्रम (प्रेफरेंस) के अनुसार उस पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।

16. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये हर प्रकार से योग्य है।

17. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिये और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जिससे वह संबंधित सेवा में अधिकारों के रूप में

अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्व न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिये बुलाई गये किसी भी उम्मीदवार से शारीरिक परीक्षा की जांच करवाने की अपेक्षा की जा सकती है।

नोट :—बाद में निराश न होना पड़े इसलिये उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों को किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिये स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिये, ऐसे ब्यौरे उन नियमों के परिशिष्ट-IV में दिये गये हैं। रक्षा सेवाओं में विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों तथा 1971 के भारत तथा पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान विकलांग हुए तथा विकलांग होने के फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी।

18. (क) जिसने ऐसी महिला/ऐसे पुरुष से विवाह करने का करार दिया हो अथवा विवाह कर लिया हो जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करने का करार किया हो अथवा विवाह कर लिया हो वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर अथवा जिससे विवाह किया गया हो उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य कारण भी है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे कानून से छूट दे सकती है।

19. इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं के लिये भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट III में दिया गया है।

एम० आर० भारद्वाज, उप सचिव

परिशिष्ठ I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय की सूची

(नियम 6 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से निगमित किया गया हो अथवा अन्य शिक्षा संस्थाएं जिन्हें संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिये जाने की घोषणा की जा चुकी है।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय।

मांडले विश्वविद्यालय।

इंगलैंड के वैल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डरहम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मैंचेस्टर, ऑक्सफोर्ड, रिडिंग, शेफिल्ड तथा वैल्स के विश्वविद्यालय

स्काटलैंड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लासगो और सैन्ट एन्ड्रूज विश्वविद्यालय

आयर लैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज)

आयरलैंड नेशनल विश्वविद्यालय

क्वीन्स विश्वविद्यालय बल्फास्ट

पाकिस्तान विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय

सिंध विश्वविद्यालय

बंगला देश के विश्वविद्यालय

ढाका विश्वविद्यालय,

राजशाही विश्वविद्यालय

नैपाल विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमांडू

परिशिष्ट–I 'क'

केवल भारतीय सांख्यिकीय सेवा की परीक्षा में बैठने के लिए मान्यताप्राप्त अर्हताओं की सूची [नियम 6 (ख) के अनुसार]

(i) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता का सांख्यिकीय विन्दु डिप्लोमा (स्टेटिस्टिशियन डिप्लोमा) और

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान सांख्यिकीय संस्था का व्यवसायिक संस्थाविद प्रमाण-पत्र (प्रोफेसनल स्टेटिस्टिशियन सर्टिफिकेट)

परिशिष्ट II

खण्ड I

लिखित परीक्षा की रूप रेखा

भारतीय अर्थ सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा की परीक्षा के विषय :—

(क) लिखित परीक्षा :—

(i) निम्नलिखित खण्ड 2 के उपखण्ड क्रमशः (क) (क) और (ख) (ख) में दिये गए अनिवार्य विषय जिनके अधिकतम अंक 700 होंगे।

(ii) निम्नलिखित खण्ड 2 के उपखण्ड क्रमशः (क) (ख) और (ख) (ख) में दिये गये ऐच्छिक विषयों में से चुने गये विषय। प्रत्येक सेवा के उम्मीदवार उन उपखण्डों उपबन्धों के अधीन 400 अंक तक के ऐच्छिक विषय ले सकते हैं।

(II) मौखिक परीक्षा :—[इस परिशिष्ट की अनुसूची के के भाग (ख) को देखिए] उन उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 250 अंक होंगे जिनको आयोग बुलाएगा।

खण्ड II

परीक्षा के विषय

(क) भारतीय अर्थ सेवा

(क) अनिवार्य विषय देखिए ऊपर खण्ड I का उपखण्ड (क) का खण्ड (I)।

	पूर्णांक
(1) सामान्य अंग्रेजी	150
(2) सामान्य ज्ञान	150
(3) अर्थशास्त्र-1	200
(4) अर्थशास्त्र-2	200

(ख) ऐच्छिक विषय देखिए ऊपर खण्ड-I के उपखण्ड (I) (II)

	कोड संख्या	पूर्णांक
सांख्यिकी I	03	200
सांख्यिकी II	04	200
तुलनात्मक आर्थिक विकास	05	200
तथा सार्वजनिक वित्त	06	200
ग्राम अर्थशास्त्र तथा सहकारिता	07	200
अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र	08	200
गणितीय अर्थशास्त्र तथा ज्यामिती	09	200
नमूना सर्वेक्षण	10	200
औद्योगिक अर्थशास्त्र	11	200
व्यापार के सिद्धान्त और व्यवहार	12	200
व्यवसाय वित्त तथा लेखा	13	200
व्यवसाय प्रबन्ध तथा वाणिज्यिक विधि	14	200

(08) शर्त यह है कि किसी उम्मीदवार को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-शास्त्र और व्यापार के सिद्धान्त तथा अभ्यास (12) दोनों विषय चुनने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

इस विषय में निम्नलिखित पांच शाखाओं में से प्रत्येक पर भिन्न-भिन्न प्रश्न पत्र होंगे, अर्थात् (I) औद्योगिक सांख्यिकी, (सांख्यिकी गुण नियन्त्रण सहित) (II) आर्थिक सांख्यिकी (III) शैक्षिक सांख्यिकी (मनोमिति सहित) (IV) जनन सांख्यिकी तथा (V) जनविद्या और जन्म मरण सांख्यिकी। इनमें से उम्मीदवार को किन्हीं दो का चुनाव करना है। प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिये अधिकतम अंक 100 होंगे।

(ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा

(क) अनिवार्य विषय [ऊपर खण्ड I) के उपखण्ड (क) के उपखण्ड (1) को देखिये]।

	पूर्णांक
(1) सामान्य अंग्रेजी	150
(2) सामान्य ज्ञान	150
(3) सांख्यिकी-1	200
(4) सांख्यिकी-2	200

(ख) ऐच्छिक विषय [ऊपर खण्ड 1 उप खण्ड (I) (II) को देखिये]।

	कोड संख्या	पूर्णांक
सांख्यिकी-I	01	200
सांख्यिकी-II	02	200
तुलनात्मक आर्थिक विकास	05	200
गणित अर्थशास्त्र तथा अर्थमिति	09	200
नमूना सर्वेक्षण	10	200
उच्च संभावित तथा यादृच्छिक प्रक्रियाएं	15	200
सांख्यिकी अनुमोति	16	200
प्रयोग अभिकल्पना	17	200
शुद्धगणित-I	18	200
शुद्धगणित-II	19	200
शुद्ध गणित-III	20	200
प्रयुक्त गणित	21	200

इस विषय में निम्नलिखित पांच शाखाओं में से प्रत्येक पर भिन्न-भिन्न प्रश्न पत्र होंगे, अर्थात् (I) औद्योगिक सांख्यिकीय (सांख्यिकीय गुण नियन्त्रण सहित) (II) आर्थिक सांख्यिकीय (III) शैक्षिक सांख्यिकीय (मनोमिति सहित) (IV) जनन सांख्यिकीय तथा (V) जन विद्या और जन्म मरण सांख्यिकीय इनमें से उम्मीदवार को किन्हीं दो का चुनाव करना है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिये अधिकतम 100 अंक होंगे।

नोट :—इस खण्ड में दिये हुए विषयों का पाठ्य विवरण और स्तर इस परिशिष्ट अनुसूची के भाग (क) में दिया गया है।

खण्ड III

सामान्य

1. सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे।

2. सांख्यिकी II को छोड़कर उपर्युक्त खण्ड II में दिये गये प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिये 3 घन्टे का समय दिया जाएगा। सांख्यिकी II में इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग (क) की मद (आइटम) 6 पर इस विशेष के नीचे दिये गये नोट के अनुसार डेढ़-डेढ़ घंटे के पांच प्रश्न-पत्र होंगे।

3. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिये किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है।

5. भारतीय अर्थसेवा के लिये केवल उन्हीं उम्मीदवारों का दो ऐच्छिक प्रश्न पत्रों तथा निम्नलिखित अनिवार्य विषयों, अर्थात् सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों की जांचा और अंकित किया जायेगा जो लिखित परीक्षा के अर्थशास्त्र-I और अर्थशास्त्र-II विषयों में एक निश्चित न्यूनतम स्तर प्राप्त करेंगे, जैसा कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया जायेगा।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के लिये केवल उन्हीं उम्मीदवारो के दो ऐच्छिक प्रश्न पत्रों तथा निम्नलिखित अनिवार्य विषयों, अर्थात् सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों को जांचा और अंकित किया जायेगा जो लिखित परीक्षा के सांख्यिकीय-I और सांख्यिकीय-II विषयों में एक निश्चित न्यूनतम स्तर प्राप्त करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया जायेगा।

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल नम्बरों में से कुछ नम्बर काट लिये जायेंगे।

7. केवल सतही ज्ञान के लिये नम्बर नहीं दिये जायेंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयो में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई हो।

9. उम्मीदवारों से तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली की जानकारी की आशा की जाती है। प्रश्नों के उत्तर में जहां कहीं आवश्यक हो, तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाये।

अनुसूची

(भाग-क)

अंग्रेजी भाषा तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों का स्तर यही होगा जिसकी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

अन्य विषयों के प्रश्न-पत्र किसी भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध व्यवस्थाओं के अन्तर्गत "मास्टर" डिग्री परीक्षा स्तर के होंगे। उम्मीदवारों के तथ्यों द्वारा सिद्धांत की व्याख्या करने और सिद्धान्तों द्वारा समस्याओं का विश्लेषण करने की अपेक्षा की जाएगी उनसे अर्थ शास्त्र सांख्यिकी के क्षेत्र (क्षेत्रों) में भारतीय समस्याओं से संबंधित विशेष रूप से निपुणता की अपेक्षा की जाएगी।

1. सामान्य अंग्रेजी :

उम्मीदवारों को अंग्रेजी भाषा में एक निबन्ध लिखना होगा। अन्य प्रश्न उम्मीदवारों को अंग्रेजी संबंधी योग्यता एवं अंग्रेजी शब्दों के सामान्य प्रयोग की जांच करने के लिये रखे जायेंगे। साधारणतया सारांश अथवा सारलेखन के लिये गद्यांश रखे जायेंगे।

2. सामाय ज्ञान :

इस प्रश्न-पत्र के दो भाग होंगे :—

पहले भाग में उम्मीदवारों से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें सामयिक घटनाओं का और दिन प्रतिदिन देखी और अनुभव की जाने वाली बातों के वैज्ञानिक पक्ष का ऐसा ज्ञान सम्मिलित है जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों को विशेष अध्ययन न किया है। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए।

दूसरे भाग मे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके द्वारा उम्मीदवारों को तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग करने तथा उनसे तर्क संगत निष्कर्ष निकालने, जटिलताओ की प्रत्यक्ष जान लेने की योग्यता एवं महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण के बीच अंतर करने की योग्यता की जांच की जा सके।

2. अर्थशास्त्र-I (कोड—01)
क्षेत्र तथा रीति विधान
संतुलन विश्लेषण।

उपभोगता की मांग का सिद्धांत। तटस्थ रेखाओं का विश्लेषण, अधिमान संबंधी विचार धाराएं, उपभोक्ता की बचत, उत्पत्ति के सिद्धांत उत्पत्ति के कारण। उत्पत्ति फलन। उत्पत्ति के नियम। फर्म तथा उद्योग के अन्तर्गत साम।

विभिन्न प्रकार के बाजार संगठनों में मूल्य निर्धारण। समाजवादी अर्थ व्यवस्था में मूल्य निर्धारण। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में मूल्य निर्धारण।

लोकोपयोगी सेवाएं : लोकोपयोगिताओं की आर्थिक विशेषताएं।

लोकोपयोगिताओं में मूल्य निर्धारण, लोकोपयोगिताओं का नियतन।

वितरण का सिद्धांत। उत्पत्ति कराकों का मूल्य निर्धारण लगान मजदी ब्याज तथा लाभ के सिद्धांत। समाविष्ट वितरण सिद्धांत। राष्ट्रीय आय में मजदूरी का सिद्धांत। लाभ और आर्थिक प्राप्ति। आय वितरण में असमानताएं।

रोजगार और उत्पादन का सिद्धांत :—क्लासिकल तथा नानक्लासिकल विचार धाराएं कींस का रोजगार सिद्धांत। कीन्स के बाद के सिद्धांत। आर्थिक उतार चढ़ाव। व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय तथा मौद्रिक नीतियां। कल्याणकारी अर्थशास्त्र—कल्याणकारी अर्थशास्त्र का क्षेत्र, क्लासिकल तथा नोनक्लासिकल विचार धाराएं। नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र तथा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत। अनुकूलतम दशाएं, नीति संबंधित भाषाएं।

4. अर्थशास्त्र—II—(कोड—02)

आर्थिक विकास की संकल्पना तथा उसका मापन सामाजिक लेखा राष्ट्रीय आय लेखा, निधि प्रवाह का लेखा, निर्दिष्ट निवेश निर्गत का लेखा।

सामाजिक विचारधाराएं तथा आर्थिक विकास।

विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं तथा समस्याएं।

जनसंख्या की वृद्धि तथा आर्थिक विकास ।

विकास के सिद्धांत । विकास के प्रतिमान ।

आयोजन,–संकल्पना तथा विधियां । समाजवादी तथा पूंजीवादी आर्थिक संगठन के आयोजन मिश्रित अर्थ व्यवस्था के आयोजन । ठोस (पर्सपेक्टिव) आयोजन । क्षेत्रीय आयोजन । विनियोग के सिद्धांत तथा पद्धतियों का चयन । लागत लाभ विश्लेषण योजना माडल ।

भारत में आयोजन । आयोजन का प्रारम्भ । पंचवर्षीय योजनाएं उद्देश्य तथा पद्धतियां । संस्थानों की गतिशीलता । प्रशासन तथा जन सहयोग । मौद्रिक और वित्तीय नीतियों का योगदान । मूल्य नीति नियंत्रण तथा बाजार विन्यास व्यापार नीति तथा भुगतान संतुलन । सार्वजनिक उद्योगों का योगदान ।

5. सांख्यिकी । (कोड-03)

विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय सन्निकटन, परिमित अन्तर, मानक अंतर्वेशन सूत्र तथा परिशुद्धताएं प्रतिलोम अन्तर्वेशन । अवकलन तथा समाकलन की सांख्यिकीय विधियां ।

संभाविता की परिभाषा—क्लासिकल मत, कार्यसिद्ध मत। प्रतिचयन अवकाश । पूर्ण एवं मिश्रित समाविता का सिद्धांत । प्रतिबंधी टोकिय की असमता । प्रतिबंधित घंटन । बृहत संख्याओं के नियम तथा केन्द्रीय सीमित प्रमेय ।

मानक बंटन : द्विपद ज्यासें, प्रसामान्य, आयताकार, पातीव, विलोम द्वीप अतिगुणोत्तर, कोशी, लापलास, बीटा तथा गामा बंटन । द्विचर तथा बहुचर प्रसामान्य बंटन ।

बृहत और लघु प्रतिचयन सिद्धांत:—अनन्त स्पर्शीय बंटन तथा बृहत प्रतिचयन परीक्षण । मानक प्रतिचयन बंटन जैसे टी० एक्स, 2 एफ० (t x 2, f) तथा उन पर आधारित सार्थकता-साहचर्य तथा आसंग सारणियों का विश्लेषण ।

सह-संबन्ध गुणांक तथा उसका बंटन । फिशर का जेड स्थानांतरण गुणांक ।

समाश्रयण :—आसजन रेखा बहुत पद । आंशिक समाश्रयण तथा आंशिक सह संबंध गुणांक—नल मामलों में उनका बंटन । अंतवर्गीय सह-संबंध । वक्र आसंजन तथा लम्ब कोणीय बहुपद ।

प्रसरण विश्लेषण । एक धातीय प्राक्कलन का सिद्धांत । अन्तक्रिया प्रभाग सहित दिक् वर्गीकरण । सहप्रसरण विश्लेषण । प्रयोग अभिकल्पना से मूल सिद्धांत । सामान्य अभिकल्पनाओं का अभिन्यास तथा विश्लेषण जैसे यादृच्छिककोकृत खण्ड तथा लेटिन वर्ग चित्र । उपादानय प्रयोग तथा संकरण लुप्त क्षेत्र प्रविधियां ।

प्रतिचयन विधियां—प्रतिस्थापन युक्त तथा प्रतिस्थापन रहित सरल यादृच्छ प्रतिचयन समाश्रवण तथा अनुपात प्राक्कलन । सामुहिक प्रतिचयन बहुक्रम प्रतिचयन तथा व्यवस्थित प्रतिचयन । प्रतिचयन त्रुटियां ।

प्राक्कलन :—मूल संकल्पनाएं । एक अच्छे प्राक्कलन की विशेषताएं बिंदु प्राक्कलन तथा अंतराल प्राक्कलन । अधिकतम संभाविता प्राक्कलन तथा उनके गुण वर्ग ।

परिकल्पनाओं के परीक्षण—सांख्यिकीय परिकल्पनाएं सरल तथा संयुक्त परिकल्पना । सांख्यिकीय परीक्षण की संकल्पना । त्रुटियों के दो प्रकार ।

घात फलन । संभाविता अनुपात परीक्षण । विश्वास अंतराल । प्राक्कलन । अनुकूलतम विश्वास परिबंध ।

असमष्टीय परीक्षण जैसे—संकेत परीक्षण, माध्यिका परीक्षण तथा चाल परीक्षण । सरल विकल्पना के विपरीत सरल परकल्पना परीक्षण के लिये वाल्ड का अनाभिष्ट संभाविता अनुपात परीक्षण । 'ओ सी' तथा 'ए एस एन फलन तथा उनके सन्निकट ।

6—सांख्यिकी-ग (कोड 0-4)

नोट :—इस विषय में निम्नलिखित पांच शाखाओं में से प्रत्येक पर भिन्न प्रश्न होंगे, अर्थात (i) औद्योगिक सांख्यिकी (सांख्यिकीय गुण नियंत्रण सहित) (ii) आर्थिक सांख्यिकीय (iii) शैक्षिक सांख्यिकी (मनोमिति सहित) (iv) जनन सांख्यिकी तथा (v) जनविद्या और जन्म मरण सांख्यिकी ।

जो उम्मीदवार इस विषय को अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में लेंगे उन्हें उपर्युक्त किन्हीं दो का चुनाव करना होगा, जिसको उन्हें अपने प्रार्थना पत्र में बताना होगा । एक बार प्रश्न पत्र चुनने के बाद परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।

(I) सांख्यिकी प्रकार नियंत्रण सहित औद्योगिक आंकड़े

उद्योग के अंतर्गत प्रकार नियंत्रण का सैद्धांतिक आधार । सहन सीमाएं विभिन्न प्रकार के नियंत्रण चार्ट 'एक्स और चार्ट' 'पी' और 'सी' चार्ट, वर्ग नियंत्रण चार्ट ।

स्वीकार प्रतिचयन । एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अनुक्रमिक प्रतिचयन योजना । 'ओ सी' तथा 'ए०एस०एन० सलन । गुणों (Attributes) तथा चरों (Variables) द्वारा प्रतिचयन डोजरों रोमिग तथा अन्य सारणियों ।

औद्योगिक सम्परीक्षण डिजाईन । उद्योगों में समाश्रयण विधियों का प्रयोग तथा प्रसरण विधियों का विश्लेषण । उद्योगों में एकजातिया कार्यक्रम सहित संक्रियात्मक अनुसंधान विधियों का प्रयोग ।

(II) अर्थ-सांख्यिकी

मूल्य और परिमाण के सूचकांक । सूचकांकों के विभिन्न प्रकार, जैसे :—थोक मूल्यों के सूचकांक तथा जीवन निर्वाह के सूचकांक । सूचकांकों का सिद्धांत ।

आय-वितरण । पैरेटो वक्र तथा अन्य वक्र । एक केन्द्रीय वर्क तथा उनके प्रयोग ।

राष्ट्रीय आय । राष्ट्रीय आय के विभिन्न क्षेत्र । राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन की विधियां । अंतर्क्षेत्रीय आय प्राक्कलन वर्ग समस्याएं । अन्तउद्योग सारिणी । निविष्ट-निष्ट विश्लेषण तथा एकजातीय कार्यक्रम का प्रयोग ।

आर्थिक काल—श्रेणियों का विश्लेषण तथा निर्वचन । आर्थिक काल श्रेणियों के चार संघटक । गुणात्मक तथा संयोग्यात्मक माडल । वक्र आसंजन तथा बल मध्यविधि उपनति निर्धारण । स्थित तथा चल सामायिक सूचकांकों का निर्धारण । स्वसंबंध । आवर्तितावर्क विश्लेषण । यदृच्छिकता का परीक्षण ।

उपयोग और मांग का सिद्धांत मांग के कार्य, मांग का तोल, काल श्रेणी तथा पारिवारिक बजट आंकड़ों द्वारा मांग का सांख्यिकीय विश्लेषण।

(III) शिक्षा सांख्यिकी मनोमिति सहित :-

परीक्षण पदों का मापन। प्राप्तांक मानक प्राप्तांक सामान्य प्राप्तांक (ट) तथा 'सी' मान, स्टेनीन मान, शततमक मान।

मानसिक परीक्षण, परिक्षणों की विश्वसनीयता और संसगति। विश्वसनीयता की संगणना की विभिन्न विधियां। विश्वसनीयता का सूचक। सुसंगति निर्धारण की प्रक्रियाएं। परीक्षण वेटरों को मान्यकरण। बाल बनाम धात परीक्षण।

उत्पादन पर विश्लेषण। मद विश्लेषण। अभिरुचि परीक्षाओं में सह संबंध विधियों का उपयोग।

स्मरण तथा विस्मरण का माप, स्मरण माडल। अभिवृत्ति तथा मत का माप। समूह गत व्यवहार के माप।

(IV) जनन आंकड़े :

अनुवंशिकता का भौतिक आधार। मैन्डल के नियम। लिकेज। पृथकरण का विश्लेषण। लिकेज की पहिचान तथा प्राक्लन। बहुजनन आनुवंशिकी। दृश्यतम विचलन के संघटक। अनुवंशिकता का प्राक्कलन, चयन। चयन का आधार। प्रजनन परीक्षण चरित्र समिश्रण के लिए चयन।

जनसंख्या जनन। जनन कारवारता। अंत: प्रजनन। यादृच्छिक उभागम। लिकेज का विसाम्य। मानक जनन के तत्व। रक्त वर्गों का अध्ययन। रोग विशेषताएं तथा वियन।

(V) जनांकिकी तथा जन्म मरण संबंधी आंकड़े :—

जीवन सारिणी, उसका निर्माण तथा गुण। मैकेडम तथा योगपतर्य वक्र मृत्यु संख्या की वार्षिक तथा केन्द्रीय दरों की व्युत्पत्ति। राष्ट्रीय जीवन सारिणियां। यू०एन० आदर्श जीवन सारिणियां। संक्षिप्त जीवन सारणियां। स्थिर जनसंख्या। स्थावर जनसंख्या।

अशिक्नि प्रजनन दरें, विशिष्ट प्रजनन दरें, मूल और शुद्ध जन्म दरें। परिवार का आकार। अशोधित मृत्यु दरें कुल और शुद्ध जन्म दरें। बाल मृत्यु दरें। सकारण मृत्यु संख्या। प्रमाणीकृत दरें।

आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन। विशुद्ध प्रत्यावर्तन, पिछली तथा उन्नत अतिजीविता अनुपात सिद्धांत।

जनांकीय संक्रमण। जनसंख्या निर्धारण के सामाजिक तथा आर्थिक निर्धारण।

जनसंख्या प्रक्षेत्र। गणितीय तथा संघटक विधियां वृद्धि धात वक्र आसजन।

7. तुलनात्मक आर्थिक विकास :—(कोड—05)

विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत विशेष रूप से भारत, जापान, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस के संदर्भ में आधुनिक आर्थिक विकास का तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक अध्ययन। उम्मीदवारों से विभिन्न प्रकार की अर्थ व्यवस्थाओं जैसे क्रम विक्रय प्रधान स्वतंत्र उद्यम अर्थ व्यवस्था केन्द्रीय योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था उनमें हुए परिवर्तन, विशेष रूप से विकासशील अर्थ व्यवस्थाओं को प्रदान करने योग्य शिक्षाओं की दृष्टि से ऐतिहासिक विकास तथा क्रियात्मक लक्षणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की अपेक्षा की जायेगी।

8—मुद्रा तथा सार्वजनिक वित्त (कोड—06)

मुद्रा का स्वरूप तथा कार्य। मुद्रा का मूल्य। मुद्रा उत्पत्ति और मूल्य गुणक तथा आय उत्पादन की प्रक्रिया। व्यापारचक्र और मूल्य व्यापार। मुद्रा स्फीति।

मौद्रिक नीति के उद्देश्य तथा रचना। बैंक दर तथा खुले बाजार की कार्यवाही केन्द्रीय बैंक पद्धति। सामान्य तथा सुविशिष्ट शाखा नियंत्रण विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनाई जाने वाली मौद्रिक नीति। विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा तथा पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार का संगठन।

सार्वजनिक वित्त :—स्वरूप क्षेत्र, महत्व और उद्देश्य कराधान के सिद्धांत :—करारोपण तथा महत्व कर योग्य क्षमता तथा दोहरा कराधान सार्वजनिक व्यय का प्रभाव और महत्व। पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास की वित्तीय नीति। घाटे को वित्त व्यवस्था। सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त आये।

सार्वजनिक ऋण के सिद्धांत। आन्तरिक और विदेश ऋण। ऋण व्यवस्था। संघीय वित्त व्यवस्था के सिद्धांत।

9—ग्रामीण अर्थशास्त्र तथा सहकारिता (कोड—07)

आर्थिक विकास में कृषि का योगदान।

कृषि उत्पादन तथा संसाधनों का उपयोग, उत्पादन फलन, उत्पादन माप, लागत और पूर्ति क्र अनिश्चितता की स्थिति में उत्पादन कारकों का संयोजन तथा उत्पादन विधियों का चयन। फसल आयोजन।

उत्पादन कारकों का क्रय विक्रय :—भूमि का क्रय विक्रय, भूमि का मूल्य और लगान। श्रम का क्रय विक्रय। मजदूरी और रोजगार, बेरोजगार तथा अल्परोजगार। पूंजी बाजार बचत और पूंजी का निर्माण।

वस्तुओं की मांगें। खाद्यान्न की मांग।

कृषि अन्य पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मूल्य टैरिफ वस्तु संबंधी समझौते। कृषि विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम।

भारतीय ग्राम्य-अर्थ व्यवस्था की समस्याएं।

कृषि जोत। भूमि का अधिग्रहण। फसल पद्धति कृषि निपज की समस्याएं। भूमिधरी सुधार। सामुदायिक विकास और पंचायती राज्य। कृषि संबंधी धंधे और ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण ऋण प्रसताता कृषि साख कृषि विपणन और मूल्य प्रसार। वस्तुओं की मांग और खाद्यान्न की मांग। मूल्य आवलब और स्थिरता। कृषि भूमि तथा कृषि आय कर करारोपण। आयोजन के अंतर्गत भारतीय कृषि को विकास कर।

पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि का स्थान। कृषि विकास के मूल्य कार्यक्रम।

सहकारिता :—सिद्धांत, उद्गम तथा विकास। भारत तथा दूसरे देशों के सहकारिता आंदोलनों का तुलनात्मक अध्ययन। भारत में विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं का रूप, संगठन तथा कार्य प्रणाली। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इन संस्थाओं का महत्व।

राज्य तथा सहकारी आंदोलन। रिजर्व बैंक आफ इंडिया का योगदान।

10—अंतराष्ट्रीय अर्थशास्त्र.—(कोड—08)

अंतराष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। व्यापार के लाभ। व्यापार की शर्तें। व्यापार नीति। अंतराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास। टेरिफ का सिद्धांत। परिमाणात्मक व्यापार नियंत्रण। सीमाशुल्क संघ। मुक्त व्यापार क्षेत्र। यूरोपीय साझा बाजार।

भुगतान शेष। भुगतान शेष के असतुलन। समायोजन की प्रक्रिया। विदेशी व्यापार गुणक। विनियम दर। आयात और निर्यात नियंत्रण। व्यापार समझौते। प्रमुख केरेंसी प्रमाप। बाह्य और आंतरिक संतुलन।

अंतराष्ट्रीय संस्थाएं। अंतराष्ट्रीय वृणनिस्तारण और अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतराष्ट्रीय मौद्रिक सुधार। विकासशील देशों के संबंध में भेदभाव रहित प्रवृत्तियां। निर्यात अस्थिरता और वस्तुओं के बाजार भाव की स्थिरता। अंतराष्ट्रीय निजी और सार्वजनिक पूंजी से संबंधित जी०ए०टी०टी० का योगदान। आर्थिक विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहायता। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (I. B. R. D.) एवं तत्संबंधी संस्थाएं। एशियाई विकास बैंक।

11—गणितीय अर्थशास्त्र और अर्थमिति. (कोड—09)

अर्थशास्त्र में गणित और सांख्यिकी का महत्व: अर्थशास्त्र में मापों का प्रयोग: अर्थशास्त्र मे गतिणत का महत्व: आर्थिक सहयोग के मापन में सांख्यिकीय अनुमति की विधियों और पद्धतियों का प्रयोग।

मांग विश्लेषण:—मांग का सामान्य सिद्धांत और मांग की मान: गत्यात्मक और स्थैतिक मांग फलन. आयोजन की स्थिति में अंत: संबंधित मांग और पूर्तिफलन: मांग और पूर्ति प्राक्कलन की विधियां। मांग प्रक्षेप तथा मांग और मूल्य के प्रति अल्पकालीन दृष्टिकोण।

उत्पत्ति फलन:—उत्पादन और उत्पादन सभावना फलन की संकल्पना, उत्पादन फलन लागू करने की विधियां। उत्पादन आयोजन और उत्पादन नियंत्रण की गणितीय विधियां।

एक घातीय कार्यक्रम:—क्रिया विश्लेषण। एक घातीय कार्यक्रम और उसका उपयोग। निविष्ट नियम विश्लेषण। गेम सिद्धांत के तत्व, आर्थिक आयोजन में उनका प्रयोग।

कीन्सवादी अर्थशास्त्र और क्लासिकल अर्थशास्त्र के गणितीय माडल

गुणक संकल्पना। त्वरक सिद्धांत। साम्य विश्लेषण। उपभोक्ता साम्य। स्थिर दशाएं, आय और मुल्य वृद्धि की मांग पर प्रभाव, पूरक और स्थानापन्न वस्तुएं। बाजार मांग—विनियम संतुलन, व्यवसाय संतुलन। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन और विनियम का साम्य, मांग और पूर्ति का सामान्यीकृत नियम।

निर्मिति (Structure) और माडल की संकल्पना

निर्मित की विभिन्न संकल्पनाओं-निर्मित और माडल में भेद। स्वतंत्र समीकरण और सम्मिलित समीकरण माडलों में समष्टि प्राक्कलन।

आयोजन माडल:—विभिन्न प्रकार के विकास माडल, पूंजी निपज अनुपात और आर्थिक आयोजन में उनका उपयोग। आयोजन माडल दीर्घकालीन प्रक्षेप और संदर्श। अल्पकालीन आर्थिक पूर्वानुमान।

12—प्रतिचयन सर्वेक्षण (कोड—10)

जनगणना और सर्वेक्षण में प्रतिचयन का स्थान। ढांचे और प्रतिचयन की संकल्पना।

प्रतिचयन की विधियां.—आघ्यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन, स्तरण का चयन बहुमण्डीय प्रतिचयन, सामुहित प्रतिचयन, क्रमबद्ध प्रतिचयन, दुहरा प्रतिचयन चर-प्रतिचयन भिन्न आकार के अनुपात में संभाविता के साथ प्रतिचयन बहुपदीय प्रतिचयन, प्रति लोभ प्रतिचयन।

प्राक्कलन की प्रक्रियाएं:—कुल और औसत जन सख्या का प्राक्कलन। प्राक्कलन में अभिनति। प्राक्कलन की त्रुटि। अनुपात समाश्रवण और गुणन प्रतिचयन।

अनुमूलनतम अभिकल्पनाएं: लागत और प्रसरण फलन, पथप्रदर्शी सर्वेक्षण का उपयोग। पचियन इकाईयों का अनुमूलतम आकार और गठन। स्तरित, बहुभेदीय और बहुमण्डीय अभिकल्पनाओं में अनुकूलतम विनियान आवृत्ति सर्वेक्षण मे अनुकूलतम प्रतिस्थापन भिन्न।

गैर प्रतिचयन त्रुटियां और उनका नियंत्रण, अनुक्रिया अभाव का सिद्धांत अन्देशी प्रतिचयन।

अभिकल्पना और पथप्रदर्शी तथा बड़े पैमाने के यादृच्छिक प्रतिचयन का संगठन। प्रतिचयन के रेखांकन को परिचालन की प्रक्रियाएं यादृच्छिक प्रतिचयन संख्याओं का उपयोग 'पी० पी० एस०' प्रतिचयन के रेखांकन की विभिन्न विधियां। आंकड़ो के संग्रहण और सारमणयन की प्रक्रियाएं। सर्वेक्षण आंकड़ो का विश्लेषण और प्रतिवेदनों का निर्माण।

13. औद्योगिक अर्थशास्त्र: (कोड-11)

उद्योग प्रतिस्पर्धा उद्योग का गठन। औद्योगिक इकाई के आकार का सिद्धांत। औद्योगिक स्थान का निर्धारण। क्षेत्रीय औद्योगिक विकास। औद्योगिक समाकलन। सघ और एकाधिकार।

औद्योगिक उत्पादन की समस्याएं: उत्पादकता—संकल्पना और मान उत्पादकता वृद्धि की विधियां। लागत रचना और मूल्य निर्धारण की नीतियां।

भारतीय उद्योगों की समस्याएं—वित्त, निविष्टयां, क्षमता का उपयोग। औद्योगिक नीति। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र। औद्योगिक लाईसेंस की नीति। विदेशी पूंजी और तकनीकी सहयोग। सार्वजनिक उद्यम की समस्याएं संगठन प्रबन्ध नियंत्रण और उनका लेखा-जोखा।

छोटा पैमाने के उद्योग की समस्याएं और औद्योगिक सम्पत्ति। श्रम और आर्थिक विकास। श्रम उत्पादकता और प्रेरण स्रोत। भारत औद्योगिक संबंध। मजदूर संघों का गठन और संगठन। मजदूर संघ और राज्य औद्योगिक झगड़ों का निपटारा। न्यूनतम

और उचित मजदूरी । मजदूरी और कार्य करने की दशाओं का राज्य द्वारा निर्धारण । श्रम कल्याण ।

14 व्यापार सिद्धांत और व्यापार कार्य . (कोड—12)

क्रय-विक्रय । क्रय-विक्रय की संकल्पना । बाजार की विशेषताएं । विपणनकार्य । विपणन क्रिया । केन्द्रीकरण और विस्तार, क्रय, विक्रय, माल यातायात भण्डारण, कोटीक्रम और वित्त ग्रहण का स्वभाव और निर्णय बाजार संबंधी जानकारी और अनुसंधान वितरण के स्रोत । बाजार लागत और बाजार क्षमता बिक्री पूर्वानुमान और आयोजन । बिक्री प्रोत्साहन । विज्ञापन और विक्रेता के गुण । राज्य नियंत्रित बाजार ।

भारतीय बाजार । कृषि उपज और औद्योगिक वस्तुओं का बाजार भारत में संयुक्त बाजार । स्टाक एक्सचेंज और उपज एक्सचेंज, उनके कार्य और क्रियाविधि । सरकारी नीति । सरकारी विपणन संगठन और राजकीय व्यापार ।

विदेशी व्यापार । अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं । घरेलू व्यापार के भिन्न व्यापार की विशेष समस्याएं । यातायात, वित्त और बीमा, साख से संबंधित जोखिम, विनिमय दर में उतार चढ़ाव और भुगतान स्थान । विदेशी व्यापार में प्रयुक्त अभिलेख । आयात और निर्यात केन्द्रों का गठन और संगठन । निर्यात और आयात नियंत्रण के तरीके ।

भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं—वस्तु संरचना, मुख्य दिशाएं गत दशक में निर्यात और आयात नियंत्रण की क्रियाएं । लाइसेंस प्रक्रियाएं और उसका आधार विदेशी व्यापार वित्त । निर्यात जोखिम गारंटी पद्धति । हाल ही के वर्षों में निर्यात वृद्धि के लिए अपनाई गई विधियां भारत के व्यापार समझौते । राज्य व्यापार विभाग के कार्य ।

15. व्यवसाय वित्त और लेखे — (कोड—13)

आधुनिक उद्योग की वित्तीय आवश्यकताएं । भारत में औद्योगिक वित्त के साधन भारतीय पूंजी बाजार । संस्थाओं द्वारा वित्त प्रबंध । विदेशी पूंजी, स्रोत, ब्याज की दरें और भुगतान की शर्तें । किसी एक फर्म की बजट पूंजी संबंधी आवश्यकताएं । पूंजी का उत्तम ढांचा किसी फर्म में अंतर्गत निधियों के स्रोत और उपयोग । निजी वित्त । मूल्य ह्रास की नीति । संचित कोष और लाभांश । करारोपण और वित्तीय नीति ।

पूंजी की बजट व्यवस्था । वित्तीय विवरणों की तैयारी, विश्लेषण और निर्वचन । साख और शेयरों का मूल्यांकन । पुनर्निर्माण एकीकरण और विलयन योजनाओं का निर्माण । लेखा लागत विवरणों का निर्माण :—खर्चे की व्यवस्था और नियंत्रण । बजटीय नियंत्रण के सिद्धांत । प्रमाणिक लागत । वित्तीय और मिलान ।

16. व्यवसाय का प्रबंध और वाणिज्य विधि (कोड—14)

प्रबंध पद्धति और प्रबंधीय कार्य । नीति निर्धारण और व्यवसाय के उद्देश्य । नेतृत्व और साहस, नियंत्रण और निर्णय की शक्ति । प्राधिकारी संबंध, प्राधिकार शिष्टमण्डल, प्राधिकार के स्तर और उत्तरदायित्व, नियंत्रण का विस्तार, पर्यवेक्षक की भूमिका । संचार और प्रेरणा स्रोत की समस्याएं ।

उत्पादन और वस्तु सूचक नियंत्रण । प्रचार नियंत्रण । समय और गति का अध्ययन । संयम की स्थापना और कार्य की माप तोल ।

17. उच्च संभाविता और यादृच्छिक क्रियाविधियां (कोड—15)

(क) उच्च संभाविता, संभाविता माप, यादृच्छ पद, बंटन फलन का विघटन, यादच्छ पदों की प्रत्याशी । प्रतिबंधी संभावित और प्रतिबंधी प्रत्याशाए, अनुक्रम का एकीकरण और स्वतंत्र यादृच्छ पदों का योग कालमो गोरोव की विषमता, बहुत संस्थाओं का कठोर और कमजोर नियम बंटन में एकीकरण, अपविद्ता और सातत्य के सिद्धांत गुणनफल अद्वितीय सिद्धांत प्रतिव्योम सूच, केन्द्रीय सीमा सिद्धांत पूर्ण की समस्याएं ।

(ख) यादृच्छिक क्रियाविधियां :

यादृच्छिक क्रिया विधियों की परिभाषा और वर्गीकरण

अनुक्रम (वास्तविक समय का इंटरनल या विविकल) से इंडेक्स की हुई वास्तविक यादृच्छ पद के समूह के रूप में यादृच्छिक क्रियाविधियां । सीमित आयोग वितरण कार्यों की श्रेणी और उससे संबंधित कोलमोगो रोव का सापेक्षता संबंधी विवरण ।

यादृच्छ पदों में निर्भरता के विभिन्न प्रकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्र विकास मारटिंगेल्स । मार्को निर्भरता, विस्तृता और संकुचित प्रकार की अमलता । मार्को व क्रियाविधियां. डिस्क्रीट पैरामीटर सहित और सीमित व डोन्यमिरेवल्व एटेट स्पेसिस सहित पूर्णतः अचल मार्कोव कार्यविधि (मार्कोव चेस के नाम से भी विख्यात) संक्रमण संभावना मैट्रिसेसस. स्थितियों का वर्गीकरण और स्थितियों की श्रेणियां ।

लगातार पैरामीटर सहित मार्कोव कार्यविधि डिस्ट्रीट स्टेट स्पेशः कोलगोगोरोव का फावर्ड और बेकवर्ड समीकरण,

जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित साधारण समयोपेक्षी यादृच्छिक कार्यविधियां मत्सय कार्यविधि। विशुद्ध जन्मकार्य विधियां जन्म मृत्यु कार्यविधियां, जन्म मृत्यु कार्यविधि (बाद के दो प्रकार को लाईजियर प्रोसेस के मामले में पूर्ण हल) ।

विस्तृत कार्यों में अचल कार्यविधि और डिस्क्रीट पैरामीटर :

सह विभेदीकरण कार्य, सहविभेदीकरण कार्य कार्यविधि का स्पेकट्रेल रिप्रेजेंटशन, अकल कार्यविधियों के पारस्परिक निष्पादनों के उदाहरण सामान्य राशनल स्पेक्ट्रेल डेंसीटी के उदाहरण ।

18. सांख्यिकीय अनुमान—(कोड—16)

नोट—उम्मीदवार को खण्ड 'क' और 'ख' अथवा खण्ड 'क' 'ग' प्रश्नों का उत्तर देना होगा ।

(क) (I) **प्राक्कलन**

प्राक्कलन की विभिन्न विधियां अधिकतम संभाविता की विधि, न्यूनतम वर्ग विधि गुणविधि, लघुतम वर्गों की विधि, अधिकतम संभावित आगणक के अनंतस्पर्शी गुण धर्म ।

कमर राव असमता और बहुतसमष्टिक मामलो में उसका सामान्यीकरण परिबंध। पर्याप्त सांख्यिकी गुण खण्डन प्रमेय, पिटमेन-कूपमैन-डरमोहस प्रकार के बंटलन पर्याप्त सांख्यिकी के न्यूनतम सैट, राव ब्लेक वेक्त का प्रमेय। सभाविता बठन का पूर्ण परिवार पूर्ण सांख्यिकीय। न्यूनतम प्रसरण प्राक्कलन पर लेहमान शेफे का सिद्धांत।

(II) परिकल्पनाओं का परीक्षण

परिकल्पना परीक्षण का नैमिनयिसैन सिद्धांत। यादृच्छिक अयादृच्छिक परीक्षण।

अति शक्त और समानतः अधिसशक्स परीक्षण। 'नेमेन, पियर्सन की मूल प्रमेयिका। ... त्रुटि, परीक्षणों की सामजस्यता और उक्षता। समान क्षेत्र स्थानीय अनुकूलत्तम गुणधर्म सहित परीक्षा 'ए' 'ए' व 'ए'। 'बी' सी' तथा 'डी' किस्म के संशय अंतराल। पूर्णता और एकरूपता वाले सिद्धातों में संबन्ध। परीक्षण विन्यास का संभाविता अनुपात सिद्धांत और उसके कुछ प्रयोग।

(III) गैर-प्रचालिक परीक्षण

क्रम आकड़े लघु प्रति चयन और दीर्घ प्रतिचयन बंठन मुक्त विश्वस्त अंतराल। निम्नलिखित के लिये बंठन मुक्त क्षेत्रः—

(i) आसंजन सोष्ठव का वर्गीय परीक्षण, कोलमोगोराव सिग्रानोव परीक्षण।

(ii) जो जनसंख्याओं की तुलनाः चाल परीक्षण, डिक्सन का परीक्षण विलकाक्सन का परीक्षण सांख्यिकी परीक्ष, लक्षण परीक्षण, फिमरपिटमैन का परीक्षण।

(iii) स्वातंत्रय, असंगता, का वर्ग स्पयरमेन और केंडल का कोटि सह संबंध गुणांक।

असमष्टीय परीक्षणों के बृहत प्रतिचयन गुणधर्म। द्विशूलीय न्यास (यूस्टैटिक्टिक्स) और उनके सीमात बंठन।

(ख) निर्णय फलन

सांख्यिकीय योजना और उससे संबंधित चयन के सिद्धांत। सांख्यिकीय योजना के रूप में सांख्यिकीय समस्याओं का निरूपण, निर्णय फलन, यादृच्छिक और आयादृच्छिक निर्णय के नियम। मिनिमक्स बोर्ड के न्यूनतम खेद निर्णय नियम। वर्ग त्रुटि हानि फलन में ग्राह्य और मिनिमेक्स प्रावक्लन। परीक्षार्थी के बलिष्ट पूर्ण वर्ग।

पर्याप्त का सिद्धांत और अप्रसरण का सिद्धांत। हंट स्टीम प्रमेय। मिनिमक्स अप्रसरण निर्णय नियम।

(ग) बहुवर विश्लेषण

बहुवर सामान्य बठन, माध्य सादिश और सह प्रसरण आव्यूह का प्रावक्लन, प्रतिचयन माध्य सादिश और अज्ञात आव्यूह का प्रावक्लन, प्रतिचयन माध्य सादिश और अज्ञात आव्यूह का प्रावक्लन, प्रतिचयन माध्य सादिश और अज्ञात आव्यूह के साथ माध्य सादिश मे सबंधित अनिमिति का बंठन 'टी' के अनुकुलतम गणक। सामान्य सह संबंध में एक या और कनेक्षया सामाश्रयण गणक केहरेल फिशर का निमेय विशार्ट बंटन विशर्ट का वर्गागुणधर्म प्रसरण का सामान्यीकृत विश्लेषण विहित चर और विहित सह संबध अनेक सह प्रवरण आव्यूहों की समानता।

19. प्रयोग अभिकल्प (कोड—17)

परीक्षण के सिद्धांत.—यादृच्छिककरण पुनरावृत्ति और त्रुटि नियंत्रण त्रुटिनियंत्रण के उपाय, परीक्षण इकाईयों/आकार प्रकार और बनावट का चयन, परीक्षण इकाईयों का समूह।

प्रसरण विश्लेषण के मूल मान्यताएं। उप-संयोज्यता, प्रसारण विषमाग और अप-सामान्यता का प्रभाव। स्थान्तरण। शुद्ध और मिश्रित माडल। सहकर्ता चरों का उपयोग। सहप्रसरण विश्लेषण।

अपूर्ण खण्ड नमूनों का निर्माण और विश्लेषण (अंतं-खण्डीय जानकारी सहित या रहित) गवाक्ष नमूने आंशिक रूप से सतुलित खंड नमूने, कुछ दिशाओं में विषमागता दूर करने के लिए हाई पर ग्रैसियो लेटिन स्केवेयर और अन्य नमूने।

गुणनफलों के नमूनों का निर्माण और उनका विश्लेषण, समानांतरण श्रेणी में गुणनफलों के परीक्षण से प्राप्ति, पूर्ण और आंशिक संतुलित प्रांति। मुख्य प्रभावों की प्रापित विघटित क्षेत्र आंवटित क्षेत्र तथा अन्य नमूने। गुणनफल अम्बावृद्धि। गुणात्मक और संख्यात्मक गुणनखंडों का परीक्षण।

लुप्त या मिश्रित उपजों के परीक्षण के लिये विश्लेषण की विधियों अलम्ब कोणीय आकड़ों का विश्लेषण। परीक्षण वर्गों के परिणामों का सयोजन अनुक्रिया वक्र और अनुक्रिया का प्रमाणिकरण।

20. शुद्ध गणित। (कोड—18)

सहज धरों के कार्य डीड काइड-विधि से परिमेय संस्थाओं में से सहज सस्थाओं के निर्माण की प्रणाली। अनुक्रम और फलन की सीमाएं और प्रतिबंध अनुक्रम के आंशिक और साम्य रूपक परिवर्तन अगत श्रेणी और अनंत गुणनफल।

मीटर अवकाश खुले और बंद कुलक सतत फलन और समस्यता, अभिसरण और पूर्णता पूर्ण मीटर अवकाशों में समावेशी और बंद कुलको का प्रमेय। मीटर अवकाशो में समावेशी और बंद कुलकों का प्रमेय। मीटर अवकाशों और यूक्लिडियन अवकाश समस्त सातत्व और अरजका प्रमेय। मीटर अवकाशो में संजय कुलक।

एक अथवा अनेक यथार्थ पदों के फूलन की अवकलनीयता मध्य मूल प्रयोग एक अथवा अनेक पदो के फलन में टेलर वृत विस्तार। लंगरेज गुणकों सहित फलनों का चरम मूल्य। अस्पष्ट और प्रति लोमफलन प्रमेय। फलनीय आश्रितता और जेकोवियन।

रामान अनुफलन, अनुफल फलना के माध्य मूल—प्रमेय अनुफलन गणित। अनुचित अनुकूल। अनुकलों का अभिसरण।

बहुत अनुकूल ग्रीन और स्टोक्स के प्रमेय माप सिद्धांत: लेबिसेन्यु माप, माप योग्य कुलक और उनके गुणधर्म । माप योग्य फलन । परिमित माप के कुलकों पर पिरसीमित फलनों कालेजिमग्यु अनुकल । अनृण फलन का अनुकल । सामान्य लैजिसग्यु अनुकल । माप में अभिसरण फलऊफी प्रमेयिका । एक दिष्ट प्रभावी और परिसीमित अभिरण प्रमेयीका । विटासी व्याप्ति प्रमेय । परिसीमित चरों का प्रसरण । निरपेक्ष सतत फलन । अनुकल कलन का आधार मूभूत प्रमेय स्टीलजेंस अनुकलन ।

जटिल पदों का फलन :— वैश्लेणिक फलन । कोसी रोमन सभी जटिल फलनों का समाकलन । कोशी का मूल मूल प्रमेय और समाकलन सूच । मेरिरा प्रमेय । टेलर और लारेन्ट-विस्तार शून्य और ध्रुव विचित्रताएं । अविशिष्ट प्रमेय और उसके उपयोग । तर्की सिद्धांत रोशी प्रमेय । अधिकतम मापांक सिद्धांत और स्वार्ज प्रेमेयिका ।

द्वितीय स्थानांतरण । अनुकोण निरूपण ।

दुहरे आवर्तीफलन । वायरस्ट्रास फलन । जकोबी के एस एन, सी एम डी एन, (Sn, Cm. Dn.) फलन । दीर्घवृत्तीय समाकल ।

21. शुद्ध गणित-II (कोड—19)

आव्यूह तथा सारणिकी सहित आधुनिक बीजगणित :—

समूह और अर्द्ध समूह । समस्यता । स्थानांतरण समूह । केले प्रमेय, चक्रीय समूह । क्रमचयं सम और विषम क्रम चय । सहमुलक समूहों का विघटन । लेगरेज प्रमेय अचल उप समूह और गुणांक समूह । समस्थता और स्वस्थता । सयुम्मी तथ्य सामान्य श्रेणियां मिश्रित श्रेणियां और मोर्डन हाल्डर प्रमेय ।

वलय:—अनुकल प्रान्स, भाग वलय क्षेत्र । आव्यूह वलय । चतुष्ठय: उपवलय ।

आदर्श:— महिष्ठ प्रधान और मुख्य आदर्श । अद्वितीय गुणनखण्ड प्रान्त अन्तरवलय पूर्ण संख्याओं का आदर्श और अंतर वलय । फरमेंट प्रमेय । वलयों की समस्कता ।

क्षेत्र विस्तार—बीजगणित और बीजातीत क्षेत्र विस्तार गैलाइंस सिद्धांत के अवयव और अवयवों द्वारा समीकरण के हल में उसका उपयोग । सदिश अवकाश क्षेत्र । उप अवकाश और उनका बीजगणित । एक धातीय स्वायंतम, आधार, विस्तार, गुणक अवकाश । समस्यता और सादिश अवकाश ।

एक धातीय समीकरण पद्धति

आधार, विस्तार, गुणक अवकाश । समस्यता और सादिश अवकाश ।

एक धातीय समीकरण पद्धति । बाव्यूह पद । आव्यूहों के तुल्य संबंध प्रारम्भिक आव्यूह, श्रेणी तुल्यांक, तुल्यांक समस्तया ।

सदिश अवकाशों पर एक धातीय स्थातरण, उनकी कोटि और शून्यता द्वेत अवकाश और द्वैत आधार । एक धातीय, द्विधातीय और चतुष्टयस्य कोटि और चिह्न, चतुष्ठय रूप का विहित रूप का विहित रूप में लघुकरण और दो चतुष्टय रूपों का युगपत लघुकरण ।

सारणिक फलन, उसका अस्तित्व अद्वितीयता । सारणिक विस्तार का लैप्लेस की विधि दो सारणियों का गुणनफल । वीनेट—कोशी सूत्र आ सवण और अलिपष्ठ बहुपद, प्रमयोत्पन्न मान और प्रथमल्फि सदिश । केले हैमिल्टन प्रमेय । विकर्णीकृत प्रमेय ।

घन-विमितीय ज्यामिति:—हन विमितीय ज्यामिति के अवयव । डेक्सार्ग का प्रमेय । एकमोतीय अवकाशों के स्थातंत्रय की मात्रा । द्वैतता । समानान्तर रेखाएं । दीर्घवृत्तीय अति-परवलय, यूक्लीडियन और प्रक्षेपीय ज्यामितियां । सपाट धरातल (सम-I) के समानान्तर रेखा । एन-परिस्पारिका संकोण रेखाएं । सपाट अवकाशों के बीच का अंतर और कोण ।

उत्तल आ कुलक और उत्तल शंकु । उत्तल आवरण अतिसमतलों के पृथक करने के प्रमेय । तत से प्रतिबंधित बंद उत्तल कुलाक का प्रमेय । जिनके प्रत्येक आलंबी अति-समतलों में चरमबिन्दु होते हैं । चरम बिन्दुओं का उत्तल आवरण । उत्तर बहुतलशंकु । क्षेत्रों के एक घातीय स्थान्तरण । अवकल ज्यामितः अवकाश वक्र, वेष्टन उन्नये आधार । वक्र से संबंधित उन्नेय । आधारग्रत वक्र धातीय निदेशांक । प्रथम और द्वितीय आधारभूत रूप । सामान्य खण्ड को वक्रता। वक्रकृति की रेखाएं । संयुग्म विधियां । अनंतस्पर्शी रेखाएं । गोल और काडाओं के समीकरण । धरातल पर दो बिन्दुओं के बीच की सबसे छोटी रेखा और दो बिन्दुओं के बीच की सबसे छोटी समानान्तर रेखा रेखित आधार ।

22. शुद्ध गणित-III (कोड—20)

संख्यात्मक विश्लेषण और अवकल समीकरण । परिमित अवकल । अन्तर्वेशन । वहिर्वेशन । प्रतिलोप अन्तर्वेशन । संख्यात्मक अवकल और संख्यात्मक अनुकल । प्रथम श्रेणी के अवकल समीकरणों की उत्पत्ति, एक धातीय अवकल समीकरणों के सामान्य गुण धर्म । स्थिर गुणांकों के साथ एक धातीय अवकल समीकरण ।

सामान्य अवकलन समीकरणों की उपत्ति । उपपति शुरु करने और उप पति जारी रखने की विधियां । सम्मिलित एक धातीय समीकरण और उनकी उपपति बहुपत समीकरणों के मूलधन विधि द्वारा सामान्य नियमों की उपपति । नोमोग्राम । अवकलन समीरण: डीवाई / डी एक्स-एफ (एक्स वाई) । (dy/dx-f(xy)/कि हल का अस्तित्व प्रमेय ।

प्रथम कोटि के एक धातीय और अधातीय समीरण । स्थिर गुणांकों के साथ एक धातीय समीरण । समस्त एक धातीय समीकरण । दूसरी कोटि के एक धातीय समीरण । श्रेणी गत अनुकलों की फोवन साविध । लीजेन्डर और हरमिट समीकरणों की उपपति । लीजेन्डु और हरमिट बहुपदों और हरमिट फलनों के प्रारम्भिक गुण धर्म । सम्मिलित एक धातीय समीकरणों की विधियां । तीन तर्गों के साथ पूर्ण अवकल समीकरण ।

आंशिक अवकल समीकरण: पहली और दूसरी कोटि के आंशिक अवकल समीकरण लेगरेज, चारिमिव और मोगों की विधियां । स्थिर गुणांकों के साथ एकधातीय आंशिक अवकल समीकरण । पदों के पृथकरण द्वारा लाप्लास तरंग और विचरण समीकरण की उपपति ।

विचरणों का फलनः— यजूर समीरण के न्यूनतम व्युत्पत्ति की अनिवार्य शर्तें : हैमिल्टन का सिद्धांत । हैमिल्टन वादी । समपरिमापी निमर्य । पद और बिन्दु निर्भेद अनुकूल फलनों का लघुतम । ग्रोन्जा । निर्मेय । गहा अनुकल निर्मेय । विचरणों का फलन को प्रत्यक्ष विधियों द्वितीय विचरण और लघुतम के लिये जोजेन्द्र की अनिवार्य शर्तें ।

हरात्मक विश्लेषण: केरियार श्रेणियों द्वारा फलन प्रदर्शन । डीरविले । समाकल । रोमन लेबिमन्यू प्रमेय । रोमन का स्थानीकरण प्रमेय । फेरियर श्रेणियों (जोर्डन, डिनी, एण्ड डी० ला बल्ली पोलिन) के अधिकरण के लिये यथेष्ट शर्तें, कैरियर अनुकूल प्रतिचयन प्रमेय ध्रात वर्णक्रम । रजसह संबंध और अनुप्रबंध सह संबंध ।

23. प्रयुक्त गणित (कोड—21)

स्पेतिकी, असमततीय दलों में दृढ़ पिंड के साथ की सदिस प्रतिपादन । केन्द्रीय अक्ष । आमासी कार्य के सिद्धांत । स्थिरता । केन्द्रीय कलो की ज्याए । सादा और समतली वक्रों पर ज्या का साम्य । लचक ज्या । दण्ड, डिस्क और कलश के विभव और आकर्षण ।

गति विज्ञान—न्यूटन के गति नियम डी एलेम्बर्ट का सिद्धांत । रेलिक गति आवेगी कल और संवछुटन । संवेग और ऊर्जा का सिद्धांत । स्वांतत्र्य और निष्द्धता की मात्राएं । सामान्वीकृत निर्देशांक । समय स्वतन्त्र प्रणाली का लेगरेज समीकरण । यूलर के गतिकीय और ज्यामितिय समीकरण । हैमिल्टन का सिद्धांत । हैमिल्टन का समीकरण । बहुपिंड का परिचय ।

द्रव गति विज्ञान : यूलर और लेगरेज के गति समीकरण । ग्रीस रेखाएं । आवर्तिता और संचरण तथा आदर्श द्रवों में उनकी स्थिरता ।

बरनौली का प्रमेय और उसका प्रयोग । सिलिंडेरा और बलायों के चतुर्दिक विभव प्रभाव ब्लूशेस का प्रमेय और उसका प्रयोग । प्रेवक्तीय नियमों को उपपति की प्रति-बंध विधियां और अनुकोण स्थांतरण । आवर्तगति के सामान्य गुणधर्म अद्वितीयता प्रमेय । सांद्र देव । नेपियार-स्टीक्स के समी-करण । सामान्तर दीवारों और सीधे पाईपों मे प्रवाह । श्रोसीन और स्टाक्स कैसोमिकट गुलय पूर्व मंद गति ।

विधुत और चुम्बकत्व : क्लोम्ब नियम । जार्जेज । धातक और धारित्र । विधुत पारक । स्थिर करेंट । करेंटों के चुम्बकीय प्रभाव प्रेरित करेंट और क्षेत्र । मेक्लेसेल समीकरण । दो माध्यमों के श्रंतः पृष्ट की विधुत चुम्बीकीय दशाएं । विधुत चुम्बकीय विभव, भार और ऊर्जा । पीयटिंग का प्रमेय । जूल उष्मा । प्रत्या-वर्ती करेंट समूषणधरमी विधुत पारक में विधुत चुम्बकीय तरंगें । विधुत चुम्बकीय तरंगो परावर्तन और वर्तन । चालित माध्यम तरंग ।

ऊष्मागतिको :— ऊष्मा, ताप और एन्ट्रोपी की परिभाषा की संकल्पना ऊष्मापतिको के प्रथम और द्वितीय नियम । विशिष्ट ऊष्मा । अवस्था परिवर्तन । वादप दवाव । ऊष्मा चालन । विकिरण । प्लेक का नियम । स्टीफन का नियम । ऊष्मागति को के फलन और विभव । किरण पमान्निर्णो और निवका व्यवस्था नियम ।

सांख्यिकीय यांत्रिकी : आकृति अवकाश के ज्यामिति और प्रगति को · मेक्सवेल-व बोल्जमेन, ओस—डाई आईस्टीन और फर्मी डिरेक के आंकडे ।

(भाग—ख)

मौखिक परीक्षा

उम्मीदवारों का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों के बोर्ड द्वारा किया जायेगा, जिसमें प्रख्यात शिक्षा शास्त्री भी होंगे । बोर्ड के सामने उम्मीदवार का सर्वांगीण जीवन वृत्त होगा । साक्षात्कार का उद्देश्य यह है कि जिस सेवा या जिन सेवाओं के लिये उम्मीदवार में परीक्षा मे सम्मिलित हुआ है, उसके/उनके लिये व्यक्तित्व की दृष्टि से वह उपयुक्त है अथवा नहीं । साक्षात्कार उम्मीदवार के सामान्य और विशिष्ट ज्ञान और योग्यता की जाच करने के लिये लिखित परीक्षा को सम्पूर्ण करने के उद्देश्य से लिया जाता है । उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि वे केवल अपने विद्या-ध्ययन के विशेष विषयों में ही सूझ बूझ के साथ रुचि न लेते हों, अपितु उन घटनाओं मे भी रुचि लेते हो, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश की भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधाराओं में और नई खोजों में रुचि लें, जिनके प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती है ।

साक्षात्कार जटिल परिमृच्छा की प्रक्रिया नहीं है अपितु स्वाभाविक निदेशन और प्रयोजन युवकवार्तालाप की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारो के मानसिक गुणो और समस्याओं को समझने की शक्ति का उद्घाटन करना है । बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों का मानसिक सतर्कता आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति संतुलित निर्णय की शक्ति और मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति संतुलित निर्णय की शक्ति और मानसिक सर्तकता, सामाजिक सगठन की योग्यता, चारित्रिक ईमानदारी नेतृत्व की पहल और क्षमता के मूल्याकन पर विशेष बल दिया जाएगा ।

परिशिष्ट III

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है, उनका संक्षिप्त ब्यौरा :—

1. जो उम्मीदवार दोनों से किसी भी सेवा के लिये सफल होंगे, उनकी नियुक्ति उस सेवा के ग्रेड IV में परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी, और इस अवधि को घटाया भी जा सकता है । सफल उम्मीदवारों की परख की अवधि में भारत सरकार के निणयानुसार निर्धारित प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम और शिक्षण तथा परीक्षा पास करनी होगी ।

2. यदि सरकार की राय में किसी परखाधीन अधि-कारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है ।

3. परख अवधि या उसकी बढ़ाई हुई अवधि की समाप्ति पर यदि सरकार की राय में उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के लिये योग्य नहीं है, तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है ।

4. यदि सरकार की राय में उम्मीदवार ने संतोषजनक रूप से अपनी परख अवधि समाप्त कर ली है, और यदि वह स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाये तो उसे स्थायी पदों में मौलिक रिक्तियों उपलब्ध होने पर पक्का कर दिया जायेगा ।

5. भारतीय अर्थ सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा के निर्धारित वेतन मान निम्नलिखित हैं :—

चयन ग्रेड (सलेक्शन ग्रेड)—रु० 2000-125/2-2250

ग्रेड I निदेशक—रु० 1800-100-2000

ग्रेड-II संयुक्त निदेशक—रु० 1500-60-1800

ग्रेड-III उप निदेशक—रु० 1100-50-1600

ग्रेड-IV सहायक निदेशक—रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300

6. उक्त सेवा के अगले ग्रेड में पदोन्नति के समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय अर्थ सेवा / भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी ।

भारतीय अर्थ सेवा / भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत भारत में कहीं भी या भारत के बाहर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है । अथवा इनको निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है ।

7. दोनों सेवाओं के अधिकारियों को छुट्टी पेंशन और सेवा शर्तें उसी प्रकार होंगी जो भारत के मूल नियम (फंडामेंटल रूल्ज) और सिविल सेवा विनियम (सिविल सर्विस रैगुलेशन्स) में दी गई हैं और जिनमें सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन हो सकता है ।

8. समय-समय पर संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियमावली (जनरल प्राविडेंट फंड-सैन्ट्रल सर्विसेज रूल्ज) के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे ।

परिशिष्ट-I

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए दिये जा रहे हैं ताकि इस बात का पता लगा सके कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य अपेक्षित स्तर का है या नहीं । यह विनियम मैडिकल परीक्षणों के मार्गदर्शन के लिये है और जो उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित की गई न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, उसको मैडिकल परीक्षक स्वस्थ घोषित नहीं कर सकते । किंतु जब मैडिकल बोर्ड की यह राय हो कि उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित स्तर के अनुसार स्वस्थ नहीं है तो भी मडिकल बोर्ड को यह अनुमति है कि वह भारत सरकार को विशेषकर लिखे हुए कारणों द्वारा सिफारिश कर सकता है कि उसको सरकार को हानि बिना नौकरी में लिया जा सकता है ।

परन्तु यह साफ-साफ समझ लेना चाहिये कि भारत सरकार अपने निर्णय में मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के साथ किसी उम्मीदवार को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रखती है ।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो ।

2. भारतीय (एंग्लों इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों के आयु कद और छाती के घेरे के परस्पर संबंध के बारे में मैडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंधी आंकड़े सब से अधिक उपयुक्त समझे व्यवहार में लाए । यदि वजन, कद, छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिये उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिये और छाती का एक्सरे लेना चाहिये । ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य घोषित करेगा ।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से नापा जायेगा :— वह अपने जूते उतार देगा और उसे मापदण्ड (स्टेन्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जायेगा कि कि उसके पांव आपस में जुड़े हुए रहें और उसका वजन सिवाए एड़ियों के, पावों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े । यह बिना अकड़ सीधा खड़ा होगा और उसकी ऐड़ियां, पिंडलियां, नितंज और कंधे माप दण्ड के साथ लगे होंगे । उसकी ठोढ़ी नीची रखी जायेगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ दि हैडलेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाये । कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में नापा जायेगा ।

4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर सटी हों । फीते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया जायेगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर एंगल्स) से लगा रहें और यह फीते की छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहें । फिर भुजाओं को नीचे किया जायेगा और उन्हें शरीर के साथ ढीला लटका रहने दिया जायेगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किये जायें जिससे कि फीता न हिले । अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जायेगा और छाती को अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जायेगा, 84-89-86-93 आदि । नाम को रिकार्ड करते समय एक सेंटीमीटर से कम के भिन्न (फ्रेशन) को नोट नहीं करना चाहिये ।

नोट :— अंतिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवार की ऊंचाई और छाती दो बार मापी जायगी ।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जायगा और उसका वजन किलोग्रामो मे रिकार्ड किया जायेगा । आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नही करना चाहिये ।

6 (क) उम्मीदवार की नजर की जाच निम्नलिखित नियमो के अनुसार की जायेगी । प्रत्येक का परिणाम रिकार्ड किया जायेगा ।

(ख) चश्मे के बिना नजर (नेकड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नही होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मैडिकल बोर्ड या अन्य मैडिकल प्राधिकारी दर से उसे रिकार्ड किया जायेगा । क्योंकि इससे आख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जायेगी ।

(ग) चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर की निम्नलिखित मानक निर्धारित किया जाता है :—

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आख	खराब आख (शोधित दृष्टि)	अच्छी आख	खराब आंख (सशोधित दृष्टि)
6/9	6/9 अथवा		
6/9	6/12	जे० I	जे० II

(घ) निकट दृष्टि के प्रत्येक मामले मे, फंडस परीक्षा की जानी चाहिये और उसका परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिये । व्याधिकृत दशा मौजूद होने पर जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की दक्षता पर प्रभाव डाल सकती है, उसे अयोग्य घोषित किया जाए ।

(ङ) दृष्टि क्षेत्र :—सम्मुसन विधि (कंफ्रेंटेशन मैथड) द्वारा क्षेत्र की जाच की जाएगी । जब ऐसी जाच का नतीजा असतोषजनक या सदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परिमापी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिये ।

(च) रतौंधी (नाइटब्लाईडनेस) साधारण तथा रतौंधी दो प्रकार की होती है (क) विटामिन (ए) की कमी होने के कारण और रेटीना के व्यावहारिक रोग के कारण रेटीनीटिस प्रिगमेटोसा होता है । जिसका सामान्य कारण ऊपर बताई गई (1) की स्थिति मे फंडस में प्रसामान्य होता है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियो मे और कम खुराक खाने वाले व्यक्तियो मे दिखाई देता है और अधिक मात्रा में विटामिन 'ए' के खाने से ठीक हो जाता है, ऊपर बताई गई (2) की स्थिति मे फडस की खराबी होती है और अधिकाश मामलो मे केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता है । इस श्रेणी का रोगी प्रौढ होता है और खुराक की कमी से पीडित नही होता है । सरकारी ऊची नौकरियो के लिये प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग मे आते है ।

उपर्युक्त (1) और (2) दोनो के लिये अंधेरा अनुकूलन परीक्षा से स्थिति का पता चल जाएगा । उपर्युक्त (2) के लिये विशेष तथा फडस खराब नहीं हो तो इलक्ट्रोरेटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है । इन दोनो जाचो मे (अधेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी) मे समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और समान की आवश्यकता होती है और इसलिये साधारण चिकित्सक जाच के लिये ये दोनो सभव नही । तकनीकी वार्ता को ध्यान मे रखते हुए मत्रालय/विभाग को चाहिये कि वे बताएं कि रतौंधी के लिये इन जाचो का करना अनिवार्य है या नही, यह इस बात पर निर्भर होगी कि पद से सबंध काम की आवश्यकता क्या है और जिन व्यक्तियों की सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनकी ड्यूटी किस तरह की होगी ।

(छ) दृष्टि को पकड़ से भिन्न आख की व्यवस्थाएं (आवयूलर कडीशन्स) —

(i) आख की उस बीमारी को या बढती हुई बर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रैक्टेव ऐरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कराण समझना चाहिए ।

(ii) भैंगापन (स्क्विंट) : तकनीकी सेवाओं में जहां द्विनेत्री (बाईनोकुलर) दृष्टि का होना अनिवार्य हो, दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भी भैंगापन अयोग्यता का कारण समझाना चाहिये ।

(iii) एक आख वाले व्यक्ति—यदि किसी व्यक्ति की एक आंख हो अथवा एक आख की दृष्टि सामान्य हो और दूसरी आंख की दृष्टि एम्बल्यामिक अथवा अर्ध सामान्य हो तो आमतौर पर उसका प्रभाव यह होता है कि गहराई को देखने के लिये स्टीरियो स्कोपिक दृष्टि उसकी कमजोरी होती है । अनेक सिविल पदों के लिये उसकी आवश्यकता नही होती, मैडिकल बोर्ड ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश कर सकते है यदि उनकी सामान्य आख में—

(i) ऐनक के साथ या ऐनक के बिना दूर की दृष्टि 6/6 और समीप की दृष्टि जे०-I हो, परन्तु शर्त यह है कि किसी भी मैरोडियन मे गति दूर की दृष्टि के लिये 4 डायोस्टीयर से अधिक न हो ।

(ii) उसकी दृष्टि का क्षेत्र पूरा हो ।

(iii) रगों की सामान्य पहचान हो, जहां भी इसकी आवश्यकता हो, परन्तु शर्त यह है कि कोई इस बात से संतुष्ट हो कि उम्मीदवार संबंधित पद के सभी कार्य करने में समर्थ हो ।

(ज) कन्टैक्ट लैंस—(Contact Lenses) उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टेक्ट लैंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होती । आख की जाच करते समय यह आवश्यक है कि दूर की नजर के लिये टाईप किये हुए अक्षर 15 पादवर्ती (फुट कैन्डल) से प्रकाशित हों ।

7. रक्त दाब (ब्लड प्रेशर)

रक्त दाब के सबंध मे बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा ।

नार्मल उच्चतम सिस्टोलिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है :—

(i) 15 से 25 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों की औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 होता है ।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर की आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी

श्रायु सम्मिलत करें। यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दिजिये :—सामान्य नियम के रूप में 140 से सिस्टासिक प्रेशर को 90 के ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध समझ लेना चाहिये और उम्मीदवार के योग्य या अयोग्य होने के संबंध में अपनी अन्तिम राय देने से पहले उम्मीदवार बोर्ड को चाहिये कि वह उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिये कि घबराहट (एक्साईटमेंट आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या उसका कारण कोई कायिक (आंगेकि) बीमारी हैं। ऐसे सभी केसों में हृदय का एक्सरे और विद्युत् हृद लेखी (इलैक्ट्रोकार्डियो ग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (क्लायरेंस) की जांच भी नैमी रूप से की जानी चाहिये फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने पर या न होने के बारे में अंतिम फैसला मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

रक्त दाब (ब्लड प्रेशर) लेने का तरीका

नियमत: पारे वाली दाबमापी (मर्करी मेनोमीटर) किस्म का आला (इन्स्ट्रुमेंट) इस्तेमाल करना चाहिये। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लैटा हो बशर्ते कि वह और विशेष कर उसकी भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिये। कफ से पूरी तरह हवा निकालकर बीच की रबड़ की भुजा के अन्दर की ओर रख कर और इसके निचले किनारे की कोहनी के मोड़ के एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिये। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर सामान रूप से लपेटना चाहिये। ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रचंड धमनी (ब्रिकअल आर्टरी) को दबा दबा कर ढूंडा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों बीच स्टेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे धीरे हवा निकाली जाती है। इसकी क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह स्टिालिक प्रेशर दर्शाता हैं। जब और हवा निकाली जायेगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय हो जाएं, वह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिये। क्योंकि कपल के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिये क्षेम कर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दो बार पड़ताल हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही सेवा किया जाय। (कभी-कभी कफ मे से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती है। दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्न्तर स्तर पर पुन: प्रकट होती है। इस माईलेन्ट्गम से रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किये गये मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिये और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिये। अब मैडिकल बोर्ड की किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड उसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि कोई उम्मीदवार को ग्लूकोज (ग्लाईकोयूरिया) के सिवाय, अपेक्षित मैडिकल फिटनैस के स्टैंड्र्ड के अनुरूप जाए तो वह उम्मीदवार इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज में अमधुमेह (नान डायबेटिक) हो और बोर्ड केस को मैडिसन के किसी ऐसे निदिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मैडिकल स्टैंडर्ड ब्लडशुगर टालरेंस टैस्ट समेत जो भी बिलनिकले या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मैडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मैडिकल बोर्ड का 'योग्य' या 'अयोग्य' की अन्तिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिये बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिये यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. जो स्त्री उम्मीदवार जांचों के फलस्वरूप 12 सप्ताह या उससे अधिक अवधि की गर्भवति पाई जाए उसे तब तक के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाए जब तक इसकी गर्भावस्था समाप्त न हो जाए। गर्भाशय के समाप्त होने के 9 सप्ताह बाद यदि वह पंजीकृत चिकित्सक के स्वास्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दे तो अरोग्य प्रमाण-पत्र के लिये उसकी फिर से जांच की जाये।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातो का प्रेक्षण करना चाहिये।

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो इसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एण्ड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि उसके कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग-दर्शन के लिये इस संबंध में निम्नलिखित मार्ग-दर्शन जानकारी दी जाती है :—

(1) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन, दूसरा कान सामान्य होना	यदि उच्च फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबेल तक हो तो गैर तकनीकी कान के लिये योग्य
(2) दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोध, जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबेल तक हो तो तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कान के लिये योग्य।
(3) सेन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाईम के टिप्पनिक मैम्बर नेमें छिद्र	(I) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिप्पनिक मैम्बर ने छिद्र विद्यमान हो तो अस्थायी रूप में अयोग्य।

		कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने से दोनों कानों में मार्जिनता या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिये गये नियम 4(II) के अधीन विचार किया जा सकता है ।
		(II) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य ।
		(III) दोनों कानों में सेन्ट्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(4)	एक ओर से / दोनों ओर से मल्टायड कविटी सर्व-नार्मल श्रवण वाले कान ।	(I) किसी एक कान से सामान्य रूप से सुनाई देता हो, दूसरे कान में मल्टायड केविटी होने पर तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कानों के लिये योग्य ।
		(II) दोनों ओर से मल्टायड केविटी तकनीकी काम के लिये अयोग्य, यदि किसी भी कान को श्रवणता श्रवण यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधार कर 30 डेसीबेल हो जाने पर गैर तकनीकी कार्यों के लिये योग्य ।
(5)	बहते रहने वाला कान-आपरेशन किया गया / बिना आपरेशन वाला ।	तकनीकी तथा गैरतकनीकी दोनों प्रकार के कानों के लिये अस्थायी रूप में अयोग्य ।
(6)	नासा-पट की हड्डी संबंधी विरूपताओं (दोनों डिफामिज) सहित अथवा उस से रहित नाम की जीर्ण प्रदाहक/एलर्जिक दशा ।	(I) प्रत्येक मामले को परस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा
		(II) यदि लवणों सहति नासा फट प्रसरण विद्यमान होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य ।
(7)	टांसिल्स और / अथवा एव स्वरयंत्र (लेन्सि) की जीर्ण प्रदाहक दशा	(I) टांसिल्स और/अथवा स्वरयंत्र की जीर्ण प्रदाहक दशा-योग्य
		(II) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप में अयोग्य ।
(8)	कान, नाक, गले (ई० एन० टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुदर्ष ट्यूमर ।	(I) हल्का ट्यूमर अस्थायी रूप में अयोग्य ।
		(II) दुदर्ष ट्यूमर अयोग्य श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता ।
(9)	आस्टोस्क्लिशसिस	30 डेसीबेल के अन्दर होने पर योग्य ।
(10)	कान, नाक अथवा गले के जन्म जात दोष	(I) यदि काम काज में बाधक न हो तो अयोग्य ।
		(II) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य ।
(11)	नेजल पोली	अस्थायी रूप में अयोग्य ।

(ख) कि वह बिना किसी बाधा के बोल सकता है ।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिये जख्मी होने पर नकली दांत लगे हैं / या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दातों को ठीक समझा जायेगा ।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं ।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं ।

(च) उसे रप्चर (हार्निया या फटन) है या नहीं ।

(छ) उसे हाईड्रोसिल, बढ़ी हुई वरिकोसील करिकोज शिरा (वेन या बवासीर है या नहीं) ।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और सभी ग्रन्थियां भलीभांति स्वतंत्र रूप में हिलती है या नहीं ।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं ।

(ञ) उसे कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं ।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं जिससे कमजोर गठन का पता लगे ।

(ठ) कारभर टीके के निशान है या नहीं ।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्युनिकेबल) रोग है या नहीं ।

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिये जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो सभी मामलों (केसेज) में नेमी रूप से छाती की पटक्षेत्र (स्क्रीनिंग) की

जानी चाहिये, जहां आवश्यक समझा जाए, एक छायाचित्र (स्काय ग्राम) लिया जाना चाहिये ।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण पत्र में अवश्य ही नोट किया जाये । मैडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिये कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं ।

12. जहां तक मिली जुली प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों का संबंध है उनके लिये ऊपर पैरा II की नीचे की टिप्पणी में बताई गई अपील करने की कार्यविधि लागू नही होगी । इस परीक्षा के उम्मीदवारों की अपील शुल्क 50 रुपये भारत सरकार के इस संबंध में निर्धारित ढंग से जमा करना होता है । यह फीस केवल उन उम्मीदवारों को वापस मिलेगी जो अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित किये जाएंगे । शेष दूसरों के मामलो में यह जब्त कर ली जायेगी । यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने अयोग्य होने के बाबत दावे के समर्थन मे स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश करनी चाहिये अन्यथा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और उसका खर्चा उम्मीदवार को ही देना पड़ेगा । दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिये कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा । अपीलो के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिये मंत्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी) ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

शारीरिक योग्यताएं (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाईस रखनी चाहिए ।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस मे भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अप्वांइटिंग अथारिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली नपमिर्टी) नहीं जिसे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो ।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य में भी उतना ही संबंध है जितना कि वर्तमान से है और मडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारो के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट किया जाए कि यहां प्रश्न केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नही दी जानी चाहिए जब कि उसमे कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरंतर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो ।

बोर्ड में साधारणतया तीन सदस्य होंगे । (i) एक चिकित्सक (ii) एक शल्य चिकित्सक और (iii) एक नेत्र चिकित्सक । ये सभी यथासंभव साध्य समान स्तर के होने चाहिए । एक महिला उम्मीदवार को परीक्षा के लिए किसी महिला चिकित्सक (लेडी डाक्टर) को स्वास्थ्य बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

भारतीय अर्थ सेवा (इंडियन इकानोमिक सर्विस) भारतीय सांख्यिकीय सेवा (इंडियन स्टेटिस्टीकल सर्विस) के उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी । इस प्रकार के किसी उम्मीदवार के बारे में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है या नहीं ।

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए ।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नही दिया जा सकता ।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बताने वाली छोटी मोटी खराबी चिकित्सा (औषधियां शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिये । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए जो एक दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र हैं ।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा होती है ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उसकी योग्यता के संबंध में अथवा वे उस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से किया जाना चाहिए ।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :—

अपनी मडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उसे साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।

1. अपना पूरा नाम लिखें
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं—

2. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैंड आदिम जाति आदि से संबंधित है जिनका औसत कद दूसरों से छोटा होता है । 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए और यदि उत्तर हां में हो तो उस जाति का नाम बतलाइयें ।

3(क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियों (ग्लेन्डस) का बढ़ाना या इनमें पीप

पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रुमेटिज्म, एपेंडिसाईटिस हुआ है :—

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ता हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई हो :—

4. आप को आदि का अंतिम टीका कब लगा था ?

5. क्या आपको अधिक कार्य या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है :—

6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा है :—

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहिनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

क्या इससे पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?

यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' हो तो बताइये किस सेवा/सेवाओं के लिये आपकी परीक्षा की गयी थी ?——————

परीक्षा लेने वाला आधिकारी कौन था ?——————

कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ? ——————

मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो——————

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिये गये सभी जबाव सही और ठीक हैं ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

——————

मेरे सामने हस्ताक्षर किये ।

बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर

——————

नोट :—उपर्युक्त कथन की यथार्थता का उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जानबूझ कर किसी सूचना को छिपाने से यह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेना और यदि वह नियुक्त हो भी जाये तो कार्धका नियुक्ति भत्ता (सुपरएन्वुशन एलाउन्स) या उपदान (ग्रेचुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

——————की शारीरिक परीक्षा की।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

सामान्य विकास :— अच्छा साधारण

घोषणा :—

पतला —————— औसत ——————

मोटा —————— कद (जूते उतार कर) ———

वजन —————— अत्युत्तम वजन ——————

कब था?—————— वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन ——————

तापमान——————

छाती का घेर :—

(1) पूरा सांस खीचने पर——————

(2) पूरा सांस निकालने पर——————

(3) कलर विजन का दोष——————

(4) दृष्टि क्षेत्र (फिल्ड आफ विजन)——————

(5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी) ——————

(6) फंडस की जांच——————

		चश्मे की पाव
पकड़ चश्मे के बिना	चश्मे से——————	
		गोल सिलि० अक्ष

नजर	दा० ने
	बा० ने
	दा० ने
	बा० ने

4. कान: निरीक्षण——————सुनना

दायां कान—————— बांया कान——

5. ग्रंथियां ——————थाइराइड——————

6. दातों की हालत——————

7. श्वसन तंत्र (रेस्पिरेटरि सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा लेने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पूरा ब्यौरा है।

8. परिसंचय-रण (सक्युलेटरी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक क्षति (आंगनिक लोजन)

——

गति (रेट)
खड़े होने पर

25 बार कुदाए जाने के बाद ——————

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद——————

(ख) ब्लड प्रेशर———मिस्टालिक———

डायस्टालिक ————————————

9. उदर (पेट) : घेर———— दाब वेदना '(टेंपरनेस

हार्निया ————————————

(क) दबा कर मलूम पड़ने, जिगर————

तिल्ली—गुर्दे

ट्यूमर :

(ख) बवासीर के मस्से ————फिस्चुला————

10. तांत्रिक तंत्र (नर्वस सिस्टम) तांत्रिक या मानसिक अशक्ततता का संकेत ————————

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम) कोई विलक्षणता————————

12. जनन मूत्र तंत्र (जेनिटो यूरिनरी सिस्टम) ———

हाईड्रोसील (वेरिकोसील आदि का कोई संकेत)

मूत्र परीक्षा

(क) कैसा दिखायी पड़ता है

(ख) स्पेसिफीक ग्रेविटी (अपेक्षित गुरुत्व)

(ग) हल्यूमेन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट (सेल्स)

13. छाती का पर्दक्षे (स्क्रीनिंग) एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उमीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे यह उसे सेवा को दक्षता पूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता है जिसके लिये वह उम्मीदवार है।

नोट :—यदि उम्मीदवार कोई महिला है और यदि वह 12 सप्ताह या उससे अधिक समय से गर्भवती है तो उसे विनियम 9 के अनुसार अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जायगा।

15(i) क्या वह भारतीय अर्थ सेवा भारतीय सांख्यकीय सेवा में दक्षतापूर्वक और निरंतर कार्य करने के लिये सब तरह से योग्य पाया गया है।

(ii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिये योग्य है।

नोट :—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिये।

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण ————

(iii) अस्थायी रूप से अयोग्य जिसका कारण ————

स्थान ————————अध्यक्ष————

(प्रेसीडेंट)

दिनांक सदस्य

सदस्य

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 1975

सं० एच० 11013/3/74-जे० सी० एम०—सांख्यिकीय विभाग की दिनांक 7/8 सितम्बर 1972 की अधिसूचना सं० एम०-13013/2/72-एन० एस० एस०-1 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार निम्नलिखित सदस्यों की "मूल्य तथा निर्वाह व्यय की सांख्यिकी संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति" पुनर्गठित करती है :—

अध्यक्ष

1. निदेशक
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग।

2. सलाहकार,
रोजगार, श्रम तथा जनशक्ति योजना,
योजना आयोग।

सदस्य

3. अर्थ तथा सांख्यिकी सलाहकार,
कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय।

4. आर्थिक सलाहकार,
वित्त मन्त्रालय आर्थिक कार्य विभाग।

5. आर्थिक सलाहकार,
उद्योग तथा सिविल पूर्ति मन्त्रालय।

6. आर्थिक सलाहकार,
योजना आयोग।

7. सदस्य-सचिव,
कृषि मूल्य आयोग,
कृषि विभाग,
कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय।

8. निदेशक,
क्षेत्र संकार्य प्रभाग,
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन,
सांख्यिकी विभाग।

9. निदेशक, सर्वेक्षण अभिकल्प तथा अनुसंधान प्रभाग
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, कलकत्ता।

10. निदेशक, श्रम ब्यूरो,
श्रम मंत्रालय।

11. सलाहकार (सांख्यिकी)
रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई।

12. निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी ब्यूरो,
महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।

13. निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी ब्यूरो,
उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर।

14. निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी ब्यूरो,
आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद।
सदस्य सचिव

15. संयुक्त निदेशक,
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन,
सांख्यिकी विभाग

2. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि पहली अगस्त, 1974 से दो वर्ष की अवधि के लिए समिति में रहेंगे।

3. पुनर्गठित समिति के कार्य इस प्रकार होंगे :—

(क) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, या केन्द्र प्रशासित प्रशासनों द्वारा परिवार के बजट की जांच करने के लिए सुझावों की जांच;

(ख) उपभोक्ता मूल्य तथा तुलनात्मक मंहगाई सूचकांक तैयार करने के लिए और उनसे संबंधित विशेष समस्याओं को जिसमें अखिल भारतीय तथा राज्य स्तर के सूचकांकों की समस्याएं, भी सम्मिलित हैं, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, या केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा तैयार की गई योजनाओं की जांच करना;

(ग) संकल्पनाओं, परिभाषाओं, मूल्य संग्रहण विधि का सुधार और मानवीकरण तथा उपभोक्ता मूल्य एवं तुलनात्मक मंहगाई सूचकांकों का संकलन;

(घ) थोकभाव, खुदराभाव, उत्पादकों के तथा अन्य मूल्य सूचकांक, तैयार करने के लिए और उनसे सम्बन्धित विशेष समस्याओं की जिनमें अखिल भारतीय तथा राज्य स्तर के सूचकांकों सम्बन्धी समस्याएं भी सम्मिलित हैं, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों या केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा तैयार योजनाओं की जांच करना;

(ङ) संकल्पनाओं, परिभाषाओं, मूल्य संग्रहण विधि और थोकभाव, खुदराभाव, उत्पाद एवं उत्पादों और अन्य मूल्य सूचकांकों का जिसमें प्रत्येक प्रकार के सूचकांकों को समुपयुक्त रूप में भारित करना भी सम्मिलित है, सुधार और मानकीकरण करना;

(च) संग्रहण संकलन और मूल्य सांख्यिकीय के प्रसार के सुव्यवस्थीकरण और एक एकीकृत प्रणाली को ध्यान में रखते हुए संगठानात्मक प्रबन्धों तथा मूल्य संग्रहण हेतु मशीनरी की समीक्षा करना।

4. उक्त समिति को सचिवालयीय सहायता केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन सांख्यिकी विभाग द्वारा दी जायेगी।

वी० डी० आहूजा, अवर सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कम्पनी विधि बोर्ड
नई दिल्ली-1, दिनांक 14 जुलाई 1975

सं० 7(11)-75-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209-क के खण्ड (1) उप-खण्ड (2) के अनुसरण में, कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द द्वारा भारत सरकार कम्पनी कार्य विभाग के निम्नलिखित अधिकारी को कथित धारा 209-क के उद्देश्यों के लिए प्राधिकृत करता है :—

1. श्री टी० एस० वी० पांडुरंगा शर्मा,
उप निदेशक निरीक्षण कम्पनी विधि बोर्ड,
नई दिल्ली।

2. श्री वी० राधाकृष्णन,
सहायक निरीक्षण अधिकारी,
कम्पनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली।

टी० एस० श्रीनिवासन,
संयुक्त निदेशक, निरीक्षण
एवं पदेन उप-सचिव, कम्पनी विधि बोर्ड

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 1975
संकल्प

सं० पी० पी० डी०/ओ० पी० सी०/आई० आर०/75— पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांतों तथा अन्य संबंधित मामलों पर सिफारिस करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बम्बई के अधिशासी निदेशक डा० के० एस० कृष्णस्वामी की अध्यक्षता में दिनांक 16 मार्च 1974 के सरकारी संकल्प के की माध्यम से सरकार द्वारा गठित तेल मूल्य समिति (आइल प्राईसेज कमेटी) (एतस्मिन पश्चात ओ० पी० सी० कहा जायेगा) की अन्तरिम रिपोर्ट पर भारत सरकार ने विचार किया। ओ० पी० सी० (तेल मूल्य समिति) की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय नीचे दिये गये हैं :—

2.1 देशीय कच्चे तेल तथा शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए 'आयात समानता' का सिद्धांत एक उचित आधार नहीं है, तथा जैसा कि ओ० पी० सी० ने सुझाव दिया है इसका त्याग कर दिया जाये।

2.2 समिति ने सिफारिश की है कि देश में उपलब्ध कच्चे तेल का मूल्य कच्चे तेल की दीर्घकालीन प्रचलित सीमान्त लागत (प्रायोजना के आरम्भ से 15 वर्ष की समाप्ति पर 10% की छूट) पर आधारित हो और उसका 28.80 रुपये अथवा 34 ए० पी० आई के 3.60 डालर प्रति बैरल जिसकी लागत गणना 8 रुपये प्रति अमेरिकी डालर की परिवर्तन दर से की गई थी, अनुमान लगाया। समिति ने वर्तमान तेल विकास उपकर में 60 रुपये प्रति मी० टन से 82.50 रुपये प्रति मी० टन की वृद्धि करने की सिफारिश की है। इस बढ़े हुए उपकर को सम्मिलित करते हुए देश में उपलब्ध कच्चे तेल का मूल्य 40 रुपये प्रति बैरल अथवा 5 डालर प्रति बैरल होता है। फिलहाल सरकार ने तेल विकास उपकर में वृद्धि न करने का निर्णय किया है। देशीय कच्चे तेल का मूल्य 60 रुपये प्रति मी० टन के वर्तमान तेल विकास उपकर सहित प्रति बैरल 4.58 डालर ही रहेगा।

2.3 सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि यह मूल्य प्रति बैरल रुपयों में अर्थात 36.64 रुपये प्रति बैरल बताया जायगा। अमेरिकी डालर रुपये की विनिमय दर के उतार चढ़ाव का इस मूल्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2.4. अधिशोत तेल के मूल्य निर्धारण में आयात समता के सिद्धांत के लागू न रहने के परिणामस्वरूप सैद्धांतिक ए० एफ० आर० ए० बन्दरगाह की चुंगी तथा उतराई भाड़े के आधार पर पाइप लाइन द्वारा कच्चे तेल की डिलीवरी लागत का अनुमान लगाना अब वैध नहीं होगा। सैन्ट्रल टैंक फार्म से शोधनशाला (रिफाइनरी) के प्रतिष्ठापनों तक पाइप लाइन द्वारा कच्चे तेल की डिलीवरी का व्यय शोधनशाला द्वारा वहन किया जाए जो नियोजित पूंजी पर लाभ सहित वास्तविक परिचालन लागत पर आधारित हो (जिसमें शुद्ध स्थिर आस्तियां तथा कार्यकारी पूंजी होगी)।

2.5. सरकार ने फिलहाल देशीय कच्चे तेल के उत्पादकों से शोधनशालाओं को बिक्री कर की देयताओं का हस्तान्तरण न करने का निर्णय किया है।

2.6. सैद्धांतिक ए० एफ० आर० ए० के आधार पर भाड़ा लागत के पुनर्भुगतान की प्रकिया को जारी रखना उचित नहीं होगा। भारतीय टैंकरों द्वारा समुद्री परिवहन की वास्तविक लागत, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में दिखाया जाय तथा इस आधार पर शोधनशालाओं को पुर्नभुगतान किया जाय। विलम्ब शुल्क (डैमरेज) अकुशल संचालन आदि के कारण अतिरिक्त खर्च लागत एवं भाड़ा लेखा में समायोजन करने के अयोग्य होगा। किन्तु अधिक क्षमता वाले टैंकरों को हल्का करने में अपरिहार्य अतिरिक्त खर्च (कुन्डा निरोधक, छोटे पोत आदि) का पुनर्भुगतान किया जाएगा। मानदण्ड तथा पैरामीटरों (टर्न राउंड बंकर खपत आदि) को सरकार की स्वीकृति से तेल उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाए। लागत एवं भाड़े लेखा में समायोजन करने के लिए वास्तविक कार्यनिष्पादनों को मानदण्डों तथा पैरामीटरों के सामने दिया जाए।

2.7. टैंकर भाड़ा दरें समस्त भारतीय झंडे वाले टैंकरों के लिए लागतयुक्त आधार पर हों। संविदागत दर प्रति मी० टन रुपयों में हो।

3.1. समिति ने उत्पादन का औसत स्तर, उत्पादन का मानक पैटर्न नियोजित पूंजी पर 15% का लाभ तथा प्रत्येक शोधनशाला के विभिन्न उत्पादकों के लिए कुल लागत के आवंटन के लिए सूचकांकों के एक सेट को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक उत्पाद एवं प्रत्येक शोधनशाला के लिए धारक मूल्य निकाला है। आशा है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत तेल उद्योग के अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को आम रूप में तथा विस्तृत रूप में फैली हुई तथा भारत में नवीनतम प्रौद्योगिकी के अभाव वाली शोधनशालाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा जायेगा। न केवल उत्पाद पद्धति ही भिन्न है और न केवल शोधन लागत कच्चे तेल की लागत, भाड़ा दर आदि में ही परिवर्तनशील अपितु इसके अतिरिक्त उत्पादन, कच्चे तेल इत्यादि के विभिन्न प्रकारों का शोधन करने के लिए शोधनशाला द्वारा अपेक्षित उत्पाद पद्धति का माहवार विनियमन करने के लिये समग्र राष्ट्र के हित में सरकारी द्वारा कुछ अंकुश भी लगाये गये हैं। आशा है कि धारक मूल्य विचार, पूल लेखाओं से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के मिलने पर जबकि सरकारी निदेशों के कारण कम वसूलियों जारी रही हों, में ऐसे समस्त अन्तरों की व्यवस्था होगी। शोधनशाला सम्बन्धी कमियों तथा उसके बन्द हो जाने के कारण कम वसूलियों की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

3.2. सरकार ने शोधनशाला द्वारा नियोजित कुल पूंजी पर (कुल) 15 प्रतिशत लाभ को छोड़कर धारक मूल्य को निकालते समय ओ० पी० सी० द्वारा सभी मानदण्ड, मानक तथा पैरामीटर स्वीकार कर लिये हैं। यह पर्याप्त समझा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में शुद्ध स्थिर आस्तियों पर 10% लाभ तथा कार्यकारी पूंजी पर 15% लाभ (स्टाक तथा प्रेषण में अशोधित तेल, दो महीने के स्टाक के बराबर शोधनशाला स्तर पर मध्यवर्ती पदार्थ तथा तैयार उत्पाद) की स्वीकृति दी जाए।

3.3. इण्डियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० तथा बर्मा शैल, विपणन में जिनके शेयर 90% हैं, की विपणन तथा वितरण लागत के भारित औसत पर ओ० पी० सी० ने विपणन खर्च आधारित किया है तथा विपणन कम्पनियों द्वारा नियोजित पूंजी पर 12% लाभ की सिफारिश की है। सरकार यह महसूस करती है कि सामान्य परिस्थितियों में लाभ की यह दर पर्याप्त है।

3.4. सरकार ने समिति की यह सिफारिश मान ली है कि मूल्य निर्धारण के प्रारम्भिक केन्द्र शोधनशालाएं हों और अपकन्द्री डिपो अथवा प्रतिष्ठानों पर मूल्यों को निकटस्थ शोधनशाला के मूल्यों तथा सस्ते साधनों की परिवहन लागत के आधार पर निर्धारित किया जाए। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप वर्तमान प्रारम्भिक मूल्य निर्धारण केन्द्र ओखा, गोआ, काण्डला और कलकत्ता मूल्य निर्धारण केन्द्र नहीं रहेंगे।

3.5. तेल मूल्य समिति ने शोधनशाला के बाहर बम्बई और कोयाली के लिए पी के स्तर पर जोकि समस्त शोधनशालाओं के लिए भारित औसत धारक मूल्य के बराबर है मद्रास, कोचीन और विजाग के लिये पी+20, हल्दिया और बरौनी के लिये पी+30 और गोहाटी तथा डिगबोई शोधनशालाओं के लिये पी+10 मूल्य की सिफारिश की है। यह निर्णय किया गया है कि सभी शोधनशालाओं के लिये शोधनशाला के बाहर के मूल्य समान हों क्योंकि अशोधित तेल (आयातित और देशीय) का एफ० ओ० बी० मूल्य, जोकि एक शोधनशाला के कुल व्यय के 80% से भी अधिक होता है, का पूल बनाया गया है और उसे सभी शोधनशालाओं के लिए समान स्तर पर रखा गया है। तथापि भाड़े को समान स्तर पर लाने की किसी योजना की ओर इसका संकेत नहीं होगा।

3.6. मोटर स्पिरिट और मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में समान परिवहन अधिभार योजना जो असम राज्य के सभी स्थानों में लागू है, को समाप्त किया जायेगा। असम राज्य में इन दो उत्पादों के मूल्य अन्य राज्यों की भांति ही निर्धारित होंगे।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सीमान्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिवहन की अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक मूल्य निर्धारण केन्द्रों के रूप में डिगबोई और गोहाटी में मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल तेल पर 5 पैसे प्रति लीटर और मोटर स्पिरिट पर 7 पैसे प्रति लीटर का समान अधिभार लगाया जाए।

3.7. ओ० पी० सी० ने सिफारिश की है, कि क्योंकि शोधनशालाओं के धारण मूल्य आयात समता के बजाय वास्तविक लागत तथा उचित लाभ के आधार पर लगाये जाते हैं, पुंज पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्राप्य अवमूल्यन शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकारी राजस्व में परिणामी कमी को दूर करने के लिए ल्यूब और ग्रीज के वर्तमान विक्रय मूल्य के एक भाग को मूल उत्पाद शुल्क में परिवर्तित किया जाय।

ओ० पी० सी० ने यह भी सुझाव दिया है कि डब्ल्यू० जी० ओ० पी० और ओ० पी० सी० के शुल्कों को मूल उत्पाद शुल्कों में मिला दिया जाए।

सरकार ने सिद्धांत रूप में इन दो सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अपेक्षित कार्यवाही उचित समय पर की जायेगी।

3.8. जोन से बाहर और तटीय आवागमन के लिये क्षतिपूर्ति हेतु फ्रेट सरचार्ज पूल को कच्चे तेल मूल्य समकारी लेखा लागत और भाड़ा समायोजन लेखा, उत्पाद मूल्य समायोजन लेखा के लिये रखा जाएगा। इन लेखाओं में केवल ऐसे मदों के व्यय का समायोजन किया जायेगा को सरकार द्वारा स्वीकृत होंगे।

3.9. उत्पादन में कमी अथवा अधिकता परिशोधन शुल्क, उत्पादन पद्धति में भिन्नता आदि के संबंध में तेल मूल्य समिति ने कम्पनियों के उपार्जन में समायोजन करने के लिये कुछ मानदण्डों की सिफारिशें की हैं। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

3.10. कच्चे तेल और मासिक उत्पादन पद्धति के लिए आवंटन और कच्चे तेल के आयात तथा तटीय आवागमन के लिये समन्वयकारी परिवहन व्यवस्था करने के बारे में निर्णय देते हुए तेल मूल्य समिति ने सिफारिश की है कि मूल लेखाओं का प्रबन्ध रखने के लिये एक तेल समन्वय समिति (ओ०सी०सी०) की स्थापना की जाए। यह एक उद्योग समिति होगी जिसका सचिवालय पृथक होगा। इस संगठन का व्यय लागत और भाड़ा लेखा द्वारा वहन किया जाए। इस सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तेल समन्वय समिति में सचिव पेट्रोलियम विभाग, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के एक प्रतिनिधि, आई० ओ० सी० के अध्यक्ष, एच० पी० सी० एल० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बर्मा शैल, कालटैक्स, एम० आर० एल० सी० आर० एल०, आई० बी० पी० तथा ऐ० ओ० सी० के मुख्य प्रशासक सम्मिलित होंगे तथा पेट्रोलियम विभाग के संयुक्त सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। सचिवालय को परिवहन सहित शोधनशालाओं, विपणन और वितरण के विशेषज्ञों की पूर्ण कालिक सेवाएं प्राप्त हों। जटिलता तथा अनेक पूल लेखाओं के लिये किए जाने वाले प्रबन्ध को देखते हुए लेखाओं/वित्त के लिये एक पूर्ण विकसित विंग हो।

3.11. पहली बार जूट बेचिंग आयल (जे० बी० ओ०) विशेष क्वथनांक स्पिरिट (स्पेशल बायलिंग प्वाइंट स्पिरिट) (एस० बी० पी०एस०) विलायकों (सालवेंट्स) हैक्सेन, खनिज तारपीन तेल (एम० टी० ओ०) उद्योगों में प्रयोग के लिये तरल पेट्रोलियम गैस, उद्योगों में प्रयोग के लिये नैप्था को मूल्य निर्धारण परियोजना के अन्तर्गत लाया गया है।

3.12. कुछ उत्पादों के मूल्यों को छोड़कर (जैसा कि नीचे पैराग्राफ 4 में दिया गया है) तेल मूल्य समिति (ओ० पी०सी०) की अन्य सभी सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है।

4. तेल उद्योग की वर्तमान लागत तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में चल विनिमय दर को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए सरकार ने ओ०पी०सी० द्वारा सिफारिश किये गये मूल्यों के बारे में निम्नलिखित निर्णय किये हैं:—

(क) बम्बई, कोयाली, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम, हल्दिया, बरौनी, गोहाटी और दिगबोई स्थित भण्डार स्थलों के बाहर एम० के० ओ० के उच्चतम विक्रय मूल्यों में ओ०पी०सी० द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार (बम्बई में) प्रति लिटर 11.7 पैसे के स्थान पर प्रति लिटर 5 पैसे की वृद्धि की जायेगी।

(ख) भण्डार स्थलों के बाहर एच० एस० डी० ओ० के मूल उच्चतम विक्रय मूल्य में ओ० पी० सी० द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार (बम्बई) में प्रति लिटर 14.6 पैसे के स्थान पर प्रति लिटर 8 पैसे की वृद्धि की जायेगी।

(ग) भण्डार स्थलों के बाहर भट्टी/ईंधन तेल के मूल उच्चतम विक्रय मूल्य में प्रति किलो लिटर 80 रुपये तक वृद्धि की जायेगी।

(घ) घरेलू ईंधन गैस (एल० पी० जी०) के उच्चतम विक्रय मूल्य में ओ० पी० सी० द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर प्रति सिलैण्डर 5 रुपये के स्थान पर 15 किलो ग्राम के प्रत्येक सिलैण्डर पर 2.50 रु. की वृद्धि होगी।

(ङ) ओ० पी० सी० द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार कुछ उत्पादों जैसे विमानन गैसोलीन, मोटर स्पिरिट, विमानन टरबाइन ईंधन तथा लाइट डीजल तेल के मूल्य वर्तमान मूल्यों से कम हैं। इन उत्पादों के मूल्यों को वर्तमान स्तर तक ही रखा जायेगी।

(च) उर्वरक उत्पादन के लिए फील्ड स्टाक के रूप में प्रयोग किये जाने वाले नैप्था के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी।

(छ) अन्य उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर ओ० पी० सी० की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

5. देशी कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के मूल्यों के संबंध में यहां बताये गये निर्णय 14 जुलाई, 1975 से लागू होंगे, तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र शासनों, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों तथा भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों में भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सी० वेंकटरमणि, संयुक्त सचिव

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून, 1975

खादी और ग्रामोद्योग समिति की रिपोर्ट

संकल्प

सं० 5(18)/72-के०वी० आई० (1)—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के संकल्प संख्या 5(19)/72-

सं० वी० आई० (1), दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 में खादी और ग्रामोद्योग समिति की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को अधिसूचित किया गया था। उस संकल्प के अनुकूलन में रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 9, 26 और 33 से 45 पर सरकारी निर्णय को स्थगित रखा गया था। सरकार ने इन सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अब निर्णय ले लिया है। समिति की इन सिफारिशों पर सरकारी निर्णयों को इस संकल्प के अनुबन्ध में सूचीबद्ध किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता कि संकल्प की एक प्रति सभी सम्बद्ध लोगों को भेजी जाये तथा इसे सर्वसाधारण के सूचनार्थ राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० एन० जयसिन्हा, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

खादी और ग्रामोद्योग समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों का सारांश तथा उन पर सरकार का निर्णय

क्रमांक	सिफारिश	सरकार का निर्णय
(1)	(2)	(3)
1.	9 खादी ग्रामोद्योगों में से एक उद्योग के रूप में खादी का मान्यता प्राप्त स्थान जारी रहेगा और यद्यपि कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों में उसका स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, तथापि वैज्ञानिक खेती के विकास तथा ग्रामीण बिजलीकरण की प्रगति के कारण यह संभव है कि कृषि संबंधी चीजों के प्रशोधन तथा कृषि में लगने वाली चीजों के निर्माण के समान अधिक आमदनी वाले अन्य ग्रामीण उद्योग खादी का स्थान ले लें। खादी के बारे में किसी का यह दृष्टिकोण हो सकता है कि यह एक स्थाई कार्यक्रम है। बावजूद इसके, इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि निकट भविष्य में कुछ समय के लिये, पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को काम देने हेतु इसकी एक उपयोगी भूमिका बनी रहेगी। हम इस बात पर जोर देंगे कि संगठन में आवश्यक परिवर्तन करके ग्रामीण उद्योगों को उक्त धारणा की, जिसमें खादी का समुचित स्थान हो सकता है, ठोस अभिव्यक्ति होनी चाहिए। (परिच्छेद 4.3)	खादी कार्यक्रमों की पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़े वर्ग की जनता के लिये रोजगार प्रदान करने में उपयोगी भूमिका सिद्धांत रूप में पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। यह भूमिका संगठन के विद्यमान ढांचे में किसी प्रकार का आमूल परिवर्तन किए बिना बखूबी निभाई जा सकती है।
2.	26. राज्य ग्रामीण उद्योग मंडल ग्रामीण उद्योग आयोग के साथ परामर्श करके हर राज्य में ग्रामीण उद्योगों के विकास के कार्यक्रम तैयार करें। इन कार्यक्रमों का आधार खुद रोजगारी में लगे लोगों द्वारा स्थानीय साधन स्रोतों के अधिकतम उपयोग का होना चाहिए। इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और सुधरे औजारों तथा तकनीकी के साथ जहां संभव हो, छोटे यंत्रों तथा बिजली के उपयोग के लिए उन्हें समर्थ बनाया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर पारस्परिक कारीगरों की निकासी यथासंभव टालनी चाहिए। (परिच्छेद 4 26)	विद्यमान राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग निगम के परामर्श से विद्यमान संगठनात्मक ढांचे में बिना किसी आमूल परिवर्तन के खादी और ग्रामोद्योग के लिए उपयुक्त विकास कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।
3.	33. पुनर्निमाण के इन कार्यक्रमों के लिये एक मजबूत तथा सुप्रवाही संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता होगी। नीति निर्माण और प्रशासन के स्तर पर संगठन के विभिन्न अंगों के बीच अत्यधिक मेल और सुसम्बद्धता होनी चाहिए, ताकि काम शीघ्र गति से एवं प्रयोजनपूर्वक किया जा सके। इसके अतिरिक्त गांवों की अत्यधिक गरीबी और पूर्ण तथा आंशिक बेकारी का मुकाबला करने के लिए, भौतिक और मानवीय, दोनों प्रकार के ग्रामीण साधन स्रोतों को संगठित करने के लिए तथा ग्रामों की आय बढ़ाने के लिए कुछ निम्न प्रकार के संगठनात्मक ढांचे की जरूरत होगी, जो आज की सीमित अनुसूची के ग्रामोद्योगों के स्थान पर सभी ग्रामीण उद्योगों का समावेश उनके महत्व की समुचित रूप से व्याख्या करते हुए, कर ले। (परिच्छेद 7.1)	इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा योजना आयोग, विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य सम्बद्ध एजेन्सियों के परामर्श से विचार किया गया है तथा सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा विभिन्न राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों तथा के विद्यमान ढांचों तथा उनके अंतर्गत आने वाले उद्योगों में किसी प्रकार का आमूल परिवर्तन करने के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है। किन्तु सरकार ने समिति की खादी और उद्योग कार्यक्रमों की देखभाल करने वाले विद्यमान संगठनों और उनके प्रबन्ध संचालन में सुधार करने संबंधी प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के उपयुक्त अभ्युपाय करने की दिशा में पहल की जा रही है।

(1)	(2)	(3)
4.	34. नए संगठनात्मक ढांचे में सबसे ऊपर एक ग्रामीण उद्योग आयोग होना चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास को आगे बढ़ाए। इसे विस्तृत अधिकारों से संपन्न ऐसा एक अकेला संगठन होना चाहिए, जिसके पास आवश्यक सत्ता तथा साधन स्रोत हों एवं ग्रामीण क्षेत्रों को शीघ्रता से उद्योग संपन्न बनाने का दायित्व उस पर हो। यह एक वैधानिक संगठन होगा, जिसमें सरकार द्वारा पांच वर्षों के लिए मनोनीत सात से नौ व्यक्ति होंगे और उसे ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए परामर्श देंगे, प्रशिक्षण और अनुसंधान का कार्य करने तथा कराने एवं साधारण रूप से कार्य क्रम को कार्यान्वित तथा सुसंबद्ध करने के अधिकार होंगे। पांच वर्षों की एक सीमित अवधि के लिए इसे स्वीकृत प्रयोजनों के लिए किसी को आर्थिक सहायता देने का भी अधिकार होगा, इस अवधि की समाप्ति के बाद अपने-अपने राज्यों में इन कार्यक्रमों के संचालनार्थ धन देने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सीधे वित्तीय सहायता दी जाए। जिन संस्थाओं का काम एक से अधिक राज्यों में चलता है, वे आर्थिक सहायता की प्राप्ति के लिए या तो एक राज्यीय संस्था के रूप में परिवर्तित हो जाए या विभिन्न राज्यों की सीमाओं के भीतर अपने कामों को अलग संस्था के रूप में प्रकट करे। (परिच्छेद 7.2)	दिशा में पहल की जा रही है।
5.	35. अधिक अच्छा होगा कि आयोग के अध्यक्ष एक गैर सरकारी व्यक्ति हों और उसके सदस्यों में एक अर्थशास्त्री, एक तकनीकी विशेषज्ञ, एक वित्त विशेषज्ञ और एक योजना-विशेषज्ञ होना चाहिए, जिसे ग्रामीण तथा छोटे उद्योग की योजना बनाने का अच्छा अनुभव हो। आयोग की बैठकों में प्रशासनिक मंत्रालय का एक प्रतिनिधि स्थायी रूप से निमंत्रित हो। (परिच्छेद 7.2)	—वही—
6.	36. वर्तमान खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ग्रामीण उद्योग आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही सरकार शीघ्र ही करे। (परिच्छेद 7.2)	—वही—
7.	37. राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डलों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्रामीण उद्योग आयोग यह समझे कि उसे एक परामर्शदाता मण्डल की भी सहायता चाहिए, तो वह अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मण्डल के पुनर्निर्माण के लिए सरकार से प्रस्ताव कर सकता है। (परिच्छेद 7.3)	—वही—
8.	38. ग्रामीण उद्योगों के विकास से संबंधित दूसरे संगठन जैसे हाथकरघा मण्डल, हस्तशिल्प मंडल, लघु उद्योग मण्डल, नारियल जटा (कॉयर बोर्ड) मण्डल, केन्द्रीय रेशम मण्डल और कृषि उद्योग निगम अपने-अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ संगठनों के रूप में काम करते रहें। इन संगठनों और ग्रामीण उद्योग आयोग के कार्यक्रमों तथा दृष्टिकोण के बीच समन्वय साधना संबंधित प्रशासकीय केन्द्रीय मंत्रालय का दायित्व होगा। इस निमित्त एक समन्वय समिति स्थापित की जाय, जिसमें आयोग का भी प्रतिनिधित्व हो। संबंधित प्रशासकीय मंत्रालय ग्रामीण उद्योग-विभाग के लिए सर्वोच्च स्तर पर और सम्पूर्ण रूप से संसद् के प्रति उत्तरदायी होगा। (परिच्छेद 7.4)	—वही—
9.	39. खादी और ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण उद्योग आयोग के रूप मे परिवर्तित हो जाने के बाद राज्य खादी ग्रामोद्योग मण्डल का स्थान भी राज्य ग्रामीण उद्योग मंडल से लेंगे। इन मण्डलों के कार्य और क्षेत्र विस्तृत और व्यापक होने चाहिएं। उनको राज्य के सभी ग्रामीण उद्योगों के विकास से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कहा जाएगा, न कि केवल उन्हीं उद्योगों को, जो अभी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिनियम में शामिल हैं। (परिच्छेद 7.5)	—वही—
10.	40. राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डलों की स्थापना के समय राज्य खादी ग्रामोद्योग मण्डलों की पिछली त्रुटियों और असमर्थताओं को हटाने का विशेष ख्याल रखा जाए। ग्रामीण उद्योग आयोग और राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डलों के बीच के आन्तरिक सम्बन्धों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाना चाहिए। प्रस्तावित ग्रामीण उद्योग	—वही—

(1)	(2)	(3)
	आयोग द्वारा ग्रामीण उद्योगों के समय-समय और समन्वित विकास के लिए निर्धारित नीतियां क्षेत्रीय संगठनों अर्थात् पंजीकृत संस्थाओं, सहकारी समितियों और अन्य क्षेत्रीय एजेंसियों के द्वारा राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डल विश्वसनीय रूप से कार्यान्वित कर सकें, इसलिए राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डलों का सुसंगठित तथा सुदृढ़ संगठनात्मक इकाई होना जरूरी है। (परिच्छेद 7.6)।	
11.	41. प्रस्तावित राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डलों के अध्यक्ष राज्य के उद्योग मंत्री या कोई गैर-सरकारी व्यक्ति हों, और उनके सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों, जैसे वित्त, प्रशासन, अर्थशास्त्र, योजना निर्माण आदि के विपरीत रहें। यद्यपि राज्य मण्डल राज्य सरकारों और राज्य विधान मंडलों के प्रति सीधे उत्तरदायी होंगे, परन्तु ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से समुचित मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य खादी ग्रामोद्योग मण्डलों को राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डलों में परिवर्तित करने के लिए जो कानून बने, उसमें इस बात की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। (परिच्छेद 7.7)	—वही—
12.	42. ग्रामीण उद्योग मण्डलों का निर्माण न होने तक राज्य सरकारों को वर्तमान खादी ग्रामोद्योग मण्डलों के पुनर्गठन के प्रश्न की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए। इन प्रत्येक राज्य-मण्डल की सदस्य-संख्या या इतनी घटा दी जाय कि वह एक छोटे और ठोस संगठन के रूप में अधिक प्रभावशाली रूप में काम कर सके। (परिच्छेद 7.8)	—वही—
13.	43. राज्य मण्डलों के कामों का समन्वय तथा निर्देशन खादी और ग्रामोद्योग कमीशन करे। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि राज्य मण्डल के अध्यक्ष (यदि वह मुख्य मंत्री या उस काम का प्रभारी मंत्री न हो कमीशन को यह भी अधिकार होना चाहिए कि वह राज्य मण्डलों को निर्देश दे तथा उनका मार्गदर्शन करें, वार्षिक प्रतिवेदन तथा जांचा हुआ हिसाब प्राप्त करे, एवं यदि आवश्यक हो तो कार्य का निरीक्षण तथा हिसाबों की प्रत्यक्ष जांच करे। कमीशन द्वारा दिए गए निर्देशों और परामर्श के अनुसार यदि राज्य मण्डल नहीं चलते हैं, तो कमीशन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह ऐसे राज्य मण्डलों को आगे और अनुदान देना बन्द कर दें। (परिच्छेद 7.9)।	—वही—
14.	44. करीब पांच वर्षों की अवधि में अगामी रूप से राज्य मण्डलों को इतना सुदृढ़ बना दिया जाना चाहिए कि वे अपने-अपने राज्यों में कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का पूरा दायित्व ग्रहण कर लें। यह प्रक्रिया प्रावस्थाबद्ध होनी चाहिए, जैसे प्रथम दो वर्षों में राज्यमण्डल पंजीकृत संस्थाओं और सहकारी समितियों के सभी प्रस्तावों तथा कार्यक्रमों के परीक्षण, से अधिक संबंधित हों एवं अगले दो वर्षों में वे न केवल प्रस्तावों और कार्यक्रमों का ही परीक्षण करें, बल्कि खादी ग्रामोद्योग कमीशन को उसके सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें भी दें। कमीशन ऐसी आवश्यक कार्यवाही करें कि पांच वर्षों का पूरा दायित्व ग्रहण करने में समर्थ बन सके। (परिच्छेद 7.10)।	—वही—
15.	45. राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डलों का ग्रामीण उद्योग आयोग के साथ वही कार्य भूमिका अधिकार और दायित्व होना चाहिए, जो राज्य खादी ग्रामोद्योग मण्डलों के सिलसिले में ग्रामीण उद्योग मण्डलों के बीच के संबंधों में किसी तरह की कानूनी, वैधानिक, प्रशासनिक आदि संबंधी दरार न रहें, जैसे कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन तथा राज्य मण्डलों के बीच आते हैं। राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डल राज्य विधान मण्डलों के प्रति उत्तरदायी रह कर यह अपने कार्य की रिपोर्ट उसे देगा। फिर भी दोनों के बीच पूरा-पूरा समन्वय रहे और यह तभी संभव हो सकेगा जब सभी महत्वपूर्ण विषयों में ग्रामीण उद्योग आयोग के निर्देशन और मार्गदर्शन के प्रति राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डलों को उत्तरदायी बनाया जाए। (परिच्छेद 7.11)।	—वही—

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 1975

सं० एस० एस० आई० (I)-17(6)/74—औद्योगिक विकास मंत्रालय के संकल्प संख्या एस० एस० आई० (I)-17(6)/74, दिनांक 18 जुलाई, 1974 मे, जिसके द्वारा लघु उद्योग बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था, क्रम संख्या 27 के सामने निम्नलिखित संसद सदस्य को रखा जाये :

27 श्री पी० ए० स्वामीनाथन्,
संसद् सदस्य,
44, नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली-1

ए० के० रे०, निदेशक

संचार मंत्रालय
डाक-तार बोर्ड

नई दिल्ली-110001, दिनांक जुलाई 1975

सं० 23/1/74-एल० आई०—राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि डाक जीवन बीमा और मियादी बीमा संबंधी नियमों में तत्काल आगे और इस प्रकार संशोधन किये जाएंगे, अर्थात् :

डाक जीवन बीमा और मियादी बीमा से संबधित नियमों के नियम 21 के नीचे नोट-1 के स्थान पर निम्नवर्ती नोट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

नोट 1.—संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को प्रत्येक चिकित्सा जांच के लिये नीचे लिखी दरों से फीस मिलेगी :—

(i) सिविल सर्जन, जिला चिकित्सा अधिकारी या सरकारी नौकरी में चिकित्सा अधिकारी जिनका दर्जा सिविल सर्जन से छोटा न हो और जो चिकित्सा संबंधी जांच की वास्तविक फीस का पूरा या बड़ा हिस्सा पाने के हकदार है। 5000/- रुपये तक के बीमा प्रस्तावकों की जांच के लिए 5/- रुपये और 5000/- रुपये से ऊपर वाले बीमा के प्रस्तावकों की जांच के लिये 8/- रुपये।

(ii) सरकार, नगर बोर्ड, जिला बोर्ड, स्वायत्त बोर्ड, छावनी बोर्ड या संघ बोर्ड की नौकरी मे सिविल सर्जन से छोटे दर्जे के चिकित्सा अधिकारी और जो चिकित्सा जांच की वास्तविक फीस का पूरा या बड़ा हिस्सा पाने के हकदार है, 5000/- रुपये तक के बीमा प्रस्तावकों की जांच के लिये 5/- रुपये।

(iii) सिविल सर्जन, जिला चिकित्सा अधिकारी या सरकार की नौकरी में चिकित्सा अधिकारी जिसका दर्जा सिविल सर्जन से छोटा न हो और जो कि चिकित्सा जांच फीस का पूरा या बड़ा हिस्सा पाने का हकदार नही है—रु० 4 (iv) सरकार, नगर बोर्ड, जिला बोर्ड, स्वायत्त बोर्ड, छावनी बोर्ड या संघ बोर्ड की नौकरी में सिविल सर्जन से छोटे दर्जे वाला चिकित्सा अधिकारी और जोकि फीस का पूरा या बड़ा भाग पाने का हकदार नही है 1000/- रुपये तक के बीमा के प्रस्तावकों की जांच के लिए 2/- रुपये और 1000/- रुपये से ऊपर 5000/- रुपये तक के बीमा वाले प्रस्तावकों की जांच के लिये 3/- रुपये।

(v) नियम 19 के नीचे नोट 10 के प्रावधानों के अनुसार बीमा प्रस्तावकों की जांच करने वाले सेवा-निवृत्त चिकित्सा अधिकारियों को प्रत्येक चिकित्सा जांच के लिए नीचे वाली दरों से फीस मिलेगी :—

(क) 5000/- रु० की रकम तक के बीमा प्रस्तावकों की जांच के लिए 5/ रुपये।

(ख) 5000/- रुपये से ऊपर बीमा प्रस्तावकों की जांच के लिए 8/- रुपये।

आर० एन० डे०
निदेशक,
डाक जीवन बीमा

ऊर्जा मंत्रालय
(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 1975

स० 34012(13)/74 सी-I (भाग ii)—इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) के संकल्प संख्या 34012(23)/74-सी-I/64, दिनांक 20 सितम्बर, 1974 के अनुक्रम में भारत सरकार द्वारा संश्लिष्ट तेल के विशेषज्ञ दल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये 31 दिसम्बर, 1975 तक का समय दिया जाता है।

महानन्द झा,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 1975
संकल्प

सं० 55018/2/75-सी० ए० एफ०—प्राक्कलन समिति ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में अपनी 32वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित अनुशंसाएं की :—

"कि निगम को एक जीवन्त एकक बनाने के लिये यह आवश्यक है कि यह मात्र 'कोयले के खनन की इकाई ही' न रहे। अनुशंसा की जाती है कि इस पूरे मामले की जांच किसी विशेषज्ञ समिति से कराई जाए तो अनुषंगी कार्यकलापों के लिये समुचित उपायों का भी सुझाव दें।" इसके बाद सरकारी प्रतिष्ठानों सम्बन्धी समिति ने भी अपनी 7वी रिपोर्ट में उपर्युक्त अनुशंसा को दोहराया। इन अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए तथा कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के एशोसिएसन के ज्ञापन-पत्र के अनुच्छेद-4 को देखते हुए जिसके अन्तर्गत कोयला खान प्राधिकरण को कोयला उद्योग के एक उद्यमी के रूप में कार्य करना है, भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का संकल्प किया है, जो भिन्न-भिन्न कोयला कम्पनियों द्वारा अनुषगी कार्यकलाप आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार करेगी क्योंकि यह अनुभव किया गया है कि इन कम्पनियों का काम कोयला उत्पादन तथा कोयला तैयार करने से भी अधिक बढ़कर होना चाहिए।

2. विशेषज्ञ समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

अध्यक्ष

1. डाक्टर एम० जी० कृष्ण,
निदेशक,
केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान,
धनबाद ।

सदस्य

2. श्री आर० जी० महेन्द्र
निदेशक, (तकनीकी),
कोयला खान प्राधिकरण लि०
कलकत्ता ।

3. श्री सी० एस० झा,
निदेशक (तकनीकी),
भारत कोकिंग कोल लि०
पो० आ० झरिया, धनबाद ।

4. श्री वी० एल० कारवान्डे,
महाप्रबन्धक,
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०
कोथागुडियम कोलियरीज
पोस्ट आफिस, खामम जिला (आंध्र प्रदेश)

5. श्री एन० आर० श्रीनिवासन,
उद्योग सलाहकार
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

6. श्री डी० बसु,
वरिष्ठ कोयला परिष्करण इंजीनियर,
कोयला खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान
कोयला खान प्राधिकरण लि०
रांची ।

7. उद्योग निदेशक,
पश्चिम बंगाल सरकार
कलकत्ता ।

8. उद्योग निदेशक,
मध्य प्रदेश सरकार
भोपाल ।

9. उद्योग निदेशक,
महाराष्ट्र सरकार,
बम्बई ।

10. उद्योग निदेशक,
बिहार सरकार,
पटना ।

11. उद्योग निदेशक,
उड़ीसा सरकार,
कटक ।

12. उद्योग निदेशक,
आन्ध्र प्रदेश,
हैदराबाद ।

सदस्य-सचिव

13. श्री साधन चट्टोपाध्याय
निदेशक,
ऊर्जा मंत्रालय,
कोयला विभाग,
नई दिल्ली ।

3. इस विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(i) कोयला खनन उद्योग के लिये आवश्यक निवेश साधनों की व्यवस्था हेतु कोयला कम्पनियों द्वारा अनुषंगी कार्यकलाप किये जाने के लिये आवश्यक उपायों पर विचार करना; तथा

(ii) कोयले तथा कोयले से बने पदार्थों के उपयोग के लिये कोयला कम्पनियों द्वारा शुरू की जाने वाली योजनाओं/परियोजनाओं के बारे में अनुशंसा करना ।

विशेषज्ञ समिति अनुशंसाएं करते समय इस विषय में उपलब्ध सभी आंकड़ों को तथा स्थानीय सामाजिक आर्थिक स्थितियों को भी ध्यान में रखेगी ।

4. विशेषज्ञ समिति तीन महीने में भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों और अन्य सम्बन्धितों को भेजी जाए ।

शरण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

RULES

New Delhi, the 9th August 1975

No. 1113/2/75-IES.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1976 for the purpose of filling vacancies in Grade IV of the folowing Services are published for general information :—

(i) The Indian Economic Service, and

(ii) The Indian Statistical Service.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commision. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the

Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951; (as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order 1967, the Constitution (Goa, Daman ad Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order 1068, and the Constitution (Nagaland), Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

5. (a) A candidate for admission to this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 26 years on 1st January, 1976 i.e., he must have been born not earlier than 2nd January, 1950 and not later than 1st January, 1955.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof: who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xii) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof; and

(xiii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. (a) A candidate for the Indian Economic Service must have obtained a degree with Economics or Statistics as a subject from any of the Universities enumerated in Appendix I.

(b) A candidate for the Indian Statistical Service must have obtained a degree with Statistics or Mathematics or Economics as a subject from any of the Universities enumerated in Appendix I or possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

Note I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination as soon as possible and in any case not later than 30th April, 1976.

Note II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions the standards of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

Note III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

8. Persons already in Government Service whether in a permanent or temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily rated employees, must sub-

mit their applications through the Head of their Department or Office concerned who will complete the endorsement at the end of the application form and forward them to the Commission. Such candidates should, in their own interest, submit advance copies of their applications direct to the Commission. These, if accompanied by the prescribed fee, will be considered provisionally but the original application should ordinarily reach the Commission within a fortnight after the closing date. If a person already in Government Service does not submit an advance copy of his application along with the prescribed fee or if the advance copy submitted by him is not received in the Commission's Office on or before the closing date, the application submitted by him through the Head of his Department or Office, if received in the Commission's Office after the closing date will not be considered.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(vii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

12. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for viva voce.

13 After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes can not be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. In the case of the candidates competing for both the Services, due consideration will be given to the order of preference expressed by a candidate at the time of his application.

16. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

17. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for viva voce by the Commission may be required to undergo physical examination.

Note.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel and Border Security Force Personnel disabled in operations during the Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Service(s).

18. No person :

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are stated in Appendix III.

M. R. BHARDWAJ,
Deputy Secretary.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (vide Rule 6)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act 1956.

UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon.
The University of Mandalay.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

SCOTISH UNIVERSITIES

Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).

The National University of Ireland.

The Queen's University, Belfast.

UNIVERSITIES IN PAKISTAN

The University of Punjab.

The University of Sind.

UNIVERSITIES IN BANGLADESH

The Dacca University.

The Rajshahi University.

UNIVERSITY IN NEPAL

The Tribuvan University, Kathmandu.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination for the Indian Statistical Service only [vide Rule 6(b)].

(i) Statisticians' Diploma of the Indian Statistical Institute, Calcutta.

(ii) Professional Statisticians Certificate of the Institute of Agricultural Research Statistics, ICAR, New Delhi.

APPENDIX II

SECTION I

Plan of the Examination

The competitive examination for the Indian Economic Service and the Indian Statistical Service comprises :—

(I) Written Examination in—

(i) compulsory subjects as set out in Sub-Sections (A) (a) and (B)(a) respectively of Section II below carrying a maximum of 700 marks.

(ii) A selection from the optional subjects set out in Sub-Sections (A) (b) and (B) (b) respectively of Section II below. Subject to the provisions of those Sub-Sections, candidates may take optional subjects up to a total of 400 marks for each Service.

(II) Viva-voce (vide Part B of the Schedule to this Appendix) of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 250 marks.

SECTION II

Examination Subjects

(A) The Indian Economic Service

(a) Compulsory subjects [vide Sub-Section (I) (i) of Section I above].

	Maximum Marks
(1) General English	150
(2) General Knowledge	150
(3) Economics I	200
(4) Economics II	200

(b) Optional subjects vide [Sub-Section (i) (ii) of Section I above].

	Code	Maximum Marks
Statistics I	03	200
Statistics II	04	200
Comparative Economic Development	05	200
Money and Public Finance . .	06	200
Rural Economics and Co-operation	07	200
International Economic . .	08	200
Mathematical Economics and Econometrics	09	200
Sample Surveys	10	200
Industrial Economics . .	11	200
Theory and Practice of Trade .	12	200
Business Finance and Accounts .	13	200
Business Management and Commercial law	14	200

Provided that no candidate shall be allowed to offer both "International Economics" (08) and Theory and Practice of "Trade" (12).

*In this subject there will be separate papers on each of the following five branches, viz., (i) Industrial Statistics (including statistical quality control), (ii) Economic Statistics, (iii) Educational Statistics (including Psychometry, (iv) Genetical Statistics and (v) Demography and Vital Statistics, of which a candidate is required to choose any two. Each paper will carry a maximum of 100 marks.

(B) The Indian Statistical Service.

(a) Compulsory Subjects [Vide Sub-Section (I)(i) of Section I above].

	Maximum Marks
(1) Genaral English	150
(2) General Knowledge	150
(3) Statistics I	200
*(4) Statistics II	200

(b) Optional subjects [vide Sub-Section (I) (i) of Section I above].

	Code No.	Maximum Marks
Economics I	01	200
Economics II	02	200
Comparative Economic Development	05	200
Mathematical Economics and Economics	09	200
Sample Surveys	10	200
Advanced Probability and Stochastic Processes	15	200
Statistical Inference . . .	16	200
Design of Experiments . . .	17	200
Pure Mathematics I . . .	18	200
Pure Mathematics II . . .	19	200
Pure Mathematics III . . .	20	200
Applied Mathematics . .	21	200

*In this subject, there will be separate papers on each of the following five branches, viz., (i) Industrial Statistics (including statistical quality control) (ii) Economic Statistics, (iii) Educational Statistics (including Psychometry). (iv) Genetical Statistics and (v) Demography and Vital Statistics, of which a candidate is required to choose any two. Each paper will carry a maximum of 100 marks.

NOTE.—The standard and syllabi of the subjects mentioned in this Section are given in Part A of the Schedule to this Appendix.

SECTION III

General

1 ALL QUESTION PEPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH.

2. There will be one paper of three hours' duration in each of the subjects referred to in Section II above, except in the subject Statistics II. In Statistics II, there will be five papers, each of 1½ hours' duration vide Note under this subject at item 6 of Part A of the Schedule to this Appendix.

3. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

4. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

5. For the Indian Economic Service, the papers in the optional subjects and in the following compulsory subjects, viz., General English and General Knowledge of only such candidates will be examined and marked as attain such minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion at the written examination in the following compulsory subjects, viz., Economics I and Economics II.

For the Indian Statistical Service, the papers in the optional subjects and in the following compulsory subjects *viz.* General English and General Knowledge of only such candidates will be examined and marked as attain such minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion at the written examination in the following compulsory subjects, viz., Statistics I and Statistics II.

6. If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with the metric system of weights and measures. In the question papers, wherever necessary, questions involving the use of metric system of weights and measures may be set.

SCHEDULE

PART A

The standard of papers in English and General Knowledge will be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will be that of the Master's degree examination of an Indian University in the relevant disciplines. The candidates will be expected, to illustrate theory by facts, and to analyse problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian problems in the field(s) of Economics/Statistics.

1. General English.—

Candidates will be required to write an essay in English Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Passages will usually be set for summary or precis.

2. General Knowledge.—

The paper will consist of two posts;

In the first part candidates will be required to answer questions designed to test their knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. Questions may also be set on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

In the second part candidates will be required to answer questions designed to test their ability to deal with facts and figures and to make logical deductions therefrom, their capacity to perceive implications, and their ability to distinguish between the important and the less important.

3. *Economics I.*—(Code--01)

Scope and methodology.

Equilibrium analysis.

Theory of consumers' demand. Indifference curve analysis. Revealed preference approach. Consumer's surplus.

Theory of production, Factors of production. Production functions. Laws of returns. Equilibrium of the firm and the industry.

Pricing under various forms of market organisation. Pricing in a socialist economy. Pricing in a mixed economy.

Public utilities : economic characteristics of public utilities; price, determination in public utilities; regulation of public utilities.

Theory of distribution. Pricing of factors of production Theories of rent, wages, interest and profit. Macrodistribution theory. Share of wages in national income. Profits and economic progress. Inequalities in income distribution.

Theory of employment and output—the classical and neo-classical approaches. Keynesian theory of employment. Post-Keynesian developments.

Economic fluctuations Theories of business cycle. Fiscal and monetary policies for control of business cycles.

Welfare economics : scope of welfare economics : classical and neo-classical approaches; New welfare economics and the compensation principles; optimum conditions; policy implications.

4. *Economics II.*—(Code—02)

Concept of economic growth and its measurement.

Social accounts; national income accounts; flow of funds; accounts input-output accounting.

Social institutions and economic growth. Characteristics and problems of developing economies.

Population growth and economic development.

Theories of growth. Growth models.

Planning—Concept and methods. Planning under Capitalist and Socialist forms of economic organisation. Planning in a mixed economy. Perspective planning. Regional planning. Investment criteria and choice of techniques; Cost-benefit analysis. Planning models.

Planning in India. Evolution of Planning. Five Year Plans. Objectives and techniques. Problems of resource mobilization, administration and public co-operation. Role of monetary and fiscal policies; price policy, controls and market mechanism. Trade policy and Balance of payments. Role of public enterprises.

5. *Statistics I.*—(Code—03)

Different types of numerical approximations; finite differences, standard interpolation formulae and their accuracies; inverse interpolation, Numerical methods of differentiation and integration.

Definition of probability. Classical approach, axiomatic approach. Sample space. Laws of total and compound probability. Conditional probability. Independent events. Bay's formula. Random variables; probability distributions; Mathematical expectation. Moment generating functions and characteristic functions. Inversion theorem. Tchebychev's inequality. Conditional distributions. Laws of large numbers and central limit theorems.

Standard distributions : Binomial, Poisson, Normal Rectangular. Exponential. Negative binomial. Hypergeometric Cauchy, Laplace, Beta and Gamma distributions, Bivariate and Multiyariable normal distributions.

Large and small sample theory : Asymptotic sampling distributions and large sample tests. Standard sampling distributions such as tx^2 F, and tests of significance based on them. Association and analysis of contingency tables.

Correlation coefficient and its distribution; Fisher's 'Z' transformation. Regression : linear and polynomial : multiple regression—partial and multiple correlation coefficients including their distributions in null cases. intra class correlation. Curve fitting and orthogonal polynomials.

Analysis of variance. Theory of linear estimation, two-way classification with interaction. Analysis of covariance. Basic principles of design of experiments. Layout and analysis of common designs such as randomised blocks. Latin square Factorial experiments and confounding Missing plot techniques.

Sampling techniques : Simple random sampling with and without replacement. Stratified sampling. Ratio and regression estimates. Cluster sampling, multistage sampling and systematic sampling. Non-sampling errors.

Estimation : Basic concepts. Characteristics of a good estimate. Point and interval estimates Maximum likelihood estimates and their properties.

Tests of hypotheses. Statistical hypotheses : Simple and composite. Concept of a statistical test. Two kinds of error Power function. Likelihood ratio tests. Confidence interestimation. Optimum confidence bounds.

Common non-parametric tests such as sign test, median test and run test, Wald's sequential probability ratio test for testing a simple hypothesis against a simple alternative OC & ASN functions and their approximations.

6. *Statistics II.*—(*code*—04)

NOTE :—In this subject, there will be separate papers on each of the following five branches, *viz.* (i) Industrial Statistics (including Statistical Quality Control), (ii) Economic Statistics. (iii) Educational Statistics (including Psychometry). (iv) Genetical Statistics, and (v) Demography and Vital Statistics. Candidates offering this subject, whether as a compulsory or as an optional subject are required to choose any two of the above papers, which they must indicate in their applications. No change in the selection of papers once made will be allowed.

(i) *Industrial Statistics (including Statistical Quality Control).*

Theoretical basis of quality control in industry. Tolerance limits. Different kinds of control charts—X, R charts, p and c charts, group control charts.

Acceptance sampling, Single, double, multiple and sequential sampling plans. OC and ASN functions. Sampling by attributes and by variables. Use of Dodge-Roming and other tables.

Design of industrial experimentation. Use of regression techniques and analysis of variance techniques in industry.

Applications of Operational research techniques including linear programming in industry.

(ii) *Economic Statistics*

Index numbers of prices and quantities. Different types of index numbers *e.g.* index numbers of wholesale prices and cost of living index numbers Theory of index numbers.

Income distributions. Pareto and other curves Concentration curves and their uses.

National Income Different sectors of national income. Methods of estimating national income. Inter-sectoral flows. Problems of regional income, estimates. Inter-industry table. Applications of input-output analysis and linear programming.

Analysis and interpretation of economic time series. The four components of an economic time series. Multiplicative and additive models. Trands determination by curve fitting and by moving average method. Determination of constant and moving seasonal indicies. Auto-correlation, periodogram analysis, tests of randomness.

Theory of consumption and demand, demand function, elasticities of demand statistical analysis of demand with the help of time series and family budget data.

(iii) *Educational Statistics (including Psyclometry)*

Scaling of test items, Scores, standard scores, normal scores. T and C scales, stanine scale, percentile scale.

Mental tests. Reliability and validity of tests. Different methods for computing reliability. Index of reliability. Procedures for determining validity. Validation of a test battery. Speed versus power tests.

Factor Analysis Item analysis. Use of correlation methods in aptitude tests.

Measurement of learning and forgetting. Learning models. Attitude and opinion measurement. Measurements of group behaviour.

(iv) *Genetical Statistics*

Physical basis of heredity. Mendels laws. Linkage Analysis of segregation, detection and estimation of linkage.

Polygenic inheritance. Components of phenotypic variation. Estimation of heritability. Selection Basis of selection. Progeny testing. Selection for combination of characters.

Population genetics. Gene frequency. Inbreeding. Random mating. Linkage disequilibrium.

Elements of human genetics. Study of blood groups, disease traits and aberrations.

(v) *Demography and Vital Statistics*

The life table, its construction and properties. Makeham's and Compertz curves. Derivation of annual and central rates of mortality. National life tables. U.N. model life tables. Abridged life tables. Stable population. Stationary population.

Crude fertility rates, specific fertility rates gross and net reproduction rates; family size; crude mortality rate, infant mortality rates; Mortality by cause of death; Standardised rates..

Internal and international migration; net migration; backward and forward survivorship ratio methods.

Demographic transition; Social and economic determinants of population.

Population projections. Mathematical and Component methods. Logistic curve fitting.

7. *Comparative Economic Development* (*code*—05)

A comparative and historical study of modern economic development under different social systems with special reference to India. Japan, France, U.K., USA and USSR. The candidates will be expected to make a critical appraisal of the historical evolution and operational features of the various types of economies *e.g.* market-oriented free enterprize economy, centrally planned economy and their variations, particularly from the point of view of the lessons that they have for developing economies.

8. *Money and Public Finance* (code—06)

Nature and functions of money. Value of money. Money output and prices. The multiplier and the process of income generation. Trade cycles and price movements. Inflation.

Objectives and mechanism of monetary policy. Bank rate and open market Operations. Central Bank techniques : general and selective credit controls. Monetary policy in a developing economy. Money and capital markets in developed and developing economies. Organisation of the Indian money market.

Public finance : nature, scope, importance and objectives.

Theory of taxation : effects and incidence of taxation. Taxable capacity and double taxation. Effects and importance of public expenditure. Fiscal policy for full employment and economic development. Deficit financing. Revenue from public enterprises.

Theory of public debt. Internal and foreign loans debt management.

Theory of federal finance.

9. *Rural Economics and Co-operation* (code—07)

Role of agriculture in economic development.

Agricultural production and resources use, production functions, returns to scale cost and supply curves; factor combination and selection of techniques under uncertainty. Crop planning.

Factor markets; Land market, land value and rent. Labour market, wages and employment, unemployment and under-employment, Capital market, savings and capital formations.

Commodity demands; demand for food.

International trade in agricultural commodities—prices, tariffs, commodity agreements. International programmes for agricultural development.

Problems of Indian rural economy. Agricultural holdings. Land utilisation Cropping pattern. Problems of agricultural inputs, land tenure reforms. Community Development and Panchayati Raj. Agricultural Labour Subsidiary occupations and rural industries. Rural indebtedness. Agricultural credit. Agricultural marketing and price spread. Commodity demands and demand for food. Price support and stabilisation. Taxation of agricultural land and income. Growth rate in Indian agriculture under planning.

Agriculture in Five Year Plans. Major programmes of agricultural development.

Co-operation : Principles origin and development. Comparative study of co-operation in India and abroad. Structure Organisation and working of various types of co-operative institutions in India. Role of these institutions in the rural economy. The State and the co-operative movement. Role of the Reserve Bank of India.

10. *International Economics* (code—08)

International trade. Theories of international trade. Gains from trade. Terms of trade. Trade policy. International trade and economic development. Theory of tariffs. Quantitative trade restrictions. Customs unions. Free trade areas, European Common Market.

Balance of payments. Disequilibrium in balance of payments, Mechanism of adjustments. Foreign trade multiplier. Exchange rates. Import and exchange controls. Trade agreements. Key currency standard, External and international balance.

International institutions. International liquidity and I.M.F. International monetary reforms. Secular trends in terms of trade of developing countries. Export instability and stabilisation of commodity prices. G.A.T.T. Movements of international capital private and public. International aid for economic growth. I.B.R.D. and its affiliates. Asian Development Bank.

11. *Mathematical Economic and Econometrics* (code—09)

Role of mathematics and statistics in economics : Measurement in economics. Role of mathematics in economics. Statistical methods and techniques of inference in measuring economic relationships.

Demand analysis : General theory and measurement of demand; dynamic and static demand functions. Interrelated demand and supply functions under conditions of planning methods of estimation of demand and supply relationships. Demand projections and short term outlook for prices and demand.

Production of functions : Concept of production and transformation functions: methods of fitting production functions: mathematical methods of production planning control.

Linear programming : Activity analysis; liners programming and its applications. Input-output analysis; elements of games theory—their application in economic planning.

Mathematical models of Keynesian and classical economics: Concept of multiplier; acceleration principle. Equilibrium analysis; equilibrium of the consumer, stability conditions, effect on demand of increases in income and prices, complements and substitutes. Market demand : equilibrium of exchange, equilibrium of the firm. Equilibrium of production and exchange in the economy generalized law of demand and supply.

Concept of structure and model; Different concepts of structure distinction between structure and model. Estimation of parameters in single equation and simultaneous equation models.

Planning modes : Different types of growth models, capital output ratios and their use in economic planning. Planning models. Long term projections and perspective; short term economic forecasting.

12. *Sample Surveys* (code—10)

Place of sampling in census and survey work. Concept of frame and sampling unit.

Sampling techniques : Random sampling, stratified sampling choice of strata, multistage sampling, cluster sampling, systematic sampling, double sampling, variable sampling, fraction sampling with probability proportional to size, multiphase sampling inverse sampling.

Estimation procedures: Estimates of population total and mean; bias in estimates; standard error of estimates. Ratio regression and product estimates.

Optimum designs· Cost and variance functions. Use of pilot surveys. Optimum size and structure of sampling units. Optimum allocation in stratified. Multiphase and multistage designs. Optimum replacement fraction in repetitive surveys.

Non-sampling errors and their control, theory of non-response, inter-penetrating samples.

Design and organisation of pilot and large scale sample surveys. Operational procedures for drawing samples; use of random sampling numbers; various methods of drawing pp S samples. Procedures for collection and tabulation of data. Analysis of survey data and preparation of reports.

13. *Industrial Economics* (code-11)

Industry, Structure of competitive industry. Theory of the size of any industrial unit. Theory of industrial location. Regional development of industry. Industrial integration. Combination and monopoly.

Problems of industrial production. Productivity—concept and measurement. Techniques of raising productivity. Cost structure and pricing policies.

Structure of Indian industry—size, location, integration and regional balance.

Problems of Indian Industry—finance; inputs; utilisation of capacity. Industrial policy. Private and public sectors. Industrial licensing. Foreign capital and technical collaboration.

Problems of public enterprises—organisation, management, control and accountability.

Problems of small scale industries and Industrial Estates.

Labour and economic development. Labour productivity and incentives. Industrial relations in India, Organisation and structure of trade unions. Trade Unions and the State. Settlement of industrial disputes. Minimum and fair wages. State regulation of wages and working conditions. Labour welfare.

14. *Theory and Practice of Trade* (Code—12)

Marketing. The concept of marketing characteristics of a market. Marketing functions : marketing process, concentration and dispersion, buying, Selling, transportation, storage, grading and finance. Customer behavious and decision. Marketing information and research. Channels of distribution. Marketing cost and efficiency. Sales forecasting and planning. Sales promotion; advertising and salesmanship, State regulated marketing.

Marketing in India, Marketing of agricultural produce and manufactured products. Organised markets in India—Stock exchanges and produce exchanges, their functions and processes. State policy; governmental marketing organisations and State trading.

Foreign trade. Characteristics of an international market. Special problems of foreign trade as distinct from domestic trades; transport; finance and insurance; risks in respect of credit, exchange fluctuations and transfer of payments, Documents used in foreign trade. Organisation and structure of export and import houses. Techniques of import and export control.

Chief feature of India's foreign trade—Commodity composition. Value and directions. Operation of export and import controls during the last ten years. Licencing procedures and criteria Foreign trade finance. Export Risks Guarantee System Methods of export promotion adopted in recent years. India's trade agreement, Functions of the State Trading Corporation.

15. *Business Finance and Accounts* (Code-13)

Financial needs of modern industry. Sources of industrial finance in India. Indian capital market. Institutional financing. Foreign capital; Sources interest rates and terms of repayment.

Budgeting capital requirements of a firm. Optimal capital structure. Sources and use of funds in a firm; Self-financing Depreciation policy. Reserves and dividents. Taxation and financial policy.

Capital budgeting Preparation, analysis and interpretation of financial statements. Valuation of goodwill and shares. Preparation of schemes of reconstruction, amalgamation and absorption; recording the effect in books of account.

Preparation of costing statements, treatment and control of overheads. Principles of budgetary control. Standard costing. Reconciliation of financial and cost accounts.

16. *Business Management and Commercial Law* (*Code*-14)

The management process and managerial functions. Formulation of policy and goals of enterprise. Leadership and morale; control and decision-making. Authority relationships, delegation of authority, levels of authority and responsibility, span of control. The role of the supervisor. Problems of communication and motivation.

Production and inventory control. Quality control. Time and motion study. Plant layout and work measurement.

Managerial problems in marketing operations, Selection and control of channels of distribution; product line, pricing and sales promotion policy. Demand analysis and advertising.

Personnel management. Problems of selection, placement, promotion, transfer and retirement. Job-evaluation and merit rating. Union-management relations.

Legal framework of business activities in India.

Law relating to contracts and companies.

17. *Advanced Probability and Stochastic Processes* (Code-15)

(a) Advanced Probability.—Probability as measure; random variables; decomposition of distribution functions; expectation of a random variable; the conditional probability and conditional expectations; convergence of sequences and some of independent random variables; Kolmogorow's inequality; strong and weak laws of large numbers; convergence in distribution; Theorems of convergence and continuity; Characteristic functions Uniqueness theorem; inversion formula; central limit theorems; Problem of moments.

(b) Stochastic Processes.

Definition and classification of stochastic processes.

Stochastic processes and a family of real-valued random variables indexed by an ordered set (discrete or an interval of the real time). The class of finite-dimensional distribution functions and statement of Kolmogorow's Consistency theorem.

Various types of dependence among the random variables : independence, independent increments, martingales. Markov dependence, wide and strict sense stationarity.

Markov Processes

Strictly stationary Markov process with discrete parameter and with finite and denumerable state spaces (also called Morkov chairm); transition probability matrices; classification of states and classes of states.

Markov process with continuous parameter and discrete state space ; Kolmogorow forward and backward equations : Simple time dependent stochastic processes regarding population growth; Poisson process; Pure birth process; Birth and death process (complete solution in the case of linear processes of the two latter types).

Wide sense stationary process with discrete parameter

Covariance functions; spectral representation of the covariance function and of the process; examples of correlation functions of stationary processes; linear prediction of stationary processes; examples in the case of general rational spectral density.

18. *Statistical Inference* (Code-16)

NOTE : Candidates will be require to answer questions from Sections 'A' and 'B' or Sections 'A' & 'C'.

A.(i) *Estimation*

Different methods of estimation : method of maximum likelyhood method of mimimum-chi-square, method of moments, method of least squares; asymptotic properties of maximum likelihood estimators. Gramer-Rao inequality and its generalization to the multiparametric case. Bhattacharya bounds. Sufficient Statistics : Factorization theorem, Pitman-Koopmam-Darmois form of distributions, minimal set of sufficient statics. Rao-Balackwell theorem. Complete family of probability distributions, complete statistics. Lehmaum-Scheffe' theorem on minimum variance estimation.

(ii) *Testing of hypotheses*

Neyman-Pearson theory of testing of hypotheses. Randomized and non-randomized tests.

Most powerful and uniformly most powerful tests. Neyman-Pearson fundamental lemma Unbiasedness, consistency and efficiency of tests. Similar regions, tests with locally optimum properties. Type A, A1, B, C and D critical regions. Relationship between notions of completeness and similarity. Likelihood-ratio principle of test construction and some of its applications Bartlets test for homogeneity of variances.

(iii) *Non-parametric tests.*

Order statistics; Small sample and large sample distribution theory, distribution-free confidence intervals for quantiles. Distribution-free tests for

(i) goodness of fit : chi-square test, Kolmogorow-Simrnov test.

(ii) Comparison of two populations : Run test, Dixon's test, Wilcoxon's test, Median test, Sign test. Fisher-Pitman test.

(iii) Independence : contingency, chi-square. Spearman's and Kendall's rank correlation coefficients.

Large sample properties of non-parametric test. U-statistics and their limiting distributions.

B. *Decision Functions*

Statistical game and principles of choice associated with it. Formulation of statistical problems as a statistical game, decision functions, randomized and non-randomised decision rules. Minimax, Bayes and minimum regret decision rules. Admissible and minimax tests. Admissible and minimax estimates under square error loss function. Minimal complete class of tests.

Principle of sufficiency and principle of invariance. Huntstein theorem. Minimax invariant decision rules.

C. *Multivariate Analysis*

Multivariate Normal Distributions Estimation of mean vector and covariance matrix; Distribution of Sample mean vector and inference relating to mean vector with unknown matrix; Hotelling's Tests based on T^2; Power functions of T^2 and F; Optimum properties of T^2. Partial and multiple regression coefficients in normal correlation; Behren's—Fisher problem; Wishart distribution; Reproductive property of Wishart; Generalised analysis variance; Mahalanobis's D^2 Discriminan functions; Principle component analysis: Canonical variates and canonical correlation; equality of several covariance matrices.

19. *Design of Experiments* (Code-17)

Principles of experimentation : randomisation, replication and error control. Techniques for error control; choice of size, shape and structure of experimental units grouping of experimental units.

Basic assumptions of analysis of variance. Effects of non-addivity, variance heterogeneity and non-normality. Transformation. Pure and mixed models. Use of concomitant variables. Covariance analysis.

Construction and analysis of; incomplete block designs (with and without recovery of inter block information), latice designs partially balanced incomplete block designs Hyper-Graeco-Lain Squares and other design for elimination of heterogeneity in several directions.

Construction of factorial designs and their analysis : confounding in symmetrical ractorical experiments : total and partial; balanced confounding. Confounding of main effections: split plot, strip-plot and other designs. Fractional replication. Experiments with qualitative and quantitative factors.

Techniques for analysis for experiments with missing or mixed up yields. Analysis of non-orthogonal data. Combination of results of groups of experiments. Response curves and standardisation of response.

20. *Pure Mathematics I* (Code-18)

Functions of a real variable : Construction of system of real numbers from rational numbers by Dedekinds method. Bounds and limits of sequences and functions. Convergence point-wise and uniform of sequences, infinite series and infinite products.

Metric-spaces : open and closed sets, continuous functions and homomorphism; convergence and completeness, theorem on nested closed sets in complete metric spaces. Compactness for metric spaces and enclidean spaces. Uniform continuity and Arzela's theorem Connected sets in metric spaces.

Differentiability of functions, of one and several real variables. Mean value theorems. Taylor expansion of functions of one and more variables. Extreme values of functions including method of Lagrange multipliers. Implicit and inverse function theorems. Functional dependence and Jacobian.

Riemann integration, mean value theorems of integral calculus. Improper integrals. Convergence of integral. Differentiation and integration under the integral sign. Line and surface integrals. Multiple integrals. Green's and Stocks Theorems.

Meature Theory : Lebesgue measure, measurable sets and their properties. Measurable functions. Lebesgue integral of bounded functions over sets of finite measure. The integral of a non-negative function. The general Lebesgue integral Convergence in measure. Fatou's lemma. Monotone, dominated and bounded convergence theorems. Vitali covering theorem. Functions of bounded variation. Absolutely continuous functions. Fundamental theorem of integral calculus, Stielties-integral.

Function of a complex Variable : Analytic functions. Cauchy Riemann equations. Integration of complex functions. Cauchy's fundamental theorem and integral formulae, Moreras theorem. Taylor and Laurent expansions. Zeros and poles. Singularities. The Residue Theorem and its applications Argument principle. Rouches theorem. Maximum modulus principles and Schwarz lemma.

Bilinear transformations. Conformal representation.

Doubly periodic functions. Weierstrass's functions. Jacobi's S_n, C_n dn functions. Elliptic integrals.

21. *Pure Mathematics II* (Code-19)

Modern Algebra including Matrices and Determinants—Semigroups and groups: Isomorphism, Transformation group Cayley's theorem. Cyclic groups, Permutations; even and odd permutations. Coset decomposition of groups Lagrange's theorem. Invariant subgroups and factor groups. Homomorphism and Automorphism. Conjugate elements. Normal series, composition series and Jordan—Holder theorem.

Rings : Integral domain. Division rings. Fields. Matrix rings. Quaternions. Sub rings, Ideals : maximal, Prime and principal ideals. Unique factorization domains. Difference rings Ideals and difference rings of integers. Format's theorem Homomorphism of rings.

Fields extensions algebriac and transcdental field extensions. Elements of Galosis theory and its applications to solution of equations by radicals.

Vector spaces over a field. Sub spaces and their algebra-Linear independence basis dimension. Factor spaces. Isomorphism of vector spaces.

System of linear equations. Rank of a matrix. Equivalence relations on matrices elementary matrices, row equivalences, equivalence, similarity.

Linear transformations on vector spaces, their rank and nullity. Dual spaces and dual basis. Linear, bilinear and quadritic forms. Rank and signature Reduction of a quadratic form to canonical form and simultaneous reduction of two quadratic forms.

Determinant functions. Its existence and uniqueness Laplace's method of expanding a determinant. Product of two determinals. Binet-Cauchy formula. Characteristics and minimal polynomials. eigen values and eigen vectors. Cayley-Hamilton theorem Diagonalization theorems.

n-dimensional geometry—Elements of the geometry of n-dimension, Desargues theorem. Degrees of freedom of linear spaces Duality. Parallel lines : Elliptic hyperbolic. euclidean and projective geometries. Line normal to (n—1) Flat System of n-mutually orthogonal lines. Distances and angles between flat spaces.

Convex sets and convex cones. Convex hull. Theorem on separating hyperplanes. Theorem that a closed convex set which is bounded from below has extreme points in every supporting hyperplane. Convex hull of extreme points. Convex polyhedral cones. Linear transformations of regions.

Differential geometry.—Curves in space. Envelopes, Developable surfaces. Developable associated with a curve. Curvilinear coordinates on a surface. First and second fundamental forms. Curvature of normal section. Lines of curvature. Conjugate systems. Asymptotic lines. The equations of gauss and of Codazzi. Geodesics and Geodesic parallels. Ruled surfaces.

22. *Pure Mathematics III* (Code-20)

Numerical Analysis and Difference Equations.—Finite differences. Interpolation. Extrapolation Inverse interpolation Numerical differentiation ad numerical integration. Solution of difference equation, of the first order. General properties of the linear difference equation. Linear difference equations with constant coefficients.

Solution of ordinary differential equations. Methods of starting the solution and continuing the solution. Simultaneous linear equation and their solution. Roofs of polynomial equations. Solution of simple problems by relaxation method Nomograms.

Differential Equations.—*Existence theorem for the solution* of dy/dx=f (x,y).

First order linear and non-linear equations. Linear equations with constant coefficients. Homogeneous linear equations. Second order linear equations. Frobenius method of integration in series. Solutions of Legendre. Bessel and Hermite equations. Elementary properties of Legendre and Hermite polynomials and Bessel functions. Systems of simultaneous linear equations. Total differential equations with three variables.

Partial differential equations : partial differential equations of first and second order Lagrange's Charpit's and Monge's method. Linear partial differential equations with constant coefficients. Solutions of Laplace's wave and diffusion equations by separation of variables.

Calculus of Variations.—Necessary conditions for a minimum. Derivation of the Euler-equations. Hamilton's principle. Hamiltonian. Isoperimetric problems. Variable and point problems. Minima of functions of integrals. Bolza's problems. Multiple integral problem. Direct method in calculus of variation. Second variation and legendre's necessary condition for a minimum.

Harmonic Analysis.—The representation of a function by Fourier series. Dirichlet integral. Reimann Lebesque Theorem. Riemann's localization theorem. Sufficient conditions for the convergence of Fourier series (Jordan, Dini & de la valee Poussin). Fourier Integrals. Sampling theorem Power Spectrum Auto-correlation and cross-correlation.

23. *Applied Mathematics* (Code-21)

Statics.—Vector treatment of equilibrium of a rigid body under forces not necessarily coplanner. Central axis. Principles of virtual work. Stability. Strings under central forces, equilibrium of strings on rough and smooth plane curves Elastic strings. Attractions and potentials of a rod, disc and sphere.

Dynamics.—Newton's laws of motion. D'Alembert's principle. Rectilinear motion. Motion in two dimensions. Motion in a resisting medium. Planetary motion. Impulsive forces and impacts. Principle of momentum and energy. Degrees of freedom and constraints. Generalised coordinates. Lagrange's equations for holonomic system. Euler's dynamical and geometrical equations. Hamilton's principle. Hamiltons equations Introduction to many-body problem.

Hydrodynamics.—Eulerian and Lagragian equations of motion Stream lines. Vorticity and circulation and their constancy in ideal fluid.

Bernoulli's theorem and its application. Potential flow around cylinders and spheres. Blasius theorem and its application Techniques of images and conformal transformation for solution of hydrodynamical problems. Simple properties

of vortex motion, uniqueness theorem. Viscousfluid. Napier Stokes equations. Flow between parallel walls and straight pipes. Green and Stokes approximations. Slow motion past a sphere.

Electricity and magnetism.—Coulomb-Law. Charges. Conductors and condensers. Dielectrics. Steady currents. Magnetic effects of currents. Induced currents and fields. Maxwell equations. Electromagnetic conditions at an interface between two media. Electromagnetic potentials, stresses and energy. Poyniting's theorem. Joule heat. Alternating currents. Electromagnetic waves in an isotropic dielectric. Reflection and refraction of electromagnetic waves. Waves in conducting media.

Thermodynamics.—Concepts of quantity of heat, temperature and entropy. First and second laws of thermodynamics. Specific heats. Change of phase. Vapour pressure. Conduction of heat. Radiation. Planck's law. Stefan's law. Thermodynamic functions and potentials. Heterogenous system and Gibb's phase rule.

Statistical Mechanics.—Geometry and kinematics of the phase space. Maxwell-Boltzmann Bose Einstein and Fermi-Dirac statistics.

PART B

Vive Voce.—The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview is to assess his suitability for the Service or Services for which he has competed. The interview is intended to supplement the written examination for testing the general and specialised knowledge and abilities of the candidate. The candidate will be expected to have taken an intelligent interest not only in his subjects of academic study, but also in events which are happening around him both within and without his own state or country, as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well-educated youth.

The technique of the interview is not that of a strict cross examination, but of a natural, though directed and purposive conversation, intended to reveal the candidate's mental qualities and his grasp of problems. The Board will pay special attention to assessing the intellectual curosity, critical powers of assimilation, balance of judgement and alertness of mind, the ability for social conhesion; integrity of character, initiative and capacity for leadership.

APPENDIX III

Brief particulars relating to the two Services to which recruitment is being made through this examination :

1. Candidates selected for appointment to either of the two Services will be appointed to Grade IV of the Service on probation for a period of two years which may be extended if necessary. During the period of probation, the candidates will be required to undergo such courses of training and instruction and to pass such examination and tests as the Government may determine.

2. If in the opinion of Government the work or conduct of the officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient Government may discharge him forthwith.

3. On the expiry of the period of probation or of any extension, if the Government are of opinion that a candidate is not fit for the permanent appointment. Government may discharge him.

4. On completion of the period of probation to the satisfaction of Government, the candidate shall if considered fit for permanent appointment be confirmed in his appointment subject to the availability of substantive vacancies in permanent posts.

5. Prescribed scales of pay for both the Indian Statistical Service and the Indian Economic Service are as follows :

Selection Grade Rs. 2000—125/2—2250.

Grade I—Director Rs. 1800—100—2000.

Grade II—Joint Director Rs. 1500—60—1800.

Grade III—Deputy Director Rs. 1100—50—1600.

Grade IV—Assistant Director Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

6. Promotion to the next Grade of the Service will be made in accordance with the provisions of Indian Economic Service/Indian Statistical Service Rules, as amended from time to time.

An officer belonging to the Indian Statistical Service/Indian Economic Service will be liable to serve anywhere in India or abroad under the Central Government and may be required to serve in any post on deputation for a specified period.

7. Conditions of service and leave and pension for officers of the two Services are the same as those described in the Fundamental Rules and Civil Service Regulations of Government of India respectively subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

8. Conditions of Provident Fund are the same as laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

APPENDIX IV

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirement prescribed in the regulations, cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2. It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

3. The candidates' height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard. the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the interior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side, and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres 84—89, 86—93 etc. In recording the measurements, fractions of less than a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidates will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of half of a kilogram should not be noted.

6. (a) The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses.

Distant vision		Near vision	
Better eye (Corrected vision)	Worse eye	Better eye (Corrected vision)	Worse eye
6/9	6/9 or		
6/9	6/12	J.I	J.II

(d) In every case of myopia, fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and effect the efficiency of the candidate, he should be declared unfit.

(e) *Field of vision.*—The field of vision shall be tested by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) *Night Blindness.*—Broadly there are two types of night blindness, (1) as a result of Vit. A deficiency and (2) as a result of Organic Disease of Retina—a common cause being Retinitis pigmentosa, in (1) the fundus is normal, generally seen in younger age-group and ill-nourished persons and improves by large doses of Vit. A. in (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult, and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category. For both (1) and (2) dark adaptation test will reveal the condition. For (2) specially when fundus is not involved electro-Retinography is required to be done. Both these tests (dark adaptation and retinography) are time-consuming and required specialized set-up and equipment, and thus are not possible as a routine test in a medical check-up. Because of these technical consideration it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employee.

(g) *Ocular condition other than visual acuity.*—(i) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered a disqualification.

(ii) *Squint.*—For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard should be considered a disqualificaion. For other services the presence of squint should not be considered as a disqualification, if the visual acuity is of the prescribed standard.

(iii) *One eye*—If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is embyloyopic or has subnormal vision, the usual effect is that the person lacks streoscopic vision for preparation of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommend as fit, such persons provided the normal eye has—

(i) 6/6 distant vision and JI near vision with or without glasses, provided the error in any meridian is not more than 4 diopteres for distant vision.

(ii) has full field of vision.

(iii) normal colour vision wherever required.

Provided the board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

(h) *Contact Lenses.*—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye test, the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

7. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure.

A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of the age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 and diastolic over 90 should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc, or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examination, of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patients side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level of the column at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes as the cuff is deflated sounds are heard, at a certain level : they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate, "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to apparent in person before the Board on the

second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist ; provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

1. Marked or total deafness in one ear, other ear being normal.	Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency.
2. Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-tech-jobs if the deafmical-ness is upto 30 decibel in speech frequencies of 1000 to 4000.
3. Perfoation of tympanic membrane of Central or marginal type.	(i) One ear normal other are perforation of tympanic membrane present-temporaryily unfit. Under improved conditions of ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (ii) below.
	(ii) Mariginal or attic perforation in both ears—Unfit.
	(iii) Central perforation both ears—Temporarily unfit.
4. Ears with mastoid cavity subnormal hearing on one side on both sides.	(i) Either ear normal hearing other ear Mastoid cavity—Fit both technical and non technical jobs.
	(ii) Mastoid cavity of both sides unfit for technical job. Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 Decibels in either ear with or without hearing aid.
5. Persistently discharging ear-operated/unoperated.	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
6. Chronic inflamatory/allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(ii) A decision will be taken as per circumstances of individual cases.
	(iii) If deviated nasal septum is present with symptoms—Temporarily unfit.
7. Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larnyx-Fit.
	(ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then—Temporarily unfit.
8. Benign or locally malignant tumours of the E.N.T.	(i) Benign tumours—Temporarily unfit.
	(ii) Malignant Tumours—Unfit.
9. Otoselerosis	If the hearing is within 30 Decibels after operation or with the help of hearing aid—Fit.
10. Congenital defects of ear nose or throat.	(i) If not interfering with functions—Fit. (ii) Stuttering, of severe degree—Unfit.
11. Nasal Poly	Temporarily Unfit.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth are in good order and that he is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Screening of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs which may not be apparent by ordinary physical examination, where it is considered necessary, a skiagram should be taken.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12. The candidates filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50 in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The candidates may, if they like, enclose medical certificate in support their claim of being fit. Appeals should submitted within 21 days of the date of the communicated in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates, otherwise, requests for second medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The medical examination by the Appellate Medical Boards would be arranged at New Delhi only and no travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Boards would be taken by the Cabinet Sectt. (Deptt. of Personnel and Administrative Reforms) on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee.

Medical Boards Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government or the appointing authority, as the case may be that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defeat which is only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

The Board should normally consist of three members (i) a physician, (ii) a Surgeon and (iii) an Ophthalmologist all of whom should as far as particable, be of equal status. A lady doctor will be coopted as a member of the Medical Board wherever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Economic Service/ Indian Statistical Service are liable for field service in or out of India. In case of such a candidate the Medical Board should specially record their opinion as to his fitness or otherwise for field service. The report of the Medical Board should be treated as confidental.

In cases where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Sevice, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporary Unit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) *Candidate's statement and declaration*

The candidate must make the statement required below prior to has Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :

1. State your name in full (in block letters) ....

2. State your age and birth place ....

2. (*a*) Do you blong to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average heights in distinctly, lower ? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the race. ....

3. (*a*) Have you ever had smallpox, intermittent or any other fever-enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting, attacks, rheumatism, appendicitis ? ....

(*b*) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ? ....

4. When were you last vaccinated ? ....

5. Have you suffered from any form of nervousness due to overwork or any other cause ? ....

6. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at, and cause of death

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death

7. Have you been examined by a Medical Board before ? ....

8. If answer to the above is 'Yes', please state what Service/Services, you were exam.ned for ? ....

9. Who was the examining authority ? ....

10. When and where was the Medical Board held ? ....

11. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known. ....

I declare that all the above answes are to the best of my belief, true and correct.

Candidate's signature ....

Signed in my presence...........

Signature of the Chairman of the Board

NOTE.—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appoint-

ment and, if appointed, of forfeiting all claims to superannuation Allowance or Gratuity.

Report of the Medical Board on (name of candidate)......
..................................Physical Examination

1. General development : Good..............fair..........
Poor.........................
Nutrition : Thin ....Average............obese......
Height (without shoes)..................Weight........
Best Weight..........When ....any recent ......
change in weight ?.................... .Temperature....
Girth of Chest :
(1) (After full inspiration)................ ....
(2) (After full expiration)............................

2. Skin : Any obvious disease...........................

3. Eyes :
(1) Any disease....................................
(2) Night blindness................................
(3) Defect in colour vision........................
(4) Field of vision................................
(5) Visual acuity..................................
(6) Fundus Examination.............................

Acuity of vision	Marked eye	With glasses	Strength of glass Sph. Cyl. axis.
Distant vision	R.E.		
	L.E.		
Near vision	R.E.		
	L.E.		

4. Ears : Inspection......Hearing : Right Ear..............
Left Ear..

5. Glands...... .... Thyroid........

6. Condition ol teeth.............................. ......

7. Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?............
If yes, explain fully...................................

8. Circulatory System :
(*a*) Heart : Any organic lessions?..................Rate
Standing ....
After hopping 25 times...........................
2 minutes after hopping..........................
(*b*) Blood Pressure : Systolic..........Diastolic..........

9. Abdomen : Girth................Tenderness............
Hernia ....
(*a*) Palapable : Liver.............. Spleen....... ......
Kidneys...................... Tumours...........
(*b*) Heamorrhoids..................Fistula ....

10. Nervous System : Indication of nervous of mental disabilities...

11. Loco-Motor System : Any abnormality..................

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocole, varicocele, etc.

Urine Analysis :
(*a*) Physical appearance.............................
(*b*) Sp. Gr...
(*c*) Albumen ....
(*d*) Sugar ....
(*e*) Casts ....
(*f*) Cells ....

13. Report of Screening/X-ray Examination of Chest.

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ?

NOTE.—In the case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, *vide* Regulation 9.

15. (*i*) Has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in the Indian Economic Service & Indian Statistical Service.

(*ii*) Is the candidate fit for FIELD SERVICE . ...

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following three categories :

(*i*) Fit ....
(*ii*) Unfit on account of................. ....
(*iii*) Temporarily unfit on account of........... .. ..

Place ....

Date...........................

Chairman

Member

Member

MINISTRY OF PLANNING
(DEPARTMENT OF STATISTICS)

New Delhi, the 14th July 1975

No. H-11013/3/74-JCM.—In supersession of the Department of Statistics Notification No. M-13013/2/72-NSS-I dated the 7/8th September 1972, the Government of India hereby reconstitute the "Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of living" with the following membership :—

Chairman

1. Director,
Central Statistical Organisation,
Department of Statistics.

Members

2. Advisor,
Employment, Labour & Manpower Planning
Planning Commission.

3. Economic & Statistical Adviser
Ministry of Agriculture and Irrigation.

4. Economic Adviser
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs.

5. Economic Adviser
Ministry of Industry & Civil Supplies.

6. Economic Adviser
Planning Commission.

7. Member Secretary
Agricutural Prices Commission
Department of Agriculture
Ministry of Agriculture and Irrigation.

8. Director
Field Operations Division
National Sample Survey Organisation
Department of Statistics.

9. Director
Survey Design & Research Division
National Sample Survey Organisation
Calcutta.

10. Director
Labour Bureau
Ministry of Labour.

11. Adviser (Statistics)
Reserve Bank of India, Bombay.
12. Director
Bureau of Economics & Statistics
Govt. of Maharashtra, Bombay.
13. Director
Bureau of Statistics & Economics
Government of Orissa, Bhubaneshwar.
14. Director
Bureau of Economics & Statistics
Govt. of Andhra Pradesh, Hyderabad.

Member Secretary

15. Joint Director
Central Statistical Organisation
Department of Statistics.

2. The representatives of the State Governments will serve on the Committee for a period of 2 years, with effect from 1st August 1974.

3. The functions of the reconstituted Committee will be as under :

(a) Examination of proposals for the conduct of family budget enquiries by Central Government, State Governments, or Union Territory Administrations;

(b) Examination of schemes prepared by the Central Government, State Governments, or Union Territory Administrations, for the construction of consumer price and comparative costliness indices, and special problems connected therewith, including problems concerning all-India and State level indices;

(c) Improvement & standardization of the concepts, definitions, methods of price collection, and compilation of consumer price and comparative costliness indices;

(d) Examination of schemes prepared by the Central Government, State Governments, or Union Territory Administrations, for the construction of wholesale, retail, producers' and other price indices, and special problems connected therewith, including problems concerning all-India and State level Indices;

(e) Improvement and standardization of the concepts, definitions, methods of price collection and compilation of wholesale, retail, producers' and other price indices, including methods of weighting appropriate for each type of indices;

(f) Review of organisational arrangements and the machinery for price collection with a view to rationalization and developing an integrated system of collection, compilation and dissemination of price statistics.

4. Secretarial assistance to the Committee will be provided by the Central Statistical Organisation, Department of Statistics.

V. D. AHUJA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CAMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) (COMPANY LAW BOARD)

New Delhi-1, the 14th July 1975

ORDER

No. 7(11)-75-CL.II.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Company Law Board hereby authorises the following Officers of the Government of India, in the Department of Company Affairs, for the purposes of the said Section 209A :—

1. Shri T. S. V. Panduranga Sarma,
Deputy Director, Inspection,
Company Law Board,
New Delhi.

2. Shri V. Radhakrishnan,
Assistant Inspecting Officer,
Company Law Board,
Bombay.

T. S. SRINIVASAN,
Jt. Dir. of Inspection and Ex-Officio
Dy. Secy. to the Company Law Board.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

New Delhi, the 14th July 1975

RESOLUTION

No. PPD/OPC/IR/75.—The Government of India have considered the Interim Report of the Oil Prices Committee (hereinafter referred to as the OPC) set up by the Government *vide* Government Resolution dated the 16th March 1974 under the Chairmanship of Dr. K. S. Krishnaswamy, Executive Director, Reserve Bank of India, Bombay, to recommend general principles of pricing policy of petroleum products and on other connected matters. The decisions of the Government on the recommendations of the OPC are given below :

2.1. The principle of 'import parity' does not constitute a proper basis for pricing of indigenous crude oil or refined petroleum products and should be given up as recommended by OPC.

2.2. The Committee recommended that the price of indigenous crude oil should be based on the long run social marginal cost of crude (discounted at 10% over 15 years as life of the project) and estimated it at Rs. 28.80, or $ 3.60 per barrel of 34° API calculated at the conversion rate of Rs. 8 per US dollar. The Committee also recommended an increase in the existing Oil Development Cess of Rs. 60 per tonne to Rs. 82.50 per tonne. Including this enhanced cess, the price of indigenous crude oil works out to Rs. 40 per barrel or $ 5 per barrel. For the present, Government have decided not to increase the Oil Development Cess. The price of indigenous crude oil will continue to be $ 4.58 per barrel, inclusive of the existing Oil Development Cess of Rs. 60 per tonne.

2.3. Government has also decided that this price will be expressed in terms of rupees per barrel, *i.e.* Rs. 36.64 per barrel. Fluctuations in the U.S. dollar/rupee exchange rate will not affect this price.

2.4. As a corollary to the discontinuance of the principle of 'import parity' in the pricing of crude oil, it would no longer be valid to estimate the cost of delivery of crude oil by pipeline on the basis of notional AFRA, port wharfage and landing charges. The cost of delivery of crude oil by pipeline from the Central Tank Farm to refinery installations should be borne by the refinery based on the actual operating cost, plus a return on capital employed (represented by net fixed assets and working capital).

2.5. For the present, Government have decided not to transfer the liability of sales tax from the producers of indigenous crude oil to refineries.

2.6. It would no longer be appropriate to continue the system of reimbursement of freight cost on notional AFRA basis. The actual costs of ocean transportation by Indian tankers should be reflected in the price of petro-

leum products and the refineries should be reimbursed on this basis. Additional expenditure on account of demurrage, inefficient operation etc. will not qualify for adjustment in the C&F Account. But additional expenditure (tugs, fender, baby vessels etc) entailed in lightering of high capacity takers will be reimbursed. Norms and parameters (*e.g.* on turn-round, bunker consumption ect.) should be determined by the oil industry with the approval of Government. Actual performance should be rated against these norms and parameters for adjustment in C&F Account.

2.7. The tanker freight rates should be on cost plus basis for all Indian flag tankers. The contractual rate should be in rupees per tonne.

3.1. The Committee has worked out the retention prices for each product and for each refinery, taking into account the average level of throughput, the standard pattern of production, the relevant cost of crude oil, the average refining cost, a return of 15% on capital employed and a set of indices for allocation of the total cost of each refinery among different products. This arrangement is expected to take care of the various factors peculiar to the oil industry in general and to the widely distributed and technologically disparate refineries in India in particular. Not only are the product patterns different and the processing cost, crude costs, freight rate etc. variable, but over and above this, there are also constraints placed by Government from month to month in the overall national interest regulating throughput, product pattern requiring the refineries to process different types of crude oil and the like. It is expected that the retention prices concept, with additional compensation from pool accounts when under recoveries are sustained on account of Government directives, will adequately provide for all such variations. Under recoveries on account of refinery deficiencies, breakdown etc. will not be compensated.

3.2. Government have accepted all the norms, standards and parameters adopted by OPC in working out the retention prices except the 15% return (gross), on the total capital employed by the refineries. It is considered sufficient that under normal circumstances a 10% return on net fixed assets and 15% return on working capital (crude in stock and transit, intermediate and finished products at the refinery level not exceeding two months' stock) may be allowed.

3.3. OPC has based the marketing charges on the weighted average of the marketing aid distribution costs of Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation Limited and Burmah Shell whose share in the marketing is 90%, and recommended a 12% return on capital employed by the marketing companies. Government consider that under normal circumstances this rate of return would be appropriate.

3.4. The Government have accepted the Committee's recommendation that the refineries should be the primary pricing points and the prices at upcountry depots or installations should be determined on the basis of the prices at the nearest refinery plus the cost of transportation by the cheapest means of transport. As a result of this decision, the existing primary pricing points of Okha, Goa, Kandla and Calcutta shall cease to be the pricing points.

3.5. OPC has recommended an ex-refinery price at a level 'P' (which is equal to the weighted average retention prices for all refineries) for Bombay and Koyali, P+20 for Madras, 1 Cochin and Vizag, P+30 for Haldia and Barauni and P+10 for Gauhati and Digboi refineries. It is considered that the ex-refinery prices should be uniform for all the refineries as the FOB cost of crude oil (imported and indigenous) which accounts for more than 80% of the total expenditure of the refinery, has been pooled and kept at a uniform level of P+12 weighted average for all the refineries. This will not, however, imply any scheme for freight equalisation.

3.6. The flat transportation surcharge scheme in respect of motor spirit and kerosene which is applicable to all the places in Assam State would be abolished. The prices of these two products in Assam State would be determined in the same manner as in other States.

In view of the high transportation costs in the border States/Union Territories in the north-east region, there should be a flat surcharge of 5 paise per litre on kerosene and high speed diesel oil and 7 paise per litre on motor spirit with Digboi and Gauhati as primary pricing points.

3.7. The OPC has recommended that as the refineries retention prices have been derived on the basis of actual costs plus a reasonable return rather than import parity, the levy of non-recoverable devaluation duty on bulk petroleum products is not warranted. To offset the resultant shortfall in Government revenue, a part of the existing selling price of lubes and greases should be converted into basic excise duty.

The OPC has also suggested that the WGOP and OPC duties should be merged with the basic excise duties.

Government have accepted in principle these two recommendations. Necessary action will be taken at the appropriate time.

3.8. The Freight Surcharge Pool for compensation for out of zone movement and coastal movement, crude oil price equalisation account, C&F Adjustment Account, Product Prices Adjustment Account will be continued. Only such items of expenditure as are approved by the Government will be adjusted in these accounts.

3.9. OPC has recommended certain norms for adjustments in the accruals to the oil companies in respect of shortfalls or excess in throughput, processing fee, variation in pattern of production, etc. Government have accepted these recommendations.

3.10 OPC has recommended that an Oil Coordination Committee should be set up for administering the Pool Account; deciding on allocation of crude oil and monthly production patterns; and coordinating transportation arrangements for crude oil imports and coastal movements. This should be an industry committee with a separate secretariat. The expenditure on this organization should be borne by the C&F Account. This recommendation has been accepted by the Government. The Oil Coordination Committee will consist of the Secretary, Department of Petroleum, a representative of the Ministry of Finance (Department of Expenditure), Chairman, IOC, Chairman and Managing Director, HPCL, Chief Executives of Burmah Shell, Caltex, MRL, CRL, IBP and AOC, and with the Joint Secretary, Department of Petroleum as Member-Secretary. The Secretariat should have the full time service of the experts of refineries, marketing and distribution, including transportation. In view of the complexity and number of Pool Accounts to be administered, there should be a full-fledged wing for Accounts/Finance.

3.11 For the first time Jute Batching Oil (JBO), *Special Boiling Point Spirit* (SBPS) Solvents, hexane Mineral Turpentine Oil (MTO), LPG for industril use, naphtha for industrial use are brought under the pricing scheme.

3.12. All other recommendations of the OPC excepting the price of a few products (*vide* paragraph 4 below) are accepted by the Government.

4. Taking into account the current costs of the oil industry and the floating exchange rates in the international monetary system, and taking note of the prevailing economic situation, Government have taken the following decisions on the prices recommended by the OPC.—

a. The ceiling selling prices of kerosene oil at ex-storage points at Bombay, Koyali, Cochin, Madras, Visakhapatnam, Haldia, Barauni, Gauhati, and Digboi will be increased by 5 Paise per litre instead of 11.7 paise (at Bombay) recommended by the OPC.

b. The basic ceiling selling prices of high speed diesel oil ex-storage points will be increased by 8 paise per litre instead of 14.6 paise per litre (at Bombay) recommended by the OPC.

c. The basic ceiling selling prices of furnace/fuel Oil ex-storage points will be enhanced by Rs. 80 per KL.

d. The ceiling selling price of domestic cooking gas (LPG) will be increased by Rs. 2.50 per cylinder of 15 KG instead of a ceiling of Rs. 5 per cylinder recommended by the OPC.

e. The prices of certain products, such as aviation gasolines, motor spirits, aviation turbine fuel and light diesel oil recommended by the OPC are lower than the current prices. The prices of these products will be retained at the existing levels.

f. There will be no increase in the price of naphtha used as feedstock for fertilizer production.

g. Recommendations of the OPC on the pricing of other products have been accepted by Government.

5. The decisions herein contained in respect of prices of indigenous crude oil and petroleum products and related matters will come into force with effect from 14th July, 1975 and will remain in force until further orders.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. VENKATARAMANI, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 20th June 1975

RESOLUTION

Report of the Khadi and Village Industries Committee :

No. 5 (18)/72 -KVI(I).—In the Resolution No. 5(19) 72-KVI (I) dated the 12th December 1972, the Government of India in the erstwhile Ministry of Industrial Development had notified the decisions of the Government on the various recommendations of the Committee on Khadi and Village Industries. In the annexure to that resolution, decisions in respect of recommendations No.9, 26, and 33 to 45 of that report were deferred.

Government have since examined these recommendations carefully and taken decisions thereon. The decisions of the Government of these recommendations of the Committee are listed in the annexure to this resolution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

B. N. JAYASIMHA, Jt Secy.

ANNEXURE

Summary of the Conclusions and Recommendations of the Khadi and Village Industries Committee and Govt's Decisions thereon

Sl. No. (1)	Recommendation (2)	Decision of the Government (3)
1.	9. Khadi would continue to have a recognised role as one of the rural Industries and while in some areas it may be the most important among the rural industries, with the development of scientific agriculture and advance of rural electrification, it is possible that khadi may be replaced by other more paying rural industries like agricultural processing and manufacture of agricultural inputs. Irrespective of one's view about khadi as a permanent programme, it may be agreed that for some time to come it will have a useful role in providing employment in backward rural areas and to backward sections of population. We would urge that this concept of rural industries in which khadi could have its due role should be given a concrete expression by effecting the necessary changes in organisation (Para 4.3).	The useful role of the Khadi Programme in providing employment in backward rural areas and to backward sections of population has already been accepted in principle. This role can be played effectively without effecting any radical changes in the present structure of the organisation.
2.	26. The State Rural Industries Boards, in consultation with the Rural Industries Commission, should prepare development programmes for rural industries each State. The Programme should be based on the maximum utilisation of local resources by self-employed persons who should be trained and enabled to use improved tools and techniques and, wherever possible small machines and power. Large Scale displacement of traditional artisans should however, be avoided as much as possible (Para 4.26).	Suitable development programmes for Khadi and Village industries may be prepared by the existing State Khadi and Village Industries Boards in consultation with the Khadi & Village Industries Commission without effecting radical changes in the present organisational set up.
3.	33. A streamlined organisational set up will be required for the reoriented programmes. At policy and administrative levels, there should be high degree of coordination and cohension among the various constituents of the organisation so that it can function in a dynamic and purposeful way. Further, to combat mass rural poverty and unemployment and under-employment to mobilise rural resources, both human and material and to increase rural incomes, a somewhat different organisation set up would some needed which would cover all the rural industries, with their scope properly defined, in place of the present limited schedule. (Para 7.1).	These recommendations have been carefully considered by the Govt. in consultation with the Planning Commission, the various State Governments and other concerned agencies and the Govt. have come to the conclusion that it is inopportune to effect any radical changes in the present structure of the Khadi & Village Industries Commission and the various State Khadi and Village Industries Board as also in their present coverage of industries, Govt. however, accept the main theme of the Committee's

(1)	(2)	(3)
		Recommendations regarding the need for improving the efficiency of the present organisations looking after the Khadi and Village Industries programme and their management. Steps are being initiated in taking suitable measures to achieve this objective.
4.	34. In the new organisational set up there should be a Rural Industries Commission at the apex to promote the development of cottage and small industries in the rural areas. This body should be single comprehensive authority, with necessary powers and resources and charged with the responsibility of rapid of industrialising the rural areas. It should be a statutory body consisting of seven to nine persons nominated by the Government for a period of five years with power to render advice, undertake and sponsor training and research, and generally to coordinate the implementation of the programme for the development of rural industries. For a limited period of five years, it should also have powers to give financial assistance for approved purposes. After this period is over, grants of financial assistance should be made directly by the Government of India to the State Governments for financing the programmes in their respective States. Institutions whose operations cover more than one States should be required for purposes of financing either to convert themselves into uni-State institutions whose operations cover more than one State should be required for purposes of financing either to convert themselves into uni-State institutions or to identify and present separately their activities within the borders of different States. (Para 7.2).	—Do—
5.	35. The Chairman of the Commission should preferably be a non-official and the members should include an economist, a technical expert, a financial expert and a planning expert with considerable experience of Planning of village and small industries. A representative of the administrative Ministry should be a permanent invitee to the meetings of the Commission (Para 7 2.)	—Do—
6.	36. The present Khadi and Village Industries Commission should be transformed into the Rural Industries Commission and the necessary steps or this purpose should be intiated by tht Government at an early date (Para 7.2.)	—Do—
7.	37. The Rural Industries Commission may consider whether it should be assisted by an advisory Board representative, inter-alia of the Rural Industries Board and make proposls to the Government in regard to the reconstitution of All India Khadi and Village Industries Board. (Para 7.3.)	—Do—
8.	38. Other organisations concerned with the development of rural industries as part of their functions, such as, the Handlooms Board the Handicrafts Board, the Small Scale Industries Board, the Coir Board, the Central Silk Board and Agro-Industries Corporations should continue to function as expert bodies in their respective lelds. It should be the responsibility of the administrative Central Ministry concerned to bring above coordination of approach and programmes among these various organisations and the Rural Industries Commission. For the purpose a coordinating Committee on which the Commission would be represented should be set up. The administrative Ministry concerned would be responsible to the Parliament for the rural industries sector as whole at the highest level. (Para 7 4)	—Do—
9.	39. After the Khadi and Village Industries Commission is converted into the Rural Industries Commission, the State Khadi and Village Industries Board should similarly be replaced by State Rural Industries Boards. The scope and functions of these Boards should be expanded and enlarged. They will be caled upon to undertake duties pertaining to the development of all the rural industries within the State and not merely these included at present in the schedule of the Khadi and Village Industries Commission Act. (Para 7.5.)	—Do—
10.	40. In constituting the State Rural Industries Boards, special care should be taken to avoid the inadequacies and shortcoming of the State Khadi and Village Industries Boards in the past The inter-relations between the Rural Industries Commission and the State Rural Industries Boards should be clearly defined. The policies laid down by the proposed Rural Industries Commission for the integrated and coordinated development of rural industries will have to be faithfully implemented by the State Rural Industries Boards through the field agencies, viz. registered institutions, cooperative societies and other field agencies. The State Rural Industries Board should, therefore, be a wellknit and strong organisational unit. (Para 7.6)	—Do—

(1)	(2)	(3)
	41. The Chairman of the proposed State Rural Industries Board should be the Industries Minister of the State or a non-official and the membership should consist of experts in various fields, such as finance, administration, economics, planning etc. While the Boards will be directly responsible to the State Governments and State legislatures, adequate guidance and supervision should be provided by the Rural Industries Commision ensuring Successful implementation of programmes approved by it. Suitable provisions to ensure this should be incorporated in the legislation to be enacted to replace State Khadi and Village Industries Boards by State Rural Industries Boards (Para 7.7)	—Do—
12.	42. Pending the constitution of the Rural Industries Boards, the question of reconstitution of the existing State Khadi and Village Industries Boards should receive immediate attention of the State Governments so that the membership is reduced to a point where the Board can function more effectively as a small and compact body. (Para 7.)	—Do—
13.	43. The activities of the State Boards should be more effectively coordinated and guided by the Khadi and Village Industries Commission. For this purpose, it is necessary that the Chairman (unless he is the Chief Minister or the Minister incharge), Vice-Chairman and Secretary of the State Boards should be appointed in consultation with the Khadi and Village Industries Commission. The Commission should also have the powers to give direction and guidance to the State Boards and also to obtain necessary annual reports and audited statement of accounts and if necessary, to inspect and audit accounts. The event of failure of the State Boards to comply with the advice and directions given by the Commission it should be open to the Commission to stop further grants to the State Boards. (Para 7.9)	—Do—
14.	44. Progressively over a period of about five years the State Boards should be strengthened to assure full responsibility for the implementation of the programmes in their respective States. This process should be phased so that in the first two years the State Boards are more closely associated with the examination of all the proposals and programmes of the registered institutions and cooperatives. During the next two years, they should not only examine the proposals and programmes but also make their recommendations to the Khadi and Village Industries Commission. The Commision should take necessary steps to ensure that the State Boards are able to assume, at the end of five years full responsibility for the implementation of these programmes in their respective State (Para 7.10)	—Do—
15.	45. The State Rural Industries Boards should have, in relation to the Rural Industries Commission, the same role, rights and obligations as have been recommended above for the State Khadi and Village Industries Boards. Care should be taken to avoid any hiatus legal, statutory, administrative etc. in the relationship between the Rural Industries Commission and the State Rural Industries Boards, as the case at present with the Khadi and Village Industries Commission and the State Boards. The State Rural Industries Board will continue to be answerable to State Legislatures while the Rural Industries Commision would be reporting to the Parliament. Nevertheless, these should be complete coordination between the two and this could be accomplished by making the State Rural Industries Boards amenable to the guidance and direction of the Rural Industries Commission in all matters of importance. (Para 7.11)	—Do—

New Delhi, the 4th July 1975

No. SSI(I)-17(6)/74.—In the Ministry of Industrial Development Resolution No. SSI(I)-17(6)/74 dated the 18th July 1974 reconstituting the Small Scale Industries Board, against Sl. No. 27 the following member of Parliament may be incorporated.

27. Shri P. A. Swaminathan,
Member of Parliament (Lok Sabha)
44, North Avenue
New Delhi-1.

A. K. RAY, Director.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P. & T. BOARD)

New Delhi-110001, the July 1975

No. 23/1/74-LI.—The President hereby directs that, with immediate effect, the following further amendments shall be made in the Rules relating to the Postal Life Insurance an Endowment Assurance, namely :

For Note I below rule 21 of the Rules relating to the Postal Life Insurance and Endowment Assurance, the following Note shall be *substituted,* namely :

"*Note* 1. The Medical Officers concerned will receive a fee of each medical examination at the following rates :—

(i) Civil Surgeon, District Medical Officer or a Medical Officer in the employment of Government enjoying a status not lower than that of a Civil Surgeon and who is allowed to retain for himself the whole or a substantial portion of the fees for medical examination —Rs. 5 for examining the proponents for insurance upto Rs. 5000, and Rs. 8 for examining proponents for insurance above Rs. 5000.

(ii) Medical Officer below the status of a Civil Surgeon in Government, Municipal, District Board, Local Board Cantonment Board or Union Board employ and who is allowed to retain for himself the whole or a substantial portion of the

fees for medical examination—Rs. 5 for examining proponents for insurance up to Rs. 5000.

(iii) Civil Surgeon, District Medical Officer or a Medical Officer in the employment of Government enjoying a status not lower than that of a Civil Surgeon and who is not allowed to retain for himself the whole or a substantial portion of the fees for Medical examination Rs. 4.

(iv) Medical Officer below the status of a Civil Surgeon in Government, Municipal, District Board, Local Board, Cantonment Board or Union Board employ and who is not allowed to retain for himself, the whole or a substantial portion of the fees Rs. 2, for examining proponents for insurance for amounts upto Rs. 1000 and Rs. 3 for examining proponents for insurance above Rs. 1000 and upto Rs. 5000.

(v) Retired Medical Officers examining proponents for insurance in accordance with the provisions of Note 10 below rule 19 shall be paid fees, at the following rates for each medical examination :—

(a) Rs. 5 for examining proponents for insurance upto Rs. 5000.

(b) Rs. 8 for examining proponents for insurance above Rs. 5000."

R. N. DEY, Director
Postal Life Insurance.

MINISTRY OF ENERGY
(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 17th July 1975

F. No. 34012(13)/74-CI(Vol. II).—In continuation of Resolution No. 34012 (23)/74-CI/64 dated 20th September 1974 of the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) the Government of India have been pleased to grant time till 31st December 1975 for submission of the report of the Expert Group on Synthetic Oil.

M. JHA, Director

New Delhi, the 17th July 1975

RESOLUTION

No. 55018/2/75-CAF.—The Estimates Committee, in its 32nd Report on the National Coal Development Corporation Limited, had made the following recommendations :—

..."that to make the Corporation a permanently viable unit, it is necessary that it should not remain a 'hewer' of coal merely......They recommend that the whole matter may be examined by an expert Committee which may suggest suitable lines of ancillary activities." Thereafter, the Committee on Public Undertaking in its 7th Report reiterated the above recommendation. In view of these recommendations and taking into consideration Article 4 of the Memorandum of Association of the Coal Mines Authority Limited, under which CMA is to act as an enterpreneur in respect of the coal industry, the Govt. of India have resolved to appoint an Expert Committee to go into the question of taking up ancillary activities by different coal companies as it is felt that the activities of these companies should expand from mere production and preparation of coal.

2. The Expert Committee will consist of the following members :—

Chairman

1. Dr. M. G. Krishna, Director
Central Fuel Research Institute
Dhanbad.

Members

2. Shri R. G. Mahendru
Director (Technical)
Coal Mines Authority Ltd.,
Calcutta.

3. Shri C. S. Jha
Director (Technical)
Bharat Coking Coal Ltd.
P. O. Jharia, Dhanbad.

4. Shri V. L. Karwande
General Manager
Singareni Collieries Company Ltd.
Kothagudiem Collieries P. O.
Khammam District (A.P.)

5. Shri N. R. Srinivasan
Industrial Adviser
Dte. Genl. of Technical Development
New Delhi.

6. Shri D. Basu
Senior Coal Preparation Engineer
Coal Mines Planning & Design Institute
Coal Mines Authority Ltd.
Ranchi.

7. Director of Industries
Govt. of West Bengal
Calcutta.

8. Director of Industries
Govt. of Madhya Pradesh
Bhopal.

9. Director of Industries
Govt. of Maharashtra
Bombay.

10. Director of Industries
Government of Bihar
Patna.

11. Director of Industries
Government of Orissa
Cuttack.

12. Director of Industries
Government of Andhra Pradesh
Hyderabad.

Member (Secretary)

13. Shri Sadhan Chattopadhyaya
Director
Ministry of Energy
Department of Coal
New Delhi.

3. The terms of reference of the Expert Committee will be as follows :—

(i) To study the lines on which ancillaries should be developed by the Coal Companies for providing essential inputs for the coal mining industry; and

(ii) To recommend schemes/projects for utilisation of coal and by-products of coal which the coal companies should undertake.

While making recommendations the Expert Committee will take into consideration all available data on the subject and will also take into consideration the local socio-economic conditions.

4. The Expert Committee will submit its report to the Government of India, Ministry of Energy, Department of Coal within a period three months.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Govt. of India, Chairman and Members of the Expert Committee and others concerned.

S. B. LAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975